



भारतीय विधि संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110 001

INDIAN LAW INSTITUTE
(Deemed University)
Bhagwan Das Road, New Delhi-110 001

65वीं वार्षिक प्रतिवेदन
65th ANNUAL REPORT
2021 - 2022

65th ANNUAL REPORT
2021 - 2022



INDIAN LAW INSTITUTE

(Deemed University)

Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001

01-04-2021 TO 31-03-2022

**Phones : 23387526, 23382190,
23386321, 23389429**
Telefax : 011-23386321/ 23782140

E-mail: ili@ili.ac.in
Website: <http://www.ili.ac.in>

CONTENTS

I.	The Indian Law Institute	1
II.	President	4
III.	Director	4
IV.	Registrar	4
V.	Meetings of The Committees	4
VI.	Membership	5
VII.	State Units of The Indian Law Institute	5
VIII.	Distinguished Fellows.....	6
IX.	Honorary Professors	6
X.	Publication.....	6
XI.	Academic Programmes	8
XII.	Activities at The Institute.....	9
XIII.	Faculty Activities	24
XIV.	Forthcoming Activities	31
	List of Governing Council Members of ILI	33
	Members - Executive Committee	35
	Members – Academic Council	36
	Members - Finance Committee	37
	Annual Financial Statements (Financial Year 2021-22).....	39

विषय सूची

I.	भारतीय विधि संस्थान	59
II.	अध्यक्ष	62
III.	निदेशक	62
IV.	रजिस्ट्रार	62
V.	समिति की बैठकें	62
VI.	सदस्यता	63
VII.	भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां	63
VIII.	प्रतिष्ठित फैलोज	64
IX.	मानद प्रोफेसर	64
X.	प्रकाशन	64
XI.	शैक्षणिक कार्यक्रम	66
XII.	संस्थान के क्रियाकलाप	67
XII.	संकाय कार्यकलाप	82
XIV.	आगामी क्रियाकलाप	89
	भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची	90
	सदस्य - कार्यकारी समिति	92
	सदस्य - शैक्षणिक परिषद्	93
	सदस्य - वित्त समिति	94
	वार्षिक वित्तीय विवरणी वित्तीय वर्ष 2021-22	95



THE INDIAN LAW INSTITUTE

The Institute

The Indian Law Institute (ILI) was founded in 1956 primarily with the objective of promoting and conducting legal research. It was established as a result of the efforts of the leading jurists of India for over a number of years. It is a truism that a sound legal order is the basis of a democratic society, because law is one of the major instrumentalities by which a society can hope to prosper and develop. There were many important reasons impelling the establishment of a national legal research centre. First, there was a need for reinvigorating legal research as the law, the legal research and the legal education had been neglected areas in India, both before and after Independence. Second, there was a need for a sustained institutionalized research encompassing projects requiring field studies and group thinking. Third, it was necessary to bring together different branches of the legal profession, namely, judges, lawyers and law teachers with a view to develop an integrated approach to law in society.

The objectives of the Institute are to cultivate the science of law, to promote advanced studies and research in law so as to meet the social, economic and other needs of the Indian people, to promote systematization of law, to encourage and conduct investigations in legal and allied fields, to improve legal education, to impart instructions in law, and to publish studies, books, periodicals, etc.

The Institute is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. The autonomous character of the Institute and its independence ensure the requisite academic freedom to carry out its objectives and meaningful research. Its funds come mainly from the Government of India, Ministry of Law & Justice and also from membership fees and sale of its publications. The membership of the Institute is now nearly three thousand four hundred thirty two representing the persons interested in the study and advancement of law.

Hon'ble Chief Justice of India is the ex-officio President of the Institute. The Law Minister of Government of India is its ex-officio Vice President. Judges of the Hon'ble Supreme Court of India and High Courts, Lawyers, Government officials, Vice Chancellors, Deans and Professors of Law are represented in the Governing Council of the Institute.

Deemed University

The Indian Law Institute was granted Deemed University status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004. Institute has been accredited with 'A' Grade (CGPA 3.35 out of 4.00) by NAAC in March 2017. After the visit and review by the UGC Expert Committee, the UGC approved the inclusion of Indian Law Institute u/s 12B of the UGC Act in June 2018. The Indian Law Institute was granted Grade II Autonomy by University Grants Commission on the basis of score accreditation.

After the declaration of the Indian Law Institute a Deemed University in the year 2004, the Institute launched research oriented LL.M. – 2 Year (Full Time) and Ph.D. programmes. In the year 2009-2010, the institute introduced LL.M. – 3 year (Evening) programme. The Institute has introduced its flagship LL.M - 1-year (Full- Time) programme for the academic session 2013-14. The programme is designed in such a way that the students are equipped with comparative understanding of legal systems and concept of 'justice' in the globalized world. The Institute believes to create individuals who can play a significant role in evolving new concepts and interpretations best fitted with global practices when they join bar, bench or academic. The LL.M. Programmes covers important areas like International Trade Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, Human Rights and Judicial Administration. The peculiarity of the LL.M. course of the Indian Law Institute is in

the writing of research paper by students as an essential ingredient of the Programme. The idea is to help the students to acquire sufficient expertise in teaching and doing research simultaneously so that in future there may be a band of law teachers for universities and national law schools.

The Institute has Ph.D. Programme. As of now, there are 28 scholars. The regulation is structured in such a manner that only a person with outstanding ability acquires the degree of Ph.D. from the Indian Law Institute.

The Institute conducts Post Graduate Diploma Courses in vital areas like Corporate Law and Management, Cyber Law, Intellectual Property Rights Law and Alternative Dispute Resolution (ADRs) etc. The P.G. Diploma Programmes have been attracting students from different segments of the society. Diploma in Corporate Law is recognized by the Government of India for jobs as Company Secretaries in companies having paid up share capital of less than rupees two crores. The courses in other Diplomas are structured in such a manner that the takers can engage themselves as practitioners/consultants. These courses are taught through latest techniques and methodology. The *syllabi* blending theory and practice help the students to acquire sufficient knowledge in the areas concerned. This makes them highly competitive and dynamic. The minimum qualification prescribed for admission to the P.G. Diploma Courses is a Graduate Degree recognized by Indian University.

The Institute also provide Online Certificate Courses of duration three months in “IPR and Information Technology in the Internet Age” and “Cyber Laws”.

Building

The Institute was housed in the Supreme Court building till 1962. Later it constructed its own building opposite to Supreme Court at Bhagwan Dass Road, New Delhi on one and a half acre of land. The building is a magnificent structure, having four floors. The ground floor covers the Institute’s library, stack rooms for books,

Conference Halls, Seminar and class rooms and offices for the faculty, research and administrative staff. All classrooms & lecture halls were renovated. The class rooms and halls are equipped with latest audio gadgets and lighting arrangements needed for conducting seminars, training programmes and workshops in the Institute.

Library

The Institute’s library is one of the leading law libraries in India and contains around 83,000 volumes. It receives about 180 current legal periodicals including serial publications. The library remains open from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. on all working days; from 10.00 a.m. to 5.30 p.m. on Saturdays and from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on Sundays. The library remains closed on National and Gazetted Holidays. Mezzanine Floor of the library remains closed on Sundays.

A separate wing of library issues books to the students of the Post Graduate Diploma and LL.M. programmes. The ILI Library has computerized its entire catalogue to provide access to the computerized information about the availability of books, journals, Commissions and Committees Reports and other publications with the help of OPAC and WEB OPAC. A separate collection of 5,000 books donated by the legal dignitaries is kept at the mezzanine floor of the main hall of the Library. The Library enriched its collection by adding eBooks of various renowned publishers such as Oxford University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing and Elgar Online.

The library subscribes renowned databases such as West Law India, JSTOR, Hein Online, SCC Online, Lexis Advance, EBC Reader, Manupatra, Economic and Political Weekly Online, The Laws, Taxmann.com etc. The students/ users can access these databases through IP within the campus and through software from outside the campus

The Institute also deposits its Ph.D theses in UGC- Shodhganga. The institute theses can be accessed from Shodhganga Database. The



Institute is also a part of National Digital Library of India and the digitized collection of the institute is also accessible through National Digital Library of India.

The library is well equipped to facilitate the visually impaired students with JAWS Talking Software, Pearl Instant Reader and Angel Pro Talking Digital Pocket Daisy Player, E- Book Reader, keyboard, Music Player, Radio Cum Voice Recorder- All in One, Desktop Magnifier, Screen Magnifier/Reader.

Library has Off Campus Access facility through KNIMBUS software for its subscribed eResources, which is provided only to the authorized users of the Library. User IDs and passwords are provided to the authorized users for accessing the E-Resources from remote locations. Library has Wi-Fi Technology. This facility is provided to our students bearing Laptop through campus intranet system. Previous year question papers for LL.M and various Diploma offered by the Institute are accessible through the website of the library.

The Research support softwares such as Reference Management Software- ENDNOTE, Anti-Plagiarism Software - Turnitin and Ouriginal, Data analysis software- SPSS are also available for the researchers for maintaining research ethics and professional integrity.

The Library organize training programme on Research management softwares and tools, Research ethics and plagiarism, content development, Library databases and Services

Legal Information Resource Centre (LIRC)

The ILI has set up a Legal Information Resource Centre with latest technology computers and heavy-duty printers with Wi-Fi Connectivity. All the computers have been equipped with facility to access all renowned legal databases. Legal information, relating to case laws, Constitutions, legislations, rules & regulations, Parliamentary debates, Commissions' & Committees' Reports, legal articles and rare documents can be retrieved

by the Centre. The retrieved information is provided through printouts and e-mails to readers. Legal Information Resource Centre (LIRC) remains closed on Saturdays and Sundays.

Digitization of ILI Publications and Rare Documents

The Indian Law Institute has digitized its publications and rare documents of the library. The institute has released its publications, rare documents and law reports on the website for free and wider access. Digitized Material available on the Website includes Journal of The Indian Law Institute from 1958 to 2022, volume 1 to 64, Annual Survey of Indian Law from 1965 to 2020, Volume 1 to 56, Index to Indian Legal Periodicals from 1963 to 2017, volume 1 to 55, various Commission and committee reports, Indian Law Institute Publications, Rare documents, Federal Court Reports, Indian Law Reports- Allahabad, Bombay, Calcutta, Lahore, Lucknow, Madras, Patna and Rangoon from 1876 to 1940, Bengal Law Reports from 1868 to 1875, Weekly Reporter- Sutherland from 1887 to 1893, Indian High Court Reports- Calcutta, Bombay High Court Reports from 1862-1875 and Madras High Court Reports from 1862- 1875. The link to access the collection is : <http://14.139.60.114:8080/jspui>.

Publications

Apart from the publication of books, reports and studies of its research projects, the ILI has been publishing a quarterly *Journal of the Indian Law Institute* (ISSN No. 00019 5731) carrying research articles on topics of current importance. It is a very highly rated Journal of international repute. Besides, the Institute brings out every year a very prestigious publication: *Annual Survey of Indian Law* (ISSN No. 0570 2666) in which the latest trends in every branch of law of importance is captured and presented. In addition, Indian Law Institute has introduced *ILI Law Review Journal* (Online Quarterly Journal) wherein articles of the students are also considered for publication (ISSN (Online) Number ISSN 0976 – 1489).

The ILI also publishes a Newsletter every quarter. Information on all the activities of the Institute as well as critical comments on important decisions handed out by the Supreme Court are regularly published for the benefit of members of the Institute/ legal fraternity.

National Academic Depository

The Indian Law Institute has joined the digital depository in NAD through NSDL Database Management Limited for the purpose of Lodging, retrieving, authentication and online verification of Academic Awards in March 2018. It maintains

the authenticity, integrity and confidentiality of academic awards.

International Conference/ Workshops, Summer Courses/ Training Programmes and Project Studies

The Institute organizes national and international seminars, conferences, summer courses, symposia, lectures and training programmes from time to time. The Institute also undertakes project studies from various government departments on important topics of law.

II. PRESIDENT

During the period under report, the Institute had the honour of being headed by Hon'ble Mr. Justice S.A.Bobde (18.11.2019 to 23.4.2021), and Hon'ble Mr. Justice N.V.Ramana (24.4.2021 to 31.3.2022) Chief Justices of India in the ex officio capacity as President of the Institute.

III. DIRECTOR

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha was the Director of the Institute for the reporting period.

IV. REGISTRAR

Shri Shreenibas Chandra Prusty was the Registrar of the Institute for the reporting period.

V. MEETINGS OF THE COMMITTEES

The various committees constituted under the chairmanship of the Hon'ble Judges, Supreme Court of India during the period under report for the effective functioning of the Institute are hereunder:

S.No.	Name of the Committee	Chairman of the Committees
1.	Academic Council	Hon'ble Mr. Justice U.U.Lalit
2.	Finance Committee	Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
3.	Library Committee	Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan (upto 27.9.2021) Hon'ble Mr. Justice Suryakant (w.e.f. 28.9.2021)
4.	Building Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar
5.	Membership Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar

During the period under report, the different Committees of the Institute met on the following dates:

Academic Council	26.02.2022
Finance Committee	09.11.2021 & 29.03.2022



Membership Committee

17.04.2021

Building Committee

20.04.2021

VI. MEMBERSHIP

S. No.	Type of Membership	No. of Members as on 31.3.2021
1.	Founder	30
2.	Life	2810
3.	Ordinary	101
4.	Corporate	141
5.	Honorary	20
6.	Ex- Officio	262
	Total	3314

VII. STATE UNITS OF THE INDIAN LAW INSTITUTE

At present the following are the State Units of the ILI:

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| 1 | Assam State Unit of the Indian Law Institute
Gauhati High Court
Gauhati, Assam 781 001 | 7. | Bihar State Unit of Indian Law Institute
The High Court Judicature at Patna |
| 2. | Punjab and Harayana State Unit of the Indian Law Institute,
Chandigarh 160 001 | 8. | Maharashtra State Unit of the Indian Law Institute
High Court of Bombay, Mumbai,
Maharashtra 400 032 |
| 3. | Rajasthan High Court of the Indian Law Institute
Rajasthan High Court,
Jodhpur Rajasthan 342 005 | 9. | Jammu and Kashmir Unit of the Indian Law Institute
High Court of Jammu and Kashmir
Srinagar,
Jammu and Kashmir 190 001 |
| 4. | Kerala State Unit of the Indian Law Institute
High Court of Kerala
Kochi, Kerala 682 031 | 10. | Tamil Nadu Unit of the Indian Law Institute
Madras High Court, Chennai,
Tamil Nadu 600 104 |
| 5. | Gujarat State Unit of the Indian Law Institute,
High Court of Gujarat,
Ahmedabad Gujarat 380 060 | 11. | Chhattisgarh Unit of the Indian Law Institute
High Court of Chattisgarh
Bilaspur, Chattisgarh 495 220 |
| 6. | West Bengal Unit of the Indian Law Institute
Calcutta High Court, Kolkata
West Bengal 700 001 | 12. | Allahabad State Unit of the Indian Law Institute
Allahabad High Court
Allahabad, U.P. 211 001 |

13. Karnataka State Unit of the ILI
High Court of Karnataka, Bengaluru,
Karnataka 560 001
14. Jharkhand High Court
Doranda, opp-JAP Ground
Ranchi (Jharkhand)
15. Orissa State Unit of the
Indian Law Institute
Orissa High Court, Cuttack,
Odisha 753 002
16. Andhra Pradesh State Unit of the
Indian Law Institute
Hyderabad High Court
Hyderabad 500 034
17. High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur - 482001
18. The High Court of Manipur at Imphal
Mantripukhri - 795002
19. The High Court of Meghalaya
20. High Court of Telangana
21. High Court of Tripura
High Court of Tripura,
Capital Complex, Agartala
Tripura-799 010
22. Delhi State Unit of Indian Law Institute
The High Court of Delhi
23. Himachal Pradesh State Unit of the
Indian Law Institute
High Court of Himachal Pradesh
Shimla, Himachal Pradesh – 171 001
24. Sikkim State Unit of the
Indian Law Institute
High Court of Sikkim,
Gangtok Sikkim 737 101
25. Uttarakhand State Unit of the
Indian Law Institute
High Court of Uttarakhand,
Nainital, Uttarakhand 263 002

VIII. DISTINGUISHED FELLOWS

The Indian Law Institute was honoured to have the following eminent persons as distinguished fellows of the Institute:

- Mr. Justice M.N Venkatchaliah

IX. HONORARY PROFESSORS

The Institute is honoured by the association of the following scholars, who have shown keen

lively interest in Indian Law Institute and third world socio- legal developments:

- Dr. Rajeev Dhavan, Senior Advocate, Supreme Court of India, Formerly of the University of West London.
- Professor Clarence J.Dias, International Centre for Law in Development, New York.
- Professor Yash Ghai, Professor of Public Law, University of Hong Kong.
- Professor A.R Blacksheild, La Trobe University, Australia

X. PUBLICATION

Research Publications Released

i. Journal of Indian Law Institute

The Indian Law Institute has been publishing the quarterly journal, the Journal of the Indian



Law Institute (JILI). It contains research articles on topics of current importance. It is a referred journal of international repute. The following issues of the journal have been published during the period:

- Vol. 63 No. 2 (April – June, 2021)
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- Vol. 63 No. 3 (July – Sept., 2021)
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- Vol. 63 No. 4 (Oct – Dec, 2021)
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- Vol. 64 No. 1 (Jan – Mar. 2022)
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

The digitized version of *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2019, volume 1 to 62 was released on the website of the Indian Law Institute.

ii. ILI Law Review (Online)

ILI Law Review 2021 (Summer Issue & Winter Issue)– E-Journal is available at the ILI website.

iii. Annual Survey of Indian Law (2020) (Vol: LVI)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

The areas covered in the above Survey are: Administrative Law, Civil Procedure, Company Law, Competition Law, Constitutional Law, Consumer Protection Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Cyber Law, Environmental Law, Evidence Law, Forensic Law, Hindu Law, Intellectual Property Law, International Law, Labour Management Relations, Muslim Law, Public Interest Litigation, Socio Security and Labour Law, Women and the Law, Central Legislation,

The following faculty members of the Indian Law Institute contributed to the Annual Survey of Indian Law - 2020:

1. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha
International Law

2. Professor (Dr.) S. Sivakumar
Central Legislation
3. Professor (Dr.) Anurag Deep
Socio Economic Crimes
4. Professor (Dr.) Jyoti Dogra Sood
Criminal Law
5. Ms. Arya A. Kumar
Company Law
6. Dr. Deepa Kharb
Cyber Law
7. Dr. Latika Vashist
Women and the Law

UPDATION OF “DIGITIZED VERSION OF ANNUAL SURVEY OF INDIAN LAW (1965 – 2019)”

The digitized version of “*Annual Survey of Indian Law*” containing ASIL published since 1965 has been updated. It contains 54 volumes from 1965 to 2019. The Digitized version of ASIL is in PDF format. The Digitized version in single DVD is user friendly. The search engine of DVD contains metadata search (Author, Title, and Combination); Full Text search and search within documents options.

iv. ILI Newsletter

The Indian Law Institute has been publishing quarterly ‘ILI Newsletter’. The newsletter contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities. It also carries the case comments written by the ILI faculty on the leading cases decided by the Supreme Court during the quarter. The following issues of the Newsletter were published during the period (April 2020 – March 2021).

- Vol. XXIII No. 2 (April – June, 2021)
- Vol. XXIII No. 3 (July – Sept., 2021)
- Vol. XXIII No. 4 (Oct. – Dec., 2021)
- Vol. XXIV No. 1 (Jan. – March, 2022)

- v. Book on **Legal Research Manual** – Though with the advent of information technology the process of research has become easier, however, at the same time issues of plagiarism and predatory Journals have become rampant. To alleviate such problems and promote ethical meaningful research Indian Law Institute has brought out Legal Research Manual under the

supervision and guidance of Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI. The Manual concisely clarifies concepts of research methodology, elucidates best practices of research, serves as a guide on citation styles to aid in standardization of research. As such, the Manual promotes academic excellence and integrity.

XI. ACADEMIC PROGRAMMES

Admissions for the Academic Session 2021-2022

The scheme for conducting of LL.M. – 1 yr. Programme has been adopted as per the UGC guidelines. The admission process for LL.M. (Full Time – 1 year), and Post Graduate Diploma programmes was started as per the schedule approved by the Academic Council. The Common Admission Test to the LL.M. Programmes was conducted on 18.9.2021 at Delhi at the Maharaja Agrasen College, Delhi. Out of 191 candidates, total 135 candidates appeared for LL.M. – 1 yr. Programme. The result of All India Common Admission Test was notified on 19.11.2021 as per the approved schedule. The total number of admission made for Academic year 2021-2022 is as under:

Ph.D.	06 students
LL.M (1Year)	40 students
Post Graduate Diploma Courses	235 students
Total Number of students admitted	281 students

The classes for LL.M 1 year commenced from 08.11.2021. Whereas the classes for Post Graduate Diploma Courses were commenced from 04.10.2021.

Examination – 2021-2022

Entrance Examination – Ph.D. & LL.M.

The All India Admission Test -2021 to the LL.M. (1 Year) Programme and Ph.D. Programme was conducted on 18.9.2021 at Maharaja Agrasen College (University of Delhi), Vasundhara Enclave, Delhi. For LL.M. 1210 (including two foreign candidates) applications received by the Institute for admission out of which a total of 696 candidates appeared for the Entrance Test. For Ph.D. 124 applications received out of which 46 from Exempted category and 76 were from non-exempted category and 02 foreign candidates out of which only 39 candidates appeared for the Entrance Test. 1334 candidates appeared for LL.M. and Ph.D. Admission Test respectively. The results of All India Admission Test & Ph.D. Admission Test were notified as per the approved schedule.

The viva-voce for admission to LL.M. 1 year Programme (2021-2022) were held between October 12-14, 2021. The result as per merit was declared on October 26, 2021.

The interview/ presentation for Ph.D. Admission 2021 for exempted & Non-exempted category candidates were held on February 12, 2022. The result for Ph.D. Admission 2021 was declared on March 11, 2022.

Ph.D. Course Work Examination

The Ph.D. Course Work Examinations – 2020 (Paper I & II) were conducted from August 23, 2021.

Semester Examination – LL.M.

The LL.M. 1 Year (IInd Semester) Examination (Session 2020-2021) were conducted during September-October, 2021 and Dissertation viva-voce/ Presentation were conducted in the month of December 2021 and the result of the same was declared in the month of January, 2022.

Post Graduate Diploma Examination

The Annual Examination-2021 for Post Graduate Diploma Courses (Session 2021-22)

were conducted successfully during July 20, 2021 to August 02, 2021. The result of the Annual Examination was declared in the month of October, 2021.

The Supplementary Examination for Post Graduate Diploma Courses was conducted in the month of November, 2021 and the result of the same was declared in the month of December, 2021.

XII. ACTIVITIES AT THE INSTITUTE

A. WEBINARS/ LECTURES

Webinar on “Handling Erroneous Convictions: Learning from The American Experience” on March 14, 2022

The Indian Law Institute on March 14, 2022 organised a webinar on “Handling Erroneous Convictions: Learning’s from the American Experience”. The chief guests of the event were Justin Brooks, Director of the California Innocence Project at California Western School of Law, (Dr.) G.S. Bajpai, Vice Chancellor of Rajiv Gandhi National University of Law ,Punjab, and Dr. G.K. Goswami, Additional Director General of Police and Chief of Anti-Terror Squad (ATS) of the State of Uttar Pradesh. The event was graced with the presence of researchers, academicians and students who joined the event online. The session took place through webex and legal enthusiasts from across the country joined the event online.



National Seminar on “Gender Justice and Women’s Rights for Sustainable Tomorrow” on March 08, 2022

The International Women’s Day is celebrated on the 8th of March every year all over the world to mark the struggle of women for equality and gender justice. On this occasion, Indian Law Institute and the All India Lawyers Forum celebrated the International Women’s day with the National Seminar on “Gender Justice and Women’s Rights for Sustainable Tomorrow” on the March 08, 2022 at ILI. The chief guest for the occasion was Hon’ble Justice Mrs. Indira Banerjee, Judge Supreme Court of India. Ms. Vibha Dutt Makhija, Senior Advocate, Supreme Court of India, addressed the gathering at this occasion. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI ,delivered welcome address by recognising the importance of the struggle of women’s rights movements all over the world.



Views from the seminar

Webinar on “Cooperative Federalism” on February 11, 2022

As a part of the virtual lecture series conducted by the Indian Law Institute, a special lecture was organized on February 11, 2022 on the theme “Cooperative Federalism” by Dr. Vijayashri Sripati, Visiting Scholar, Department of Criminal Justice and Social Work, University of Toledo, Ohio, United States. Dr. Vijayashri in her session comprehensively explained how International Law and Constitutional Law are intricately interconnected with one another and why demography arises from these subjects. Her lecture was focused on the constitutional reforms in India in the backdrop of Cooperative federalism and how globalization has played a pivotal role in shaping the same. The session was graced with the presence of Professor (Dr.) Anurag Deep and Professor (Dr.) Jyoti Dogra Sood, Professors, ILLI. Post the enlightening session, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director Indian Law Institute thanked Dr. Vijayashri for her insightful talk and the session came to a close.

Webinar on “Protecting Human Rights in the Twenty First Century” on February 09, 2022

As a part of the virtual lecture series conducted by the Indian Law Institute, a special lecture was organized on February 9, 2022 on the theme “Protecting Human Rights in the Twenty First Century” by Professor (Dr.) Bertrand. G. Ramcharan, Former High Commissioner for Human Rights (Ag), Geneva. Professor Dr. Bertrand. G. Ramcharan, in his lecture comprehensively explained the evolution of Human Rights in the international scenario and the challenges faced in its application in the twenty first century. He tried to look at the complex scenarios through a different view and tried to engage the audience with critical questions.

Webinar on “Business and Human Rights : How to Move Forward”? on February 03, 2022

Indian Law Institute organized a webinar on “Business and Human Rights: How to Move Forward?” on February 03, 2022 wherein Professor Jernej Letnar Cernic was welcomed and introduced by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILLI, New Delhi. Dr. Cernic is a Professor of Constitutional and Human Rights law at the European Faculty of Law and the Faculty of Government and European Studies of the New University, Slovenia. Professor Jernej began the session with quite provocative questions put forward for the participants. During the session, he shared some of the interesting observations from his own research findings on business and Human rights.

E- International Seminar on “Data Protection and Data Privacy” on December 18, 2021

An International Seminar was organized by Law Mantra in collaboration with Indian Law Institute, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab Maharashtra National Law University, Nagpur and Advanced Centre on Research, Development & Training in Cyber Law and Forensics, National Law School of India University, Bangalore. The seminar was inaugurated in august presence of Hon’ble Justice A. Muhamed Mustaque, Judge, High Court of Kerala as Chief Guest. The guests emphasized on the upcoming Data Protection Legislation in India and how would it’s impact be in the international diaspora.

Webinar on “Intersections of Human Rights and Criminal Law” on December 9-10, 2021

The Human Rights Studies Programme, School of International Studies (JNU), in collaboration with the Centre for Inner Asian Studies, School of International Studies (JNU), and the Indian Law Institute (Delhi), organized a Human Rights Day Webinar on the **Intersections of Human Rights and Criminal Law** on 9-10 December 2021.

The presentations were organized under four sessions, including Session I on Rights Jurisprudence and Criminal Law (Session Chair- Prof. Sangeeta Thapliyal, JNU), Session II on Proposals for Criminalisation and Decriminalisation (Session Chair- Prof. Sharad K. Soni, JNU), Session III on Crimes, Victims, and Punishments (Session Chair- Prof. Anju Vali Tikoo, DU), and Session IV on Reforms in the Future (Session Chair- Dr. Upma Gautam, GGSIPU).

The Webinar was conceptualized keeping in view the responsibility of states under international human rights law to *prohibit and punish* for the protection of human rights and the redressal of violations. The obligations of States to *prohibit and punish* inform the development of criminal rules and procedures under different legal systems, leading to the near *universalization* of legislative frameworks, legal justifications, and punishments. In the working of international human rights institutions, the criminal laws adopted by States are an indicator or marker of the level of compliance of States with the international mandates. In recent years, the interface between the two fields, i.e., international human rights and domestic criminal laws, has sparked great jurisprudential, political, and constitutional debates in different parts of the world. Against this backdrop, the Webinar was organized on Human Rights Day to discuss the relevant issues.

Webinar on “The Rights of Indigenous and the Relationship with the Rights of Nature in the Inter American Court of Human Rights” on November 3, 2021

Continuing the tradition of fostering academic ties beyond the borders, the Indian Law Institute organised a webinar on the topic: The Rights of the Indigenous and the Relationship with the Rights of Nature in the Inter American Court of Human Rights on November 3, 2021, wherein Prof. (Dr.) Alex Valle Franco, Professor of Law, IAEN/PUCE University, Ecuador was invited as the guest speaker. Ecuador holds the special

distinction of being the first nation to have recognised the rights of nature in its constitution. In his lecture, Prof. (Dr.) Alex Valle Franco, explained in detail about the constitutional provisions in Ecuador with respect to the rights of nature and its status as a legal subject as well as elaborated upon the decisions of the Inter American Court of Human Rights dealing with the same issue.

Webinar on Human Rights in the Brazilian Supreme Court: Achievements and Challenges by Prof. (Dr.) Jairo Lima, State University of Northern Parana (UENP) on October 5, 2021

A webinar was organized on October 5, 2021 on the theme “Human Rights in the Brazilian Supreme Court: Achievements and Challenges”, for which Prof. (Dr.) Jairo Lima, Professor at the State University of Northern Parana (UENP) was invited. Prof. (Dr.) Jairo Lima exclaimed how events such as these were initiatives for commencement of a dialogue between Indian and Brazilian academic scholarship. Beginning with his deliverance, Prof. (Dr.) Jairo Lima mentioned about the distinctiveness of the constitutionalism model that is associated with Brazil and other countries of the Global South. Stressing upon the need to encourage taking comparative views, he highlighted how similarities and differences both existed between the Global North and Global South and therefore, there was much learning that could be achieved if exchanges about the peculiar features of both systems could be organized.



Webinar on “Judicial Activism Fundamental Rights and The Brazilian Supreme Court House Decisions during Covid-19” on September 07, 2021

It is a constant endeavour that inclusive research which crosses the boundaries of disciplines, legal systems, jurisdictions and represents diverse dimensions is undertaken. In spirit of the same objective, a webinar was organized on September 7, 2021, wherein Professor (Dr.) Deilton Ribiero BRASIL, Professor, University of Itaúna, Minas Gerais, Brazil was invited to deliver a lecture. It is common knowledge how the pandemic has led to several unprecedented ramifications for all countries and their legal systems and judicial bodies across the globe. To understand how the Brazilian Supreme Court has tackled the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the talk was organized on the same theme, “Judicial Activism, Fundamental Rights and the Brazilian Supreme Court House Decisions during COVID-19.”

Webinar on “Constitutional Symptom: A Psychoanalytic Reading of Article 343” on August 31, 2021

Mr. Sabarish Suresh in his talk “on “**Constitutional Symptom: A Psychoanalytic Reading of Article 343**” discussed about the historical and psychic creation of identities national and linguistic. He focussed on the pivotal role played by language and print in the construction of identities. And, how this entire operation of the linguistic—national identity nexus is exacerbated and vociferously reinforced, at least in India, by the repression of a seemingly originary trauma. This talk attempted to showcase the configuration of such a return through an analysis of the linguistic provision in the Constitution of India.

AILIA ACTIVITIES

The global outbreak of Covid-19 pandemic has brought forth many miseries where a considerable number of people, all across the world, have lost their lives, employments, and sense of security.

Even today, the monstrous and disastrous pandemic continues to engulf humanity as a whole and the sufferings of the people are multiplying day by day. Though the Governments across the world have been attempting to mitigate the effects of the pandemic, the task seems herculean and requires much more coordinated and concentrated efforts.

The Association of the Indian Law Institute Alumni (AILIA) is an autonomous association of the alumni of the Indian Law Institute, New Delhi, operational since November 09, 2019. It is a non-political, non-profit, techno/socio/legal research & charitable organization having the statutory registration under the provisions of the Society Registration Act, 1860. In the wake of the pandemic, it has undertaken its solemn responsibility towards the humanity and has actively been engaged in work for amelioration of the conditions of needy and underprivileged sections of the society who have become the victims of undeserved want, occasioned by this global COVID-19 pandemic.

AILIA so far through the means of voluntary contributions by its alumni, senior advocates and general public has been able to assist a good number of people by providing them food (dry rations and cooked), masks etc. Throughout this period, several such activities were undertaken by the members of AILIA and the resolve to contribute for more such work has continued unabated.





Distribution of dry ration and other necessities by AILIA members and volunteers

B. AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

In the spirit of commemorating the attainment of the freedom of our nation from the bondages of colonial rule, the Government of India, under the vision of Prime Minister Narendra Modi launched the *Azadi ka Amrit Mahotsav* – a series of celebratory events to be organised across the country for a period of seventy-five weeks, commencing from 12 March, 2021. It was on the 12th of March, 1930 that Mahatma Gandhi had set foot for undertaking the historic Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi, the beginning of the salt *satyagraha*. Given the momentous significance of the day, there could be no better date for initiating the festivities around the 75th anniversary of Indian independence, than this day. The Dandi March symbolised the beginning of the civil disobedience movement and stands today, as a staunch testimony of the might of truth and non-violence. It was an assertion of the people's revolt against the unjust law and the same was echoed in the words of Gandhi, who had declared, "loyalty to a state so corrupt is a sin, disloyalty a virtue".

The vision of the *Aazadi ka Amrit Mahotsav* has been curated around five themes: Freedom Struggle, Ideas @ 75, Resolve @ 75, Actions @ 75 and Achievements @ 75. As a part of the same initiative, the Indian Law Institute conceptualised organisation of a lecture series by eminent jurists, academicians and experts, who would engage with a diverse set of themes in order to provoke a reflexive looking back into our history, and a progressive imagination of the years to come by:-

➤ **Indian Constitution- Living Document on November 26, 2021**

A lecture was organised on November 26, 2021 by the Indian Law Institute on the theme: '**Indian Constitution-Living Document**'. November 26, each year is celebrated as Constitution Day (*Samvidhaan Diwas*), marking the historic day in 1949 when the Constitution of India was formally adopted by the Constituent Assembly. To commemorate the momentous occasion, the theme of the talk revolved around the dynamism of the Indian Constitution. **Prof. (Dr.) T.V. Subba Rao, Professor-Emeritus, Vivekananda School of Law and Legal Studies and Former Professor, National Law School of India University, Bangalore**, was invited as the speaker for the session. The event was also graced by *Prof. (Dr.) R. Venkata Rao*, Chairperson, Vivekananda School of Law and Legal Studies (VSLLS). In his lecture, Prof. (Dr.) T.V. Subba Rao, chronicled the history of the adoption of the Constitution of India and asserted that the awareness of the constitution and its principles was essential for all.

➤ **Cartographing IP issues in Social Media"on November 14, 2021**

A talk was organised on November 14, 2021 by the Indian Law Institute on the topic: Carto-graphing IP issues in Social-Media. **Prof. (Dr.) V.C. Vivekanandan, Vice Chancellor, Hidayatullah National Law University**, was invited as the guest speaker for the talk. In his lecture, Prof. (Dr.) V.C. Vivekanandan presented a synoptic view of the complex legal issues that have emerged in the field of social media and its interface with intellectual property. Equating the world of social media to a new virtual 'republic', Prof. (Dr.) Vivekanandan explained the distinction between the new and older forms of media and how intellectual property protection regimes have significant operational difficulties in the

sphere of social media.

➤ **The Limits of Liberty: Rights and Duties in the Constitution on November 13, 2021**

A virtual talk was organised on November, 13, 2021 on the theme, 'The Limits of Liberty: Rights and Duties in the Constitution' by the Indian Law Institute. **Prof. (Dr.) Dilip Ukey, Vice Chancellor, Maharashtra National Law University, Mumbai** graced the event as the speaker for the session. Prof. Ukey began his lecture with the explanation of the concept of liberty. He referred to the ideas of influential English philosopher and political economist, J.S. Mill whose classic work 'On Liberty' constitutes essential reading for anyone interested in exploring about the ideal of liberty. Mill, Prof. (Dr.) Ukey, expressed, had always kept the idea of liberty at the upper most echelon of values, and had propounded that interference or any limitation with one's liberty could only be justified if it could satisfy the 'Harm Principle'.

➤ **Constitution and Composite Culture on November 12, 2021**

As a part of the *Azadi ka Amrut Mahotsav* lecture series, a virtual talk was organised by the Indian Law Institute on November 12, 2021, on the topic: Constitution and Composite Culture. **Prof. (Dr.) S. Surya Prakash, Vice-Chancellor, Damodaram Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam** was the guest speaker for the session. Prof. (Dr.) S. Surya in his lecture elaborated upon the magnificent culture and the rich heritage of the Indian civilisation and explained how the Indian Constitution is an embodiment of the values, morals and principles derived from this composite culture.

➤ **The Constitution in its Eighth Decade on November 11, 2021**

A virtual talk was organised on November 11, 2021, on the topic: 'The Constitution in its Eighth Decade'. **Prof. (Dr.) Sudhir Krishnaswamy, Vice-Chancellor of the National Law School of India University** was the guest speaker for the talk. Prof. Krishnaswamy began his lecture by highlighting the reasons why we must celebrate completion of seventy-five years of independence. He expressed that the celebration of the independence of the nation is the celebration of the fact of attainment of sovereignty, the winning of the right to make one's own free choices, one's own mistakes. Further, the celebration must also include commemoration of the various social and political forces that fought in the independence struggle and the unique socio-political framework in which our political independence emerged.


➤ **Quest for Balanced Approach on Maintenance Laws in India on November 10, 2021**

A virtual talk was organised on November 10, 2021 on the topic 'Quest for a Balanced Approach on Maintenance Laws in India'. **Prof. (Dr.) Vijender Kumar, Vice-Chancellor of Maharashtra National Law University, Nagpur** was the guest speaker for the session. In his session, Prof. (Dr.) Kumar elaborated upon the intricacies of the concept of maintenance laws in the Indian legislative framework. Prof. (Dr.) Kumar explained that the rationale for the law of maintenance and informed the participants that there were various statutes under personal as well as public laws which govern the law of maintenance. Discussing the concept of quantum of maintenance, which is often misunderstood, he clarified that the laws dealing with maintenance are primarily dependent on the income, status, financial hardships etc. of the parties and thus the quantum of maintenance is

decided based on facts and circumstances of each case.

➤ **Victim Justice and Law Reforms in India on November 9, 2021**

A virtual talk was held on November 9, 2021, on the theme ‘Victim Justice and Law Reforms in India’. **Prof. (Dr.) Nirmal Kanti Chakrabarti, Vice Chancellor, West Bengal National University of Juridical Sciences** was the guest speaker for the session. Prof. (Dr.) Chakrabarti in his lecture presented a comprehensive discussion on several aspects of the theme ranging from the origin and development of victim justice system in the country, the underlying philosophy, different international instruments as well as the framework for victim compensation and victim assistance in India.



➤ **Indian Philosophy Reflecting through the Constitution: Special Reference to Fundamental Duties on November 8, 2021**

A virtual talk was organized on November 8, 2021, on the theme “Indian Philosophy Reflecting through the Constitution.” **Prof. (Dr.) Amar Pal Singh, Dean, University School of Law and Legal Studies, GGSIPU,** was the guest speaker for the session. Prof. (Dr.) Amar Pal Singh in his lecture highlighted how there is a common understanding among the masses that the Indian constitution is not reflective of the indigenous Indian

philosophy. He dispelled the notion and discussed about the contribution of Indian historians such as K.P. Jayaswal and A.S. Altekar, in exposing how modern systems of governance based on democracy, self-rule and representation were already a part of the medieval Indian landscape.



➤ **National Unity Day and Contemporary Imperatives for Legal Research in India on October 31, 2021**

A virtual talk was held on October 31, 2021, on the theme “Contemporary Imperatives for Legal Research in India”. Eminent academician, **Prof. (Dr.) Afzal Wani** delivered the talk for the event. Marking the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel, October 31st each year is celebrated as National Unity Day. The session began with a commemoration of the contribution of Sardar Vallabh Bhai Patel to the cause of national integration. To begin the session, Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, administered the national unity pledge to all the participants in both Hindi as well as English. After the pledge, Prof. (Dr.) Wani delivered his lecture wherein he apprised the participants about the changing role of legal education in the country. Prof. (Dr.) Wani mentioned that legal education must cater to the development of the understanding of the ‘functions of law in society’. Turning his attention towards legal research, Prof. (Dr.) Wani highlighted how legal

research in the country was confined to popular topics such as on environmental issues, gender justice, pendency in courts etc.

➤ **Gender Equality and Labour Laws in India on October 26, 2021**

A virtual talk was organised on October 26, 2021, on the topic “Gender Equality and Labour Laws in India.” The guest speaker for the session was renowned academician **Prof. (Dr.) Manjula Batra, Former Dean, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia**. With her vast expertise in the field of gender related laws, Prof. (Dr.) Batra spoke eloquently about gender equality issues and labour rights in India. Prof.(Dr.)Batra gave the examples of several constitutional provisions such as article 14, article 15(1), article 15(3), article 16, article 19 and the expansive interpretation of article 21, which promote the cause of gender justice.

➤ **Environmental Rule of Law and Protection of Environment on October 20, 2021**

A virtual talk was organized by the Indian Law Institute on October 20, 2021 on the theme “Environmental Rule of Law and Protection of Environment”. **Prof. (Dr.) Satish C. Shastri**, eminent academician and known expert in the field of environmental law, graced the occasion as the keynote speaker for the session. Sounding a note of caution, Prof. (Dr.) Shastri began his deliverance with the words, “प्रकृति रक्षति रक्षितः”, implying those who protect the environment shall be protected by it. Otherwise, if we failed to protect nature, it would imply the destruction of all. In his lecture, Prof. (Dr.) Shastri explained how the concept of rule of law, has of late, been linked to the idea of preservation of environment through initiatives such as the first global report on environmental rule of

law which has been released in 2019 by United Nations..



➤ **Access to Justice: Sensitizing Law Students to the Unmet Justice Needs of the Society on October 11, 2021**

The Indian Law Institute along with Ministry of Law & Justice, Government of India organised a webinar on the topic of “Access to Justice: Sensitizing Law Students to the Unmet Justice Needs of the Society” as part of the larger webinar series celebrating ‘Azadi ka Amrut Mahotsav’, on October 11, 2021. The speaker for this webinar was Prof. (Dr.) Ranbir Singh, former and founding Vice Chancellors National Law University, Hyderabad and Delhi.

Prof. Singh began with addressing the need for the Law Schools to prepare its students to liberate the institutions of justice from their limitations; and to appreciate and understand the needs of the communities; to develop skills that will help the marginalised groups in the society.



➤ **Thinking Constitutional Principles and Constitutional Cultures on September 25, 2021**

Continuing the series of events being organized as a part of the year-long celebration of *Azadi Ka Amrut Mahotsav*, a virtual talk was organized on September 25, 2021, on the theme “Thinking Constitutional Principles and Constitutional Cultures”. Eminent jurist and renowned academician Professor (Dr.) Upendra Baxi, former Vice Chancellor, DU, delivered the talk through the virtual medium, enriching the gathering with his insightful and intriguing perspectives about constitutional principles.

Initiating his talk, Professor (Dr.) Baxi spoke about both individual and collective roles that must be shouldered by us in constitutional development in future and in the pursuit of the same, he expressed, it was essential to see where we were and to where we were headed. He expressed the need for the members of academic community to come together, to find the ‘twenty-fifth hour’ of our days to bridge the gap that has existed between the world of law and the people at large who are affected by its workings.

➤ **Law, Literature and Life on September 9, 2021**


A webinar was organized by Indian Law Institute on September 9, 2021, on the theme ‘Law, Literature and Life’ as a part of the series of events that are being conducted to mark the year-long celebration of *Azadi Ka Amrut Mahotsav*, the initiative launched by the Government of India to celebrate the completion of 75 glorious years of Indian independence.

The lecture for the session was delivered online by Professor (Dr.) R. Venkata Rao, Chairperson, Vivekananda School

of Law and Legal Studies and former Vice Chancellor of National Law School of India University, Bangalore. With his vast qualification in both the fields of law and English literature, Professor. (Dr.) R. Venkata Rao began the session by speaking about how the theme for the session was very close to his heart since he had great fondness for both the subjects of law and literature.

➤ **Progressive Unfolding of the Indian Constitution on August 19, 2021**

The Indian Law Institute, in collaboration with the Ministry of Law and Justice, Government of India, has been organizing a series of webinars, conferences, seminars and other such events aimed at celebrating the values and ideals of the Indian freedom struggle. To revisit the workings of the magnificent constitution of our nation, a virtual talk was held on August 19, 2021, on the theme, “Progressive Unfolding of the Indian Constitution” as a part of the same project. To deliver the lecture, eminent scholar of law, Professor (Dr.) Subir K. Bhatnagar, Vice Chancellor, National Law School, Lucknow, was invited. Professor (Dr.) Bhatnagar highlighted how the framers of the constitution and the leaders of the Indian freedom struggle were committed to the complete political as well as social emancipation of the people of India.



➤ **Communal Harmony and Gandhi on April 16, 2021**

Continuing the series of events under the initiative of 'Azadi ka Amrit Mahotsav' the Indian Law Institute organised a conference commemorating the Indian independence movement on 16th April, 2021 on the theme of 'Communal Harmony and Mahatma Gandhi'.

Prof. Sucheta Mahajan, prominent academician and historian, JNU graced the occasion as the keynote speaker for the event and she delivered her lecture on the chosen theme.. Dr. Mahajan is a Professor at the Centre for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University and an eminent author who has penned numerous works detailing out the history of India's struggle for independence, the erosion of colonial rule from the country and on the themes of politics of religion and communal harmony.


In her enriching talk, full of small anecdotes from her vast experience as a researcher in the field of the modern history of India, Prof. Mahajan spoke eloquently about the Gandhian values of *ahimsa*, his ideology of *satyagraha* and his unrelenting pursuit of the goal of communal harmony.

The Indian Law Institute in collaboration with the Ministry of Law and Justice, Government of India, organized a week-long series of lectures from August 9, 2021, till August 13, 2021, to mark the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the initiative launched by the Government of India to celebrate the completion of 75 glorious years of Indian independence.

➤ **Contemporary Developments and Legal Education in India on August 9, 2021**

The first lecture in this series of lectures was delivered online by **Professor (Dr.) N.L. Mitra, former Vice Chancellors, NLSIU, Bangalore** and Jodhpur, on August 9, 2021, at 11:00 a.m.. The chosen theme for the deliverance was '**Contemporary Development of Legal Education in India**'. Professor (Dr.) Sinha, Director, Indian Law Institute, introduced Professor (Dr.) Mitra to the gathering and apprised everyone about the theme of the event.

Throughout his lecture, Professor (Dr.) Mitra elaborated important concepts like purpose of legal education, 'ad-hoc' system, 'political instrument' and contrasted it against the idea of law as a welfare mechanism for people, characteristic of 'Epistemology', the ideas of 'universalization' and 'globalization' of legal education etc.




➤ **Human Suffering, the Constitution, and the Indian State: Reflections @ 75 on August 10, 2021**

The second lecture in this series of lectures was delivered online by **Professor (Dr.) G. Mohan Gopal, former Vice Chancellor, NLSIU, Bangalore and Director, National Judicial Academy, Bhopal**, on August 10, 2021, at 11:00 a.m.. The chosen theme for the deliverance was '**Human Suffering, the Constitution and the Indian State: Reflections @ 75**'.


Drawing upon his vast experience in the

field of legal theory and furthering his incessant efforts to translate legal theory into practice, he proposed the idea of a right against ‘human suffering’ and presented a new conceptualisation of the idea of justice in his talk.



➤ **Indian Federal Structure and Cooperative Federalism on August 11, 2021**


The third lecture in this series of lectures was delivered online by **Professor (Dr.) V. Vijayakumar, Vice Chancellor, National Law School, Bhopal**, on the 11th of August 2021 at 03:00 p.m. The chosen theme for the deliverance was **‘Indian Federal Structure and Cooperative Federalism’**. Professor (Dr.) Vijayakumar began the discussion by highlighting the significance of the chosen theme for the event and expressed how federalism was a dynamic concept and it continues to remain relevant for a country at all stages and in all phases of its evolution.



➤ **Constitutionalism and Democracy in India: Theory and Practice on August 12, 2021**

The fourth lecture in this series of lectures was delivered by **Professor. (Dr.) M.P. Singh, former Vice Chancellor, NUJS**, on the 12th of August 2021 at 11:00 a.m. The chosen theme for the deliverance was **‘Constitutionalism and Democracy in India: Theory and Practice’**.

Prof. (Dr.) Singh initiated the discussion by examining the definition that has been given by Mc Ilwain in his book, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, which comprises of a series of six of his lectures. He explained how the simplest definition of constitutionalism has been centered around the idea of ‘legal limitation on government and state’. He elaborated upon the conceptual underpinnings of the idea and asserted how constitutionalism was premised on the proposition of enforcement of these legal limitations as constitutional obligations. Once crystallized in the text of the constitution, these limitations took the form of constitutional duties of the State from which there could be no derogation.




➤ **Working of the Constitution and Contemporary Challenges on August 13, 2021**

The fifth and final lecture in this week-long series of lectures was delivered online

by **Professor (Dr.) P. S. Jaswal, former Vice Chancellor, National Law School, Patiala**, on the 13th of August 2021 at 02:00 p.m..

Professor (Dr.) Jaswal, in his talk attempted to provide a glimpse of the entire constitutional and political history of the country. He divided the discussion into two parts, one detailing out the working of the constitution through the last seven decades and the second part of his lecture was devoted to the discussion around the contemporary challenges. Professor (Dr.) Jaswal exclaimed how we

needed a strong nation, which has at its core the spirit of rule of law, and which must have the constitution as its solid bedrock.



C. Internship

The Institute offered online/offline internship opportunities to the law students from various universities during April 2021 – March 2022. Around 14 internees participated from different Universities viz. HPNLU, Shimla, Jindal Global Law School, USLLS, Delhi metropolitan Education, Integral University, Lucknow, JIMS Engg. MTC, NLU, Visakhapatnam, NUALS, Kochi, CLC, DU.

D. E-Learning Certificate Course

(i) IPR

E-Learning Certificate Course on IPRs was initiated by the Institute as an alternative and a complement to traditional training methods in order to make course materials accessible to large audiences throughout India. It offers new teaching methodologies, specially designed course materials, evaluation tools, tailored means of delivery, and greater accessibility. Teaching would take place in the virtual environment of the Institute's website. A network of tutors on the panel of ILI is available to guide the students. Students and teachers can interact as often as necessary during the course, because communication takes place through email.

Anyone who has access to computer and the internet can benefit from the Institute's

e-learning programme. The syllabus is divided into four components: (i) Patents; (ii) Copyright and Neighbouring Rights; (iii) Trademarks, Geographical Indications and Domain Names; (iv) Management of IPRs. The duration of the course is three months. During the period under report, the 50th to 52nd Batches (three batches) were conducted and a total number of candidates enrolled were as under:

50 th Batch	54 candidates
51 st Batch	59 candidates
52 nd Batch	47 candidates

Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor (SS) was the Coordinator of the programme.

(ii) Cyber Laws

On the lines of the e-learning course on IPR, an e-learning course of three months duration Cyber Law was introduced in the year 2008-2009. The syllabus is divided into four components: (i) Introduction to Cyber World; (ii) Legal Regime; (iii) Cyber Crime and (iv) E- Commerce and IPR in Cyber Law. During the period of the report, the 39th to 41st Batches (Three batches) were conducted. The numbers of candidates enrolled for each batch were as under:

39 th Batch	97 candidates
40 th Batch	64 candidates
41 st Batch	67 candidates

Ms. Arya A. Kumar, Assistant Professor (SS) was the Coordinator of the programme.

E. VISITS

1. Visit of Hon'ble Union Minister of Law and Justice, Mr. Kiren Rijiju to Indian Law Institute on September, 17, 2021

Hon'ble Union Minister of Law and Justice, Shri. Kiren Rijiju paid a visit to the Indian Law Institute and interacted with the faculty members and the administration to discuss about reforms in legal education and role of institutions imparting legal education in facilitating access to justice to the marginalized groups, on 17th September, 2021.

A felicitation programme for the Hon'ble Minister was organized in the Plenary Hall of the Indian Law Institute which was attended by distinguished members of the faculty, library and the administrative staff and Ph.D. research scholars. Shri Anoop Kumar Mendiratta, Secretary, Ministry of Law and Justice graced the occasion as the special guest for the event.



2. Visit of Hon'ble Minister of State for Law and Justice, Prof. S.P.Singh Baghel on October 8, 2021

The Indian Law Institute felicitated Prof. S P Singh Baghel, Hon'ble Minister of State for Law and Justice on 8th October 2021. The event was attended by several prominent guests including Prof. Dr. Ranbir Singh and Reeta Vashist, Secretary, Legislative Dept., Ministry of Law and Justice. The event commenced with the lighting of the ceremonial lamp by the distinguished guests, subsequent to which Prof. Dr. Manoj Kumar Sinha, Director, ILI, welcomed the guests by presenting bouquets of flowers.



Dr. Reeta Vashist, Secretary, legislative Dept., Ministry of Law and Justice subsequently spoke in detail regarding her long association with the Institute, beginning her academic years in Himachal Pradesh. She reiterated the academic engagements she has had with the Institute over the decades, and briefly also described the history of ILI.

3. Visit of Hon'ble Minister of State for Education, on November 11, 2021

The Union Minister of State for Education, Dr. Subhas Sarkar visit to the Indian Law Institute, New Delhi. The Institute fraternity welcomed and felicitated the Minister for his appointment as the Minister of State for Education. Dr. Subhas Sarkar in his address as the Chief Guest of the function appreciated the efforts of the Institute in its academic pursuit of realizing the promise of justice education. In his address, he acknowledged that prior to his visit he had known about the interventions of the Institute in translating legal education into justice education by creating an intellectually stimulating environment that fosters critical legal discourse. He also appreciated the institute for the smooth functioning of academic activities even in testing times and adhering to COVID protocols and providing a safe academic atmosphere for students and faculty.



F. Book Release Function

“Rethinking Law and Violence” edited by Prof. Dr. Jyoti Dogra Sood and Dr. Latika Vashist.

The Indian Law Institute, on 22nd September, hosted the Release of the book titled “**Rethinking Law and Violence**” edited by Prof. Dr. Jyoti Dogra Sood and Dr. Latika Vashist. The Chief Guest of the event was Hon'ble (Ms.) Justice Indira Banerjee, Judge, Supreme Court of India. The event was graced with the presence of researchers, academicians and students who joined the event offline and online. The event was also live streamed across various online platforms.



Prof. Dr. Manoj Kumar Sinha in his formal address welcomed guests on and off the dias and extended his words of gratitude to Hon'ble (Ms.) Justice Indira Banerjee for gracing the occasion. He traced the timeline of publication, from the inception of idea for the book to the final editing process. He pointed out that the purpose of the book is to raise crucial questions among the academic community and legal fraternity and fill the research gaps in the area.





Dr. Latika Vasisht, Asst Professor (Sr.) introduced the book to the gathering.



Dr. Jyoti Dogra Sood addressed the gathering and shared with the audience, the journey the editors embarked to publish the book

Law of Sedition in India and Freedom of Expression Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha and Prof. (Dr.) Anurag Deep on September 24, 2021

A function for the release of the book “Law of Sedition in India and Freedom of Expression” was organized on September 24, 2021, at 4:00 pm. Shri Justice Mahesh Mittal Kumar, Member, National Human Rights Commission and Former Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court, presided over the event as the Chief

Guest.



The event was commenced with the lighting of the lamp by the Chief Guest, post which a bouquet and a token of gratitude were presented to him by Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute.



Prof. (Dr.) Anurag Deep next took the opportunity to speak about the subject of the book and initiated the discussion on the subject by mentioning about the case of *Kedarnath Singh* and how the same continues to be misrepresented even in reputed newspapers as one in which there was no conviction. Prof. (Dr.) Anurag Deep noted that dispelling these misconceptions and clearing

the mystery that shrouds the law of sedition in the country is essential and exclaimed that the book aims at addressing the same.

Dispelling Rhetoric: Law of Divorce and Gender Inequality in Islam edited by Prof. Dr. Manoj Kumar Sinha and Prof. Dr. Furqan Ahmed

The Indian Law Institute, on September 30, 2021, hosted the release of the Book titled “Dispelling Rhetoric: Law of Divorce and Gender Inequality in Islam”, edited by Prof. Dr. Manoj Kumar Sinha and Prof. Dr. Furqan Ahmed. The event was attended by several researchers, academicians, and students – live at the venue as well as via online streaming.



Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha formally welcomed the Guests, all dignitaries, and all other participants to the program, expressing his special gratitude to the Chief Guest Smt. Jyotika Kalra, Member, NHRC and the Guest of Honour, Prof. Dr. Ranbir Singh. He also traced in brief, how the Book came about, from the inception of the idea at Prof. Dr. Furqan Ahmed's behest, to the point of its publication and release. He also expressed his gratitude to Prof. Menski who read and reviewed the Book. It was reiterated that the purpose of the book is to fill the gap in academic research on the subject. This was followed by the address by the Guest of Honour Prof. Dr. Ranbir Singh. He commenced by appreciating Prof. Dr. Furqan Ahmed for his detailed and complex analysis.

XIII. FACULTY ACTIVITIES

Invited/Delivered/Lectures

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI

- ❖ Invited as a Resource person to address the participants of the one week FDP on IPR and Human Rights, organised by Department of Law in association with Department of Commerce, Sidho-Kanho-Birsa University, Purulia on March 23, 2022.
- ❖ Invited as a Chief Guest to deliver Inaugural address to the participants of Two Day FDP programme on “Teaching

Pedagogy and Research Skills” organised by St. Thomas College of Law, Noida on March 21, 2022.

- ❖ Invited to Deliver Keynote Address to the Participants of the Three Day Workshop on Legal Research Methodology, organised by Department of Law, Tezpur University, Assam on March 21, 2022.
- ❖ Invited to an Interactive Discussion on “Russian- Ukraine Conflict: A World Divided by War” organised by Citizens ‘Forum India (CFI) on March 19, 2022.
- ❖ Invited to deliver a talk on, “The Idea of



- Freedom in Contemporary Times: India at Seventy Five” in a National Webinar on Evolving Constitutional Relations Between the Legislature, the Executive and Judiciary, organised by Department of Law and Parliamentary Affairs, Government of Karnataka and Research Centre in Democracy and Constitutional Government on March 18,2022.
- ❖ Invited as a Chief Guest to address in the valedictory function to the participants of the “7th National Youth Parliament Competition”, organised by IMS Unison, Dehradun on March 05, 2022.
 - ❖ Invited as a Special Guest to address in the Valedictory Function of Professor N.R.Madhava Menon Asian Jural Conclave, organised by Lloyd Law College and Menon Institute of Legal Advocacy and Training (MILAT), New Delhi on February 27, 2022
 - ❖ Invited as Guest of Honour in the Inaugural session of 11th International Conference on Human Rights and Gender Rights, organised by Knowledge Steez on February 27,2022.
 - ❖ Invited to deliver a talk on “Extradition and Asylum” to Ph. D. Scholars of the Himachal National Law University, Shimla on February 20,2022.
 - ❖ Invited as a Chief Guest to deliver Inaugural address in the International Conference on “Emerging Digital Transformation in Modern Society-2022” organised by IIMT College of Law, Greater Noida on February 20, 2022.
 - ❖ Invited as Special Guest in the International Conference on “Comparative Law” organised by Amity Law School & Edith Cowan University, Australia on February 19, 2022.
 - ❖ Invited as a distinguished speaker in International Webinar on “Alternate Dispute Resolution Mechanisms, a tool for Speedy Justice-Issues, Challenges and Opportunities” organised by Haldia Law College, Vidyasagar University, West Bengal on February 11, 2022.
 - ❖ Invited as Special Guest in Orientation programme to address the newly inducted students in 3 year LL.B. course in LC II, Faculty of Law, University of Delhi on February10, 2022.
 - ❖ Invited to deliver online lecture on “ Role of State Human Rights Commission and the National Human Rights Commission” to the participants of Faculty Development Programme(FDP) organised by Parul University, Vadodra on February 07, 2022.
 - ❖ Invited to deliver online lecture on “Human Rights and Fundamental Duties” to the participants of Faculty Induction Programme(FIP) organised by HRDC, JNU, New Delhi on February 07 2022.
 - ❖ Invited to deliver a lecture on “Research Method & Project Writing Skill” to the participants of Faculty Development Programme, organised by JEMTEC School of Law, Greater Noida on February 01, 2022.
 - ❖ Invited as a Guest Speaker to speak on, “Atmanirbhar Bharat” organised by Atmanirbhar Bharat Foundation, New Delhi on January 31, 2022.
 - ❖ Invited as the Chief Guest to deliver the inaugural address in the “Rakesh Aggarwal Memorial Conference on “Reshaping the World through Sustainability: Emerging Trends Impacting Development “organised by Ideal Institute of Technology and Management, New Delhi on January 22, 2022.
 - ❖ Invited to deliver a talk on “Interdisciplinary Approach and

- Teaching in Law” to the participants of Faculty Development Programme, organised by Birla School of Law, Bhubaneswar on January 17, 2022.
- ❖ Invited as Chief Guest to address the participants of “3-Day Certification Course on Capacity Building & Personality Development Program to Enhance Employability Skills” organised by Amity Law School, Noida on January 17, 2022.
 - ❖ Delivered a Special Lecture on “Data Analysis” to LL.M. students of ILS College, Pune on January 10, 2022.
 - ❖ Delivered a talk to Winter Course participants on “International Social and Humanitarian Organisations” organised by the Indian Society of International Law, New Delhi on January 06, 2022.
 - ❖ Invited to deliver a talk to Participants of Research Methodology programme, organised by CNLU, 21 December 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to Participants of Faculty Development Programme on “Scientific conduct: Falsification, Fabrication and Plagiarism” organised by HNLU, 20 December 2021.
 - ❖ Invited as Guest of Honour to participate in the One Day International Seminar on “Data Protection and Data Privacy” organised by Law Mantra, December 18, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to Participants of Faculty Development Programme on Implementation of Human Rights: National and International Perspectives” organised by Faculty of Law, Patna University, December 17, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to Participants of Faculty Development Programme on IPR and Human Rights, organised by National Law School, Nagpur, December 14, 2021.
 - ❖ Invited as a Chief Guest to address the Participants on Human Rights, Organised by SRM University, Sonipat, December 10, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to the Participants of a Webinar on “Women and Child Rights” organised by Amity University and the National Human Rights Commission of India.
 - ❖ Invited as a Chief Guest to address the Participants on Human Rights, United Nations & International Law, Organised by My Lawman, New Delhi, December 10, 2021.
 - ❖ Invited as Guest of Honour to address the Participants on Human Rights Day, organised by Department of Law, Bharati Vidyapeeth University, New Delhi, December 10, 2021.
 - ❖ Invited as a Chief Guest to address the Participants on Human Rights, Organised by Department of Law, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar, West Bengal, December 10, 2021.
 - ❖ Invited to address Ph.D. Scholar, “Preparation of Courses and Reading Materials along with a class plan and communication in delivering a class” organised by Faculty of Law, University of Delhi, December 03, 2021.
 - ❖ Invited as a Chief Guest in the Valedictory Function to address the participants of National Conference on the Independence of Judiciary and Rule of Law, organised by AGISS and Independent thought, New Delhi, November 28, 2021.
 - ❖ Invited as Chief Guest to address the Participants of “Constitution Day Celebrations” organised by, Department of Law IMS Unison, November 26, 2021.



- ❖ Invited as Guest of Honour to address the Participants of “Constitution Day Celebrations” organised by Law Centre I, Faculty of Law, University of Delhi, November 26, 2021.
- ❖ Invited as Guest of Honour to address the Participants of UGC Refresher/ Multi Disciplinary Course “Changing Dimensions of Social and Economic Justice in India” Course, organised by Dr. Harisingh Gaur University, November 18, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk to interns of the National Human Rights Commission of India, on “Protection of Human Rights: An International Perspectives” on November 09, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk on the occasion of Azadi ka Amrut Mahotasava to the officials of Ministry of Law & Justice on, “Indian Freedom Movement and Its Impact on Development of Legal Framework of the Country” Shastri Bhavan, New Delhi, November 08, 2021.
- ❖ Invited to Director’s Panel Discussion on “Book, Library as ocean of Knowledge, Civilisation, Culture and National Heritage” organised by Department of Library and Information Science and Delhi University, October 28, 2021.
- ❖ Invited as a Guest of Honour to participate in Professor C.H. Alexandrowich Memorial Lecture, organised by Maharashtra National Law University, Mumbai, October 26, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk on “Hinduism and International Humanitarian Law” to the participants of ‘one week Multidisciplinary Workshop on Interfaith and International Humanitarian Law’ organised by Centre for Advanced Study in International Humanitarian Law (CASH), Department of Political Science, Rajiv Gandhi National Law University, Patiala, October 18, 2021.
- ❖ Invited to address the Participants of Refresher programme on “Legal Research Methodology in the field of Public International Law” organised by Jagran Lake University, Bhopal, October 04, 2021.
- ❖ Invited to address the newly inducted students in the various Law courses of Bharti Vidya Bhavan University, October 04, 2021
- ❖ Invited to address the newly inducted students in the various Law courses of Prestige University, Indore, October 02, 2021.
- ❖ Invited as Chief Guest to address in Orientation Programme to LL.M. students of VIT Law School, Chennai. September 30, 2021
- ❖ Invited to Participate HR Conclave on “Rise of Phygital : The NEW HR 4.1” organised by KIIT Law School, Bhubaneswar, September 25, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk on “Right to Health: National Perspectives” to the participants of Faculty Development Programme, organised by Graphic University, September 22, 2021
- ❖ Invited to deliver 4th Prof. V.S.Mani memorial lecture, organised by the Gujarat National Law University, Ahmadabad, September 20, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk on, “Role of the International Human Rights in maintaining Peace and Security”, organised by Amity Law School, Patna, September 18, 2021.
- ❖ Invited to deliver a special talk on, “How to do Quality Research and Publish

- in Scopus/Index Journal” organised by IQAC centre of MNLU, Nagpur, September 18, 2021.
- ❖ Participated in the 17th ALIN Conference, organised by ALIN secretariat, South Korea, September 15, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk on, “The Taliban Takeover: Geopolitics and Humanitarian Crisis”, organised by Citizens’ Forum India, September 11, 2021.
 - ❖ Invited to deliver Special Address in the inaugural session of the Orientation Programme for the Newly inducted LL.M students, organised by Symbiosis University, Hyderabad, September 6, 2021.
 - ❖ Invited as Chief Guest to address the participants on “Legal Education & New Education Policy: Issues and Challenges” organised by Advocates Campaign for thought Revolution, New Delhi, September 5, 2021.
 - ❖ Received the Great Indian Teacher’s Award, in LEAD Global Conclave 2021, organised by Indian Observer Post, India International Center, New Delhi, September 4, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk on, “Right to Information and Reporting in International Conflict,” organised by NIICE, Kathmandu, Nepal, August 28, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a special talk on “Legal Education” to LL.M. students of Himachal National Law University, Shimla, August 25, 2021.
 - ❖ Invited to deliver Special Address in the inaugural session of the Orientation Programme for the Newly inducted students, organised by the Himachal Pradesh National Law University, Shimla, August 24, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to the participants of the Faculty Development Programme (FDP) on “Protection of Human Rights under the Indian Constitution: Role of the Indian Judiciary”, organised by UGC-HRDC, Ranchi University, August 18, 2021.
 - ❖ Invited as a Resource Person to Speak on, “Role of Legal Education in New Education Policy” organised by Department of Law, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, August 10, 2021.
 - ❖ Invited as Distinguished Guest to talk on, “Careers in Law & Paralegal Disciplines” organised by Sushant University, Gurugram, August 9, 2021
 - ❖ Invited to deliver 2nd lecture of Bar Council of Trust on “Respecting, Protecting and Fulfilling the Right to Health: International and National Perspectives” August 8, 2021.
 - ❖ Invited as Chief Guest to deliver a talk on, “State of Emergency and Human Rights: National and International Perspectives”, on the occasion of the Foundation Day Celebration, St. Xavier Law School, Kolkata, August 3, 2021.
 - ❖ Invited to deliver Key Note address in a 2 day webinar on, Implementation of Human Rights in 21st Century, with Special reference to Covid 19 Pandemic” organised by Surendranath Law College, Kolkata, August 1, 2021.
 - ❖ Delivered Valedictory address to government officials on “ Derogable And Non Derogable Human Rights: National and International Perspectives” organised by LNJL National Institute of Criminology and Forensic Science, Rohini, July 30, 2021
 - ❖ Invited to deliver inaugural lecture to LL.M students on “Research



- Methodology” organised by GLS University, Ahmedabad, July 22, 2021.
- ❖ Invited to deliver a talk to participants of Faculty Development Programme(FDP) on, “ International Humanitarian Law and its Application in Ancient India” organised by HP National Law School, July 20, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to participants of Faculty Development Programme (FDP) on, “Ancient Texts: Research Design and Literature Review” organised by HP National Law School, July 19, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to participants of Faculty Development Programme (FDP) on, “Outcome Based Teaching Learning Methods & Research in Law: A Way Forward” organised by Faculty of Law, Sharda University, July 17, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a special talk “Role of Youth in Nation Building” organised Vikash Law School, Bargarh, Odisha, on the occasion of World Youth Skills Day, July 15, 2021, New Delhi
 - ❖ Invited to deliver a lecture on “Essential Religious Practice Doctrine & Theological Adjudication by Our Constitutional Courts” organised by Gopal Narayan Singh University, Sasaram, July 14, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a lecture on”, “Research Paper Writing: The Do’s & Don’ts” to the participants of the Faculty Development Programme, organised by Adamas University, Kolkata, July 14 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk on, “Status of right to health and in India and across the globe amidst Pandemic” to the members of Informal Discussion Group, NUJS, Kolkata, July 10, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a lecture on “International Human Rights Law” to the interns of the National Human Rights Commission of India, organised by the National Human Rights Commission of India, July 5, 2021, New Delhi.
 - ❖ Invited to deliver keynote address in the Inaugural function on One-Day Seminar on “Human Trafficking, Slavery and Exploitation”, organised by Law Mantra and Maharashtra National Law University, Nagpur on June 26, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to participants of Faculty Development Programme (FDP) on, “Right to Health: National and International Perspectives” organised by Barkatullah University and Droit Penale Group on June 25, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to the participants of the Summer Course on “International Human Rights Law” organised by Indian Society of International Law, New Delhi, on June 21, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk on “Protection of Human Rights in times of Emergency-National and International Perspectives”, on celebration of ‘Spirit of Freedom’, organised by Chotanagpur Law College on June 15, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk to participants of Faculty Development Programme on “Fundamental Rights and Fundamental Duties” organised by the Amity Law School, Noida on June 9, 2021.
 - ❖ Invited to deliver keynote address in the valedictory function on ‘One-Day Seminar on Emerging Trends of Intellectual Property Rights, organised by Law Mantra and Maharashtra National Law University, Nagpur on April 17, 2021.
 - ❖ Invited to deliver a talk on “Human Rights and International Law” to the participants of the Faculty Development Programme, organised by Himachal Pradesh National Law University on April 6, 2021.

Prof (Dr.) Anurag Deep Professor, ILI

- ❖ Invited to deliver a lecture to the students of Ph.D Course Work of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University Kanpur on the topic -"Free Press And Independent Judiciary" which is available online on CSJM Kanpur University you tube channel, on January 04, 2022.
- ❖ Invited as a member of expert panel for BA- Law- course preparation for Faculty of law, IGNOU on January 16, 2022.
- ❖ Invited to deliver two lectures to the students at Birla Law School, Bhubaneswar on the topic "Research Proposal and Research Articles" on January 18-19,2022.
- ❖ Invited to adjudicate IV Bennett National Moot Court Competition of Bennett University, Greater Noida on February13, 2022.
- ❖ Invited to deliver a lecture in the Human Resource Development Centre, Jawahar Lal Nehru University, Faculty Induction Programme – VIII on the topic "Freedom of Speech" on February09, 2022.
- ❖ Invited to chair a technical Session on Comparative Criminal law in the International Conference on "Comparative Law" jointly organised by Amity Law School, Noida, Amity University and School of Business and Law, Edith Cowan University, Australia on February 19, 2022.
- ❖ Invited to deliver a lecture in the ISIL, New Delhi on the topic "Social Action Litigation: Articles 32 and 226" in the P G Diploma Course in Human Rights, International Humanitarian and Refugee Law, Indian Academy of International Law, and Diplomacy on March 04, 2022.
- ❖ Invited to deliver a lecture at "Workshop on Gender Sensitization in SSB" on

Sexual harassment of women at workplace (Decisions of Supreme Court in cases of molestation, eve-teasing and sexual harassment at workplace) at Sashastra Seema Bal Force HQs, R K Puram New Delhi on March 10, 2022.

- ❖ Contributed a chapter entitled "Arrest and Detention: A Proposal for Reforms" in the book *Arrest and Detention in India: Law, Procedure and Practice* published by Sage Publications (2021-22) edited by Dipa Dube and Shruti Bedi.

Prof. (Dr.) Jyoti Dogra Sood, Professor, ILI

- ❖ Delivered a lecture on "Human Rights and Criminal Justice Administration" in an Interdisciplinary Refresher Course in Human Rights organized by UGC-Human Resource Development Centre, Bangalore University, Bengaluru on November 19, 2021.
- ❖ Delivered a lecture on "Best Interest of Child *vis a vis* Juvenile Justice Act , 2015" in Online Faculty Development Programme on Emerging Paradigms of Research Methodology, Innovative Teaching Techniques and Contemporary Legal Facets conducted by ICFAI Law School, The ICFAI University, Jaipur on July 29, 2021
- ❖ Delivered a special address in the Inaugural Session on "A poignant declension from creator to commodity" Women on Domestic Ecosystem and Need of Democracy in Domestic Relations in Two day national webinar organized by IQAC, Government Law College Thiruvananthapuram on July 15, 2021.
- ❖ Delivered a lecture on "Rethinking Criminal Law" in an Online Faculty Development Programme on Law conducted by Knowledge Consortium of



Gujarat, Ahmedabad on July 13, 2021.

Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor (SS)

- ❖ Delivered a session on *Comparative Methodology in Legal Research* in the National Faculty Development Programme (Virtual) on “**Legal Research, Methodology and Legal Writing**” organized by Faculty of Law of SGT University on 26th August, 2021.
- ❖ Invited as Resource Person in Certificate Course on IPR: Tool for Innovators and Entrepreneurs organised by Amity Law School, Noida from 17-25 June 2021. Delivered a one hour session on “*Issues around Patenting Biotechnology*” on June 25, 2021.
- ❖ Invited on “Constitution Day” 26 November, 2021 by Saraswati Institute of Law, Palwal to address their students. Delivered an hour long Guest Lecture at 2 p.m. on the *Centre State Relationship under Constitution of India*.
- ❖ Invited as Expert Panel Member for Dissertation Title Défense Viva at School of Law, Ajeenkya DY Patil University, Pune on April 29, 2021.

Publications

- ❖ Cyber Law 2020 published in *ASIL 2020*

in 2022

- ❖ Geoblocking of Online Content: Copyright, Human Rights and Competition Law Issues in Sivakumar and Lisa P Robin (eds.), *Novel Dimensions of Copyright Law* (Thomson Reuters, 2022).
- ❖ Paper titled “Sharing Genetic Resources Fairly between Nations” in SAGE’s *Medico Legal Journal*, 2021.

Dr. Latika Vashist, Assistant Professor (SS)

- ❖ Inited as speaker on “Feminist understanding of Desire and Body” at Jindal Global Law School, O.P.Jindal Global University, October 22, 2021
- ❖ Invited as speaker on “Domestic Violence and Indecent Representation of Women Act” organised by Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, New Delhi, October 25, 2021.
- ❖ Invited by Dean, IFIM Law School, Bangalore to offer a seminar course titled “Thinking Law and Feminism through Psychoanalysis to BALLB students. The course was jointly conceived and taught with Mr. Amit Bindal, Jindal Global Law School.

XIV. FORTHCOMING ACTIVITIES

LL.M and PG Diploma Examinations

The examinations for PG Diploma courses will start in the month of June, 2022 and the semester end LL.M examinations are scheduled to commence from August, 2022.

Publications on the Anvil

Journal of the Indian Law Institute (JILI)

Vol. 64 (2) (April-June 2022)

Vol. 64 (3) (July-Sep. 2022)

Vol. 64 (4) (Oct-Dec 2022)

Vol. 65 (1) (Jan-Mar 2023)

ILI Newsletter

Vol. XXIV No. 2 (April – June 2022)

Vol. XXIV No. 3 (July – Sept. 2022)

Vol. XXIV No. 4 (Oct. – Dec. 2022)

Vol. XXV No. 1 (Jan. - March 2023)

Annual Survey of India Law – 2021

Index to Indian Legal Periodicals – 2019

Admissions

Admission process for Ph.D/LL.M./Post Graduate Diploma Courses (2022-2023 batches) will begin from April 1, 2022 onwards.

Seminar / Training Programme

Seminar/Conference/Training Programme /Workshop

- ❖ The Indian Law Institute in collaboration with Delhi High Court Mediation & Conciliation Centre, SAARC Law India and SAMADHAN will organise 45 Hours Training Program in Mediation in two parts on April 7-8,2022 and April 13-15,2022.
- ❖ The Indian Law Institute, New Delhi, in association with CLEA & MILAT as part of the Commonwealth Comparative Constitutional and Public Law (3C&PL) Project is offering a Certificate Course on Comparative Constitutional and Public Law on online/hybrid mode on May 27-June 06-2022.
- ❖ The Indian Law Institute in association with Commonwealth Legal Association (CLEA) and menon Institute of Legal Advocacy and Training (MILAT) will offer a Certificate Course on Comparative Constitutional and Public Law from May 4, 2022 and the programme will end on

August 10, 2022 and the programme will end on August 10, 2022. The Course involves 75 hours of teaching (35-40 lectures) between 5-8 p.m. on various themes in hybrid mode.

- ❖ The Indian Law Institute and Lloyds Law College in association with NHRC CLEA & MILAT will organise World Environment Day Observance and International Conference on Sustainability & Subsistence: Human Rights and Environmental Issues on June 05-06, 2022.

Proposed Infrastructure Development

The Institute is planning the following infrastructure & IT development work :

- Installation of Fire Fighting System and Solar Energy System
- Procurement of Storage Area Network (SAN) and its assisted Devices.
- Procurement of Video Conferencing System and PA System for Plenary Hall.
- Restructuring of Institute LAN and Wi-Fi Network.
- Procurement of Software's (Windows Server 2019, Windows 10 and MS Office 2019).
- Proposal for Procurement of Customised Campus Management Software.
- Restructuring and Upgradation of Institute Website.



THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

LIST OF GOVERNING COUNCIL MEMBERS OF ILI

As on 31/03/2022

President

1. Hon'ble Mr. Justice N. V. Ramana
Chief Justice of India
Supreme Court of India
New Delhi

Vice President

2. Mr. Kiren Rijju
Hon'ble Union Minister of Law & Justice
Government of India
Shastri Bhawan
New Delhi

Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
Judge,
Supreme Court of India
New Delhi

Members

4. Hon'ble Mr. Justice Surya Kant
Judge,
Supreme Court of India
New Delhi
5. Chairman,
Law Commission of India
New Delhi
6. Hon'ble Mr. Justice A.M.Sapre
Former Judge
Supreme Court of India
7. Attorney General for India
Supreme Court
New Delhi
8. Solicitor General of India
Supreme Court
New Delhi



9. Mr. Sanjay Jain
Former Additional Solicitor General of India
Supreme Court
New Delhi
10. President
Indian Society of International Law
New Delhi
11. Secretary
University & Higher Education
Ministry of Human Resource Development
Government of India
New Delhi
12. Chairman
University Grants Commission
Bahadurshah Zafar Marg
New Delhi
13. Prof. Ranbir Singh
Former Vice Chancellor
National Law University of Delhi
14. Prof. P. S. Jaswal
Former Vice Chancellor
National Law University
Patiala
Punjab
15. Mr. E.C.Agrawal
Advocate
Supreme Court of India
New Delhi
16. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
Director, ILI

Secretary

17. Mr. Shreenibas Chandra Prusty
Registrar, ILI



THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

MEMBERS – EXECUTIVE COMMITTEE

President

1. Hon'ble Mr. Justice N. V. Ramana
Chief Justice of India
Supreme Court of India
New Delhi

Vice President

2. Mr. Kiren Rijju
Hon'ble Union Minister of Law & Justice
Government of India
Shastri Bhawan
New Delhi

Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L.Nageswara Rao
Judge,
Supreme Court of India
New Delhi

Members

4. Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul
Judge
Supreme Court of India
New Delhi
5. Secretary, Department of Legal Affairs
Ministry of Law & Justice, Government of India
New Delhi
6. Secretary, Department of Expenditure
Ministry of Finance, Government of India
New Delhi
7. Chairman - or nominee of Chairman
University Grants Commission, New Delhi
8. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
Director, ILI

Secretary

9. Mr. Shreenibas Chandra Prusty
Registrar, ILI



THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

LIST OF MEMBERS – ACADEMIC COUNCIL

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice U. U. Lalit
Judge, Supreme Court of India | Chairman |
| 2. | Prof. G. Mohan Gopal
Former Director, NJA & NLSIU
Chairman, NCMS Committee
Supreme Court of India, New Delhi | Member |
| 3. | Prof. Afzal M. Wani
Professor, GGSIP University | Member |
| 4. | Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
Director, ILI | Member |
| 5. | Prof. (Dr.) S.Sivakumar
Senior Professor, ILI | Member |
| 6. | Prof. (Dr.) Jyoti Dogra Sood
Professor, ILI | Member |
| 7. | Dr. Deepa Kharb
Assistant Professor, ILI (SS) | Member |
| 8. | Mr. Shreenibas Chandra Prusty
Registrar, ILI | Secretary |



THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

LIST OF MEMBERS - FINANCE COMMITTEE

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
Judge, Supreme Court of India | Chairman |
| 2. | Nominee from Governing Council | Member |
| 3. | Secretary, Ministry of Law and Justice | Member |
| 4. | Secretary Ministry of Finance | Member |
| 5. | A representative of the ,
University Grants Commission | Member |
| 6. | Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
Director, ILI | Member |
| 7. | Sh. Shreenibas Chandra Prusty
Registrar, ILI | Secretary |





INDIAN LAW INSTITUTE

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL YEAR 2021-22

Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
221-223 Deen Dayal Upadhyay Marg
New Delhi-110 002



THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai,
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772
Fax : 91-11-23230831
E-mail : tvandeca@gmail.com

Independent Auditors' Report

**To the Governing Council
The Indian Law Institute**

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion:

We have audited the accompanying financial statements of **The Indian Law Institute**, which comprise the Balance Sheet as at 31st, 2022, and the Statement of Income, Expenditure and Receipts and Payments Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements of the Institute, read together with Accounting Policy and Notes to Accounts have been prepared in accordance with the applicable Laws, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the other accounting principles generally accepted in India.

Basis for Opinion:

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements:

Management of the Institute is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with applicable Laws and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error and that give a true and fair view of the financial position, financial performance in



accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an Auditors' Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:


- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's uses of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exist related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern.
- We communicated with those charged with governance regarding, among other matter, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings,

including any significant deficiencies in internal control that way identified during our audit.

Report on other Legal and Regulatory Requirements:

- a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. in our opinion, proper books of account as required by relevant laws have been kept by the Institute
- c. so far as it appears from our examination of those books maintained by the Institute.
- d. the Balance Sheet and the Statement of Income and Expenditure, dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained by the Institute.
- e. in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards to the extent applicable.

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000038N



(Anil K. Thakur)
Partner
M. No.: 088722



UDIN: 22088722ATPXAW8132

Place: New Delhi
Date : 21st September,2022



THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

BALANCE SHEET as at 31st March, 2022

	Schedule	As at 31.03.2022 (Rs.)	As at 31.03.2021 (Rs.)
<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
Capital Assets Fund	1	7,23,761	10,52,629
General Fund	2	1011,42,654	1144,50,120
Plan Grant from UGC	3	234,91,776	267,50,264
Special Development Grant from Ministry of Law & Justice	4	200,00,000	-
Specific Funds	5	254,17,546	239,52,646
Current Liabilities	6	135,10,208	92,07,879
TOTAL		1842,85,945	1754,13,538
<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
Fixed Assets	7		
Gross Block		1276,89,020	1243,13,209
Less: Accumulated Depreciation		966,79,755	917,19,525
Net Block		310,09,265	325,93,684
Investments	8	1083,27,198	1192,69,645
Current Assets, Deposits and Advances	9	449,49,482	235,50,209
TOTAL		1842,85,945	1754,13,538

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 20

Schedule Nos. 1 to 20 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000038N




Anil K. Thakur
(Partner)
M.No.088722



Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
(Director)



Shreenibas Chandra Prusty
(Registrar)



Dr. A. K. Verma
(Dy. Registrar)



Ashish Bawa
(Accounts Officer)

UDIN: 22088722ATPXAW9132

Place: New Delhi

Date: 21 SEP 2022




THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

	Schedule	Year Ended 31.03.2022 (Rs.)	Year Ended 31.03.2021 (Rs.)
INCOME			
Grant-in-aid	10	350,00,000	266,50,000
Rent	11	129,75,162	128,73,512
Fees	12	178,98,284	178,94,294
Interest	13	40,77,918	51,52,941
Sale of Journals and other publications	14	7,08,358	1,14,917
Miscellaneous Income	15	72,399	9,71,669
Closing Stock of Publication		26,70,698	23,75,464
TOTAL (i)		734,02,819	660,32,797
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances	16	634,35,190	553,84,796
Administrative Expenses	17	149,40,622	111,89,265
Journal and Publication Expenses	18	22,80,196	22,69,937
Lectures, Seminars and Course Expenses	19	23,05,939	13,49,934
Depreciation on Fixed Assets	7	13,72,874	9,43,935
Opening Stock of Publication		23,75,464	16,79,023
Total (ii)		867,10,285	728,16,890
Surplus/ (Deficit) for the year transferred to General Fund(i - ii)		(133,07,466)	(67,84,093)

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 20

Schedule Nos. 1 to 20 form an integral part of the Accounts
As per our report of even date attached
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000038N

Anil K. Thakur
(Partner)
M.No.088722

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty
(Registrar)

Dr. A. K. Verma
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa
(Accounts Officer)

UDIN: 22088722ATPXAAG132

Place New Delhi

Date: 21 SEP 2022





THE INDIAN LAW INSTITUTE
Bhagwandas Road, New Delhi

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

	(Rs.)	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2022</u> (Rs.)	(Rs.)	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2021</u> (Rs.)
<u>RECEIPT</u>				
Opening Balances:				
Cash in hand	8,950		9,672	
Cash at Bank	<u>112,69,875</u>	112,78,825	<u>125,08,957</u>	125,18,629
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		350,00,000		266,50,000
Special Development Grant from Ministry of Law & Justice		650,00,000		-
Rent		125,48,552		128,73,512
Fees		179,30,284		142,11,469
Interest		1,76,350		2,85,748
Sale of Journals and other publications		7,08,358		1,14,917
Miscellaneous Income		36,958		3,34,321
Specified Funds		1,88,190		3,37,709
Current Liabilities		68,22,169		60,24,309
Project Grants		-		-
Investments		310,08,212		307,51,056
Current Assets, Deposits and Advances		69,05,507		55,66,935
TOTAL		<u>1876,03,405</u>		<u>1096,68,605</u>
<u>PAYMENT</u>				
Salaries & Allowances		438,13,856		403,85,063
Administrative Expenses		129,71,056		124,44,984
Journal and Publication Expenses		10,47,539		15,39,877
Lectures, Seminars and Course Expenses		19,23,818		11,40,962
Special Development Grant from Ministry of Law & Justice		450,00,000		-
Current Liabilities		265,00,571		224,96,418
Fixed Assets		33,67,413		6,98,323
Investments		150,00,000		178,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		232,80,942		18,84,153
Closing Balances:				
Cash in hand	10,169		8,950	
Cash at Bank	<u>146,88,041</u>	146,98,210	<u>112,69,875</u>	112,78,825
TOTAL		<u>1876,03,405</u>		<u>1096,68,605</u>

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000038N

Anil K. Thakur
(Partner)
M.No.088722

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty
(Registrar)

Dr. A. K. Verma
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa
(Accounts Officer)

UDIN: 22089722 A1P XAW 8132

Place: New Delhi

Date: 21 SEP 2022



	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 1		
CAPITAL ASSETS FUND		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2021	10,52,629	14,32,153
Less: Assets written off during the year	-	-
	10,52,629	14,32,153
Less: Transferred to Accumulated Depreciation	3,28,868	3,79,524
	<u>7,23,761</u>	<u>10,52,629</u>

	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 2		
GENERAL FUND		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2021	1144,50,120	1212,34,213
Add: Amount transferred from Income & Expenditure Account	(133,07,466)	(67,84,093)
	<u>1011,42,654</u>	<u>1144,50,120</u>

	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 3		
PLAN GRANT FROM UGC		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2021	267,50,264	308,66,527
ADD: Grant received during the year	-	-
LESS: Depreciation of Fixed Assets (Plan)	32,58,488	41,16,263
	<u>** 234,91,776</u>	<u>** 267,50,264</u>
		267,50,264
** Represented by:		
Balance in Fixed Assets (Net Book Value)	230,95,396	263,53,884
Advances (Refer Schedule 8-E)	5,31,329	5,31,329
Balance Available invested in FDRs/(Excess amount spent)	(1,34,949)	(1,34,949)
	<u>234,91,776</u>	<u>267,50,264</u>

	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 4		
SPECIAL DEVELOPMENT GRANT FROM MINISTRY OF LAW & JUSTICE		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2021	-	-
ADD: Grant received during the year	650,00,000	-
LESS: Payment of Property Tax to NDMC	(450,00,000)	-
Balance as on 31.03.2022	<u>** 200,00,000</u>	<u>-</u>
** Represented by:		
Advances (Refer Schedule 9-E)	200,00,000	
Balance Available	-	
	<u>200,00,000</u>	





	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 5		
SPECIFIED FUNDS		
	(Rs.)	(Rs.)
Life Membership Fund		
Balance as on 01.04.2021	194,63,457	168,74,781
Add: Interest/ Dividend on the investment of the fund	10,39,614	10,64,926
Add: Fee received during the year	1,85,489	15,23,750
Sub-Total (A)	206,88,560	194,63,457
Sulakhna Devi Fund		
Balance as on 01.04.2021	6,30,493	5,93,951
Add: Interest for the year on the investment of the fund	33,151	36,542
Sub-Total (B)	6,63,644	6,30,493
Gold Medal Fund		
Balance as on 01.04.2021	38,58,696	36,24,920
Add: Interest for the year on the investment of the fund	2,06,646	2,33,776
Sub-Total (C)	40,65,342	38,58,696
Grand Total (A+B+C)	254,17,546	239,52,646

	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 6		
CURRENT LIABILITIES		
	(Rs.)	(Rs.)
Expenses Payable	99,41,423	63,43,763
Security Deposit	17,45,186	16,10,186
Earnest Money Deposit	1,31,500	1,31,500
Output GST	2,25,544	2,48,040
Other Liabilities	14,66,555	8,74,390
	135,10,208	92,07,879



SCHEDULE Z

FIXED ASSETS

Particulars	Rate of Dep.	GROSS BLOCK						DEPRECIATION						NET BLOCK			
		As on 01.04.2021		Addition during the year		Total as on 31.03.2022		Upto 31.03.2021		During the year		Upto 31.03.2022		As on 31.03.2022		As on 31.03.2021	
		UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)
Leasehold Land		-	57,694	-	-	57,694	-	-	-	-	-	-	-	57,694	-	57,694	
Building	10%	206,96,047	55,13,771	-	-	208,96,047	206,96,047	55,13,771	75,27,359	11,64,020	2,26,443	87,11,379	34,75,732	20,38,039	131,68,668	22,64,469	
Approach Road	10%	-	5,000	-	-	5,000	-	3,431	-	-	157	-	3,589	1,412	-	1,569	
Electrical Equipments	15%	143,09,465	25,00,664	-	8,560	143,09,465	143,09,465	25,00,664	70,72,630	10,86,492	93,953	81,48,372	18,72,567	5,30,497	72,39,615	6,22,380	
Furniture & Fixtures	10%	89,87,670	15,77,243	-	12,600	88,97,670	88,97,670	15,77,243	47,22,116	4,17,558	70,775	51,39,674	9,53,432	6,99,991	41,75,554	6,94,959	
Office Equipments	15%	5,99,264	19,30,752	-	-	5,99,264	5,99,264	19,30,752	4,61,967	14,584	87,695	4,76,691	14,32,612	4,98,140	97,297	5,68,049	
Library Books	40%	171,15,959	277,46,783	-	22,75,705	171,15,959	171,15,959	277,46,783	164,31,493	2,73,769	9,34,491	167,05,279	276,53,375	23,69,113	6,64,469	10,27,699	
Computers	40%	80,60,007	78,59,070	-	-	80,60,007	80,60,007	78,59,070	85,21,160	2,15,531	1,07,092	87,36,711	76,07,449	1,60,621	5,38,927	2,67,703	
Library Equipments	15%	25,18,426	24,75,678	-	-	25,18,426	25,18,426	24,75,678	20,73,177	69,768	62,856	21,39,865	2,19,495	3,56,183	4,45,251	4,19,039	
Sports Equipments	10%	-	26,519	-	-	26,519	-	18,670	-	895	-	-	20,405	8,054	-	8,949	
Staff Car	15%	-	6,15,000	-	10,79,259	6,15,000	6,15,000	4,26,619	-	60,671	-	-	5,22,690	10,71,668	-	85,161	
Sub-Total(A)		731,66,870	602,10,084	-	33,75,811	731,56,870	731,56,870	602,10,084	485,10,172	441,73,010	46,78,445	600,67,941	459,61,455	230,88,929	263,46,693	60,37,054	
Fixed Assets at Director's Residence	10%	-	3,29,890	-	-	3,29,890	-	2,74,693	-	8,282	-	-	2,82,975	46,925	-	55,207	
Electrical Equipments	10%	22,889	4,53,560	-	-	22,889	22,889	4,53,560	15,713	3,11,242	719	16,432	3,25,476	1,28,104	7,169	1,42,338	
Furniture & Fixtures	10%	-	30,765	-	-	30,765	-	25,617	-	772	-	-	26,389	4,376	-	5,148	
Office Equipments	40%	-	1,09,111	-	-	1,09,111	-	1,09,089	-	9	-	-	1,09,097	14	-	23	
Computers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total(B)		22,889	9,23,345	-	-	22,889	22,889	9,23,345	16,713	7,20,630	719	16,432	7,43,927	6,467	7,185	20,576	
TOTAL COST (A+B)		731,79,759	611,33,440	-	33,76,811	731,79,759	731,79,759	611,33,440	468,25,895	448,93,640	47,50,164	600,84,373	465,56,382	230,95,396	263,63,878	61,39,800	



SCHEDULE - 8
INVESTMENTS

Name of the Fund	With Scheduled Banks			With UTI (Rs.)	Total	
	Uco Bank (Rs.)		Bank of Baroda (Rs.)		As at 31.03.2022 (Rs.)	
	Canara Bank (Rs.)	Total (Rs.)	Total (Rs.)		As at 31.03.2021 (Rs.)	
(a) General Fund						
In Fixed Deposits	-	509,13,605	306,59,514	-	815,73,119	938,54,258
(b) Specified Funds						
Life Membership Fund	-	214,89,965	-	3,00,300	217,90,265	206,88,271
Sulakhna Devi Fund	1,32,509	5,41,855	-	-	6,74,364	6,41,567
Gold Medal Fund	-	42,89,450	-	-	42,89,450	40,85,549
TOTAL	1,32,509	772,34,875	1080,26,898	3,00,300	1083,27,198	1192,69,645



	<u>As At</u> 31.03.2022	<u>As At</u> 31.03.2021
SCHEDULE - 9		
CURRENT ASSETS, DEPOSITS & ADVANCES	(Rs.)	(Rs.)
(A) CASH AND BANK BALANCES		
Cash in Hand	5,900	2,315
Postage Imprest	4,269	6,635
<u>Saving Bank Accounts:</u>		
Uco Bank A/c No.9792	5,44,691	2,18,152
Uco Bank A/c No.257036	136,52,083	109,07,254
Bank of Baroda A/c No.13830100006557	4,52,853	1,33,320
Uco Bank A/c No.02070110120941	15,773	-
Uco Bank A/c No.88227	22,641	11,149
	<u>146,98,210</u>	<u>112,78,825</u>
(B) CLOSING STOCK OF PUBLICATIONS		
	<u>26,70,698</u>	<u>23,75,464</u>
(C) INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT		
General Fund	14,57,007	13,46,155
Sulkhana Devi Fund	11,763	11,409
Life Membership Fund	2,71,605	3,33,985
Gold Medal Fund	56,482	53,737
	<u>17,96,857</u>	<u>17,45,286</u>
(D) AMOUNTS RECEIVABLE		
Ministry of Law & Justice	8,22,847	38,99,163
National Human Rights Commission	2,53,698	2,53,698
Project Grant Receivable	-	75,149
Interest Receivable	1,41,960	44,816
Input Tax Credit (ITC)	66,646	2,27,251
Tax Deducted At Source (GST)	1,03,362	-
TDS Recoverable	11,95,763	11,95,763
	<u>25,84,276</u>	<u>56,95,840</u>
(E) DEPOSITS AND ADVANCES		
Advances to CPWD		
Plan Funds	5,31,329	5,31,329
Non-Plan Funds	<u>200,00,000</u>	<u>31,919</u>
	205,31,329	5,63,248
Advances to Staff	2,000	1,500
Advances to Others		
Plan Funds	-	-
Non-Plan Funds	<u>3,500</u>	<u>3,500</u>
	3,500	3,500
Deposits	60,000	60,000
Prepaid Expenses	26,02,612	18,26,546
	<u>231,99,441</u>	<u>24,54,794</u>
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	<u>449,49,482</u>	<u>235,50,209</u>





	<u>Year Ended</u> 31.03.2022	<u>Year Ended</u> 31.03.2021
Schedule - 10		
Grant-in-aid		
S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Grant received from M/o Law & Justice	350,00,000	266,50,000
	350,00,000	266,50,000

Schedule - 11**Rental Income**

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 O/L Wing - M/o Law & Justice	51,19,320	51,19,320
2 Cental Agencies - M/o Law & Justice	77,52,192	77,52,192
3 Canteen	-	-
4 Annexe & Meeting Rooms	1,03,650	2,000
	129,75,162	128,73,512

Schedule - 12**Fees & Subscription**

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 PG Diploma Courses	62,62,797	74,75,358
2 LL.M. Course	36,83,800	36,07,717
3 Ph.D. Course	4,42,000	4,15,000
4 Admission Process Fee (Diploma/ LL.M/ Ph.D.)	44,15,000	35,92,500
4 Online IPR Course	12,58,600	9,86,700
5 Online Cyber Law Course	17,96,123	16,50,500
6 Library Fees	2,103	2,765
7 Recruitment Application Fee	-	-
8 Membership Fee - Ordinary Members	37,861	1,63,754
	178,98,284	178,94,294

Schedule - 13**Interest Received**

	<u>Year Ended</u> 31.03.2022	<u>Year Ended</u> 31.03.2021
S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Interest on General Fund Investments	38,37,925	48,22,377
2 Interest on Saving Bank Accounts	2,39,993	3,30,564
	40,77,918	51,52,941



Schedule - 14
Sale of Journal & Other Publication

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Annual Survey	73,505	29,500
2 Journal Income	5,98,113	55,888
3 Publication Income	36,600	29,509
4 Newsletter Income	140	20
	<u>7,08,358</u>	<u>1,14,917</u>

Schedule - 15
Miscellaneous Income

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Photostat/ Computer Printing Charges	2,512	2,405
2 Royalty	3,953	3,467
3 Diploma Certificate Charges	-	600
4 Membership I-Card Charges	3,500	800
5 Others	62,434	9,64,397
	<u>72,399</u>	<u>9,71,669</u>

Year Ended
31.03.2022

Year Ended
31.03.2021

Schedule - 16
Salaries & Allowances

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Salaries & Allowances	495,23,458	459,16,176
2 Contribution to Provident Fund	48,14,242	45,44,933
3 Gratuity Expenses paid to LIC	22,18,065	5,73,739
4 Leave Encashment Expenses paid to LIC	34,80,049	12,68,066
5 Leave Encashment with LTC	97,857	1,98,978
6 DA Arrears	6,23,241	-
7 LTC /HTC Expenses	2,98,658	7,93,350
8 Group Mediclaim Premium	14,39,620	9,80,304
9 Honorarium to Staff	49,000	56,250
10 Children Education Allowance	8,91,000	10,53,000
	<u>634,35,190</u>	<u>553,84,796</u>



Schedule - 17**Administrative Expenses**

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Travelling & Conveyance	92,853	1,15,923
2 Security Services	26,65,652	25,17,696
3 Housekeeping and Outsourcing Expenses	41,21,700	40,62,348
4 Electricity & Water	11,43,559	10,29,342
5 Telephone & Fax	88,404	1,00,321
6 Photostat, Printing & Stationary	4,00,113	2,46,968
7 Postage & Stamps	1,37,676	1,41,755
8 Insurance	2,35,725	3,25,366
9 Property Tax to NDMC	29,03,345	-
9 Refreshment	1,49,746	78,490
10 Statutory Auditor's Remuneration	60,000	60,000
11 Internal Auditors's Remuneration	2,30,000	2,30,000
12 Legal & Professional	30,000	20,000
13 Membership & Subscription	1,13,634	93,660
14 Repair & Maintenance	16,52,638	14,62,910
15 Liveries to Staff	60,000	60,000
16 Staff Car Expenses	18,043	15,767
17 Newspaper Reimbursement Expenses	1,70,982	1,62,100
18 Telephone Reimbursement Expenses	1,96,910	1,16,908
19 Recruitment Expenses	1,35,897	44,961
20 Staff Training Expenses	94,300	26,600
21 Library Book Binding Charges	16,095	22,360
22 Miscellaneous	2,23,350	2,55,790
	149,40,622	111,89,265
	Year Ended	Year Ended
	31.03.2022	31.03.2021

Schedule - 18**Journal/ Publication Expenses**

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Journal Expenses	4,85,549	4,86,368
2 Publication/ Annual Survey/ Digitization Expenses	2,46,024	3,91,793
3 Newsletter Expenses	2,04,916	1,72,707
4 Subscription of Journals/ Database	13,43,707	12,19,069
	22,80,196	22,69,937



Schedule - 19

Lecture, Seminar & Course Expenses

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Diploma Course Expenses	10,83,417	5,71,239
2 Ph.D. Expenses	35,839	1,05,025
3 LLM Course Expenses	6,57,786	3,65,775
4 Online IPR Course	24,000	24,000
5 Online Cyber Law Course	24,000	24,000
6 Meeting & Seminar Expenses	3,95,897	2,29,895
7 Scholarship	85,000	30,000
	<u>23,05,939</u>	<u>13,49,934</u>





THE INDIAN LAW INSTITUTE

SCHEDULE – 19

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(A) **Accounting Convention:**

- i. These Financial Statements have been prepared on going concern concept on accrual basis under historical cost convention, and are in compliance with generally accepted accounting principles and the applicable Accounting Standards.
- ii. The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which results are known materialized.

(B) **ACCOUNTING POLICIES**

1.
 - (a) Income from Grants for Specific Projects is accounted for to the extent expenses for the projects are incurred. However, unspent amount of grant is appropriated as income on completion of the projects unless the unspent amount is refundable. Other grants are accounted for as income on receipt basis.
 - (b) Amount overspent, in case of a project, is shown as recoverable.
 - (c) Income from Fees, Annex Rent and Rent from halls is accounted for on cash basis. However, fee received in advance is carried forward to be adjusted in future.
 - (d) Journals purchased for the library and Ordinary Membership Subscription received during the year is accounted for on cash basis.
 - (e) Other items of Income and Expenditure Account of the Institute are accounted for on accrual basis.
 - (f) Interest in investments relating to specified funds is credited to the respective funds.
 - (g) Gratuity and Leave Encashment policies have been taken from Life Insurance Corporation of India and the annual contributions are accounted for as expense, in the relevant year.
 - (h) Life Membership fees and Ordinary Membership fees received and pending for grant of membership is treated as liability.
2.
 - (a) Depreciation was not provided on Fixed Assets upto 31.03.2010 and an amount equal to the cost of fixed assets acquired during the year was appropriated out of surplus for the year and credited to Capital Assets Fund. However, as per the decision of the Executive Committee, annual depreciation was since been calculated on Fixed Assets of the Institute as per the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961 for the year ended 31st March 2011. As decided, annual depreciation on Fixed Assets procured prior to 31.3.2010 amounting to Rs.2,30,74,958 is being adjusted against the Capital Assets Fund and the same practice will be followed till the Assets are fully depreciated and Capital Assets Fund is exhausted.



(b) Assets acquired out of one time UGC Grant have also been capitalized as Fixed Assets. Depreciation on Fixed Assets procured out of Plan Grant received from UGC is adjusted against 'Plan Grant from UGC' (Refer Schedule-3).

3. Cost of Library Books and other publications intended to be kept as reference material in the library is capitalized.
4. The cost of books and Annual Survey published after 1.4.2004 and remaining unsold at the year-end is included in the Closing Stock of Publications.

(C) **NOTES TO ACCOUNTS**


1. The Indian Law Institute is registered u/s 12A of the Income Tax Act 1961, vide letter no. JE-3(34)/62/8250 dated 9th July 1974 issued by the office of The Commissioner of Income Tax, New Delhi.
2. The Institute is approved u/s 10(23C)(vi)(via) of the Income Tax Act 1961 vide Order No. F.No. DGIT(E)/10(23C)(VI)/2010-11/1579 dated 29th March 2011 issued by Director General of Income Tax(Exemption), Ministry of Finance, Government of India.

Further, as per the provisions of the Finance Act 2020, The Institute has been Re-registered under Section 10(23)(vi) of the Income Tax Act, 1961 vide Unique Registration AAATT8926GC20216 dated 28th March, 2022.

3. A Special Development Grant of Rs. 6,50,00,000 Received from Ministry of Law and Justice during the Financial Year 2021-22. Out of the above Grant, The Institute has paid Rs.4,50,00,000 against the Demand for Property Tax amounting Rs.4,55,89,578/- raised by New Delhi Municipal Council (NDMC) for the years 2001-2002 to 2020-21 and Rs.2,00,00,000/- to CPWD as Advance for renovation of the Institute's Building.
4. The Demand for Property Tax raised by New Delhi Municipal Council (NDMC) amounting Rs.4,55,89,578/- for the years 2001-2002 to 2020-21 has been contested by the Institute in Delhi High Court. During the year, the Institute has paid Rs.4,50,00,000/- against the above Demand of Rs.4,55,89,578/- under Protest out of Special Development Grant received from the Ministry of Law and Justice and the balance amount of Rs.5,89,578/- was paid by the Institute out of its own fund. Therefore, as on 31st March 2022, there is no liability of property tax Payable to NDMC
5. The Institute has taken Insurance policy for Leave Encashment and Group Gratuity from Life Insurance Corporation of India. The contributions made and/ or amount determined to be payable to the respective funds are accounted for as an expense.
7. Management has assessed the impact of COVID-19 on its Financials and there is no material impact on the same.
8. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary.


(Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha)
Director


(Shreenibas Chandra Prusty)
Registrar


(Dr. A. K. Verma)
Dy. Registrar


(Ashish Bawa)
Accounts Officer

Place: New Delhi
Date: 21 SEP 2022



65वीं वार्षिक रिपोर्ट (2021-2022)



भारतीय विधि संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001

01.04.2021 से 31.03.2022

फोन : 23387526, 23382190,
2338632, 23389429

फैक्स: 011 -23386321/23782140

ई-मेल : ili@ili.ac.in
वेबसाइट : <http://www.ili.ac.in>

I. भारतीय विधि संस्थान

संस्थान

मुख्यतः कानूनी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में भारतीय विधि संस्थान (आई. एल. आई.) की स्थापना की गई थी। कई वर्षों से अग्रणी न्यायविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। यह सामान्योक्ति है कि बेहतर कानूनी व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज का आधार है क्योंकि कानून एक ऐसा प्रमुख साधन है जिससे समाज समृद्ध और विकसित हो सकता है। राष्ट्रीय विधि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, कानून के रूप में विधिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद विधिक अनुसंधान और विधिक शिक्षा अपेक्षित क्षेत्र थे। दूसरा, सतत् संस्थागत अनुसंधान की आवश्यकता थी जिसमें ऐसी परियोजनाओं को शामिल करना आवश्यक था जिसमें क्षेत्र अध्ययनों और सामूहिक विचार अपेक्षित था। तीसरा, विधिक व्यवसाय की भिन्न-भिन्न शाखाओं को एक ही मंच पर लाना अनिवार्य था जैसे न्यायाधीश, वकील और विधि के अध्यापक ताकि समाज में कानून के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

संस्थान के उद्देश्यों में विधि विज्ञान का पोषण करना, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून में विकसित अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, कानून व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, कानूनी और संबद्ध क्षेत्रों में जांच-कार्य को प्रोत्साहित करना एवं संचालन करना, कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, कानूनी संबंधी अनुदेश देना और अध्ययन सामग्री, पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करना शामिल हैं।

संस्थान, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त निकाय है। संस्थान की स्वायत्ता और उसकी स्वतंत्रता उसके उद्देश्यों और सार्थक अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। संस्थान को निधि मुख्यतः भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय से और सदस्यता शुल्क से तथा प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त होती है। वर्तमान में, कानूनी अध्ययन और कानून के संवर्धन में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे संस्थान के सदस्यों की संख्या लगभग तीन हजार चार सौ बत्तीस है।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के अटर्नी जनरल इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वकील, सरकारी अधिकारी, कुलपति, विधि के संकायाध्यक्ष और प्रोफेसर संस्थान की शासी परिषद के सदस्य हैं।

मानित विश्वविद्यालय

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तारीख 29-10-2004 की अधिसूचना सं. एफ9-9/2001-यू.3 के द्वारा वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान को एनएएसी द्वारा मार्च, 2017 में 'ए' ग्रेड (4.00 में से 3.35 सीजीपीए) के साथ प्रत्यायित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए दौरे और पुनर्विलोकन के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन भारतीय विधि संस्थान के समावेश को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विधि संस्थान को प्राप्तांक प्रत्यायित के आधार पर ग्रेड 2 की स्वायत्तता प्रदान की गई थी।

वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा के बाद संस्थान ने अनुसंधान-परक एलएल.एम.-2 वर्षीय (पूर्णकालिक) तथा पीएच.डी कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2009-2010 में संस्थान ने एलएल.एम.-3 वर्षीय (सायंकालीन) कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2013-2014 के लिए फ्लैगशिप एलएल.एम.-1 वर्ष (पूर्णकालिक) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को इस रूप में तैयार किया गया है कि विद्यार्थी संपूर्ण विश्व की विधिक प्रणाली और न्याय की संकल्पना को तुलनात्मक रूप से समझ सकें। संस्थान विधिक क्षेत्र में अनुसंधान के साथ मानव संसाधन विकसित करने में विश्वास करता है जो कि जब वे वकालत, न्यायपालिका या शैक्षिक क्षेत्र में पदार्पण करें तो वे विश्वव्यापी प्रक्रियाओं से जुड़ी नई संकल्पनाएं और व्याख्याएं प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एलएल.एम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, मानव अधिकार एवं न्यायिक प्रशासन सम्मिलित हैं। भारतीय विधि संस्थान के एलएल.एम पाठ्यक्रम की विलक्षणता कार्यक्रम की एक आवश्यकता के रूप में छात्रों के द्वारा शोध पेपर लिखने में हैं। छात्रों को

एक साथ शोध करने एवं शिक्षण में पर्याप्त निपुणता प्राप्त करने में सहायता करने का विचार है ताकि भविष्य में विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों/स्कूलों के लिए श्रेष्ठ विधि शिक्षकों को तैयार किया जा सके।

संस्थान का एक पीएच.डी कार्यक्रम है जिसमें अभी फिलहाल यहां 28 शोधकर्ता विधि के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शोध कर रहे हैं। विनियमावली को इस तरह से बनाया गया है कि असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही भारतीय विधि संस्थान से पीएच.डी की डिग्री प्राप्त कर सकता है।

संस्थान, कॉरपोरेट लॉ एवं प्रबंधन, साइबर कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआरएस) कानून आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। कॉरपोरेट लॉ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो करोड़ रुपये से कम की शेरर पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी सचिव के रूप में नौकरियों के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि डिप्लोमा करने वाले व्यवसायकर्ता/सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को नवीनतम तकनीक तथा पद्धति से पढ़ाया जाता है। संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं अभ्यास छात्रों को पर्याप्त जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं कार्यकुशल बनाता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है।

संस्थान इंटरनेट ऐज में “आईपीआर और इंफार्मेशन टेक्नालॉजी” और “साइबर लाज़” में तीन माह की अवधि का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी कराता है।

भवन

वर्ष 1962 तक भारतीय विधि संस्थान सर्वोच्च न्यायालय भवन में स्थित था। बाद में डेढ़ एकड़ भूमि पर भगवान दास रोड, नई दिल्ली पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसने स्वयं के भवन का निर्माण कराया। भवन एक अद्वितीय अवसंरचना है, जिसमें चार तल हैं। भूतल पर संस्थान का पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए भंडारण कक्ष, काफ़ेस हाल, सेमिनार तथा कक्षाएं और फैकल्टी, शोध और प्रशासकीय स्टाफ के लिए कार्यालय हैं। सभी कक्षाओं और लेक्चर हॉल का नवीनीकरण कराया गया था। संस्थान में कक्षाओं और हॉल में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए

आवश्यक आधुनिक श्रव्य साधन लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था की गई है।

पुस्तकालय

भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय भारत में अग्रणी विधि पुस्तकालयों में से एक है और इसमें लगभग 83,000 अंक हैं। यह सीरियल प्रकाशनों सहित लगभग 180 नई विधि पत्रिकाएं प्राप्त करता है। पुस्तकालय सुबह 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर तथा शनिवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद रहता है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एलएल.एम. पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए पुस्तकालय की एक अलग विंग पुस्तकें जारी करती है। भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय पुस्तकों, जर्नलों, आयोगों और समिति की रिपोर्टों तथा अन्य प्रकाशनों तक ओपाक और वेब ओपाक की सहायता से पहुंच प्रदान करने के लिए इसकी संपूर्ण सूची को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। पांच हजार पुस्तकों का एक अलग संग्रहण विधिक विद्वानों द्वारा दान किए गए पुस्तकालय के मुख्य हाल के मध्यम तल पर रखा गया है। पुस्तकालय आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, कैब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, हार्ट पब्लिसिंग और एलगर ऑनलाइन जैसे विभिन्न प्रख्यात प्रकाशनों की ई-पुस्तकों के संग्रहण से समृद्ध है।

पुस्तकालय में प्रख्यात डाटाबेस अर्थात् वेस्ट लॉ इंडिया, लेक्सिस इंडिया, जेएसटीओर, केन ऑनलाइन, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इकोनामिक और पोलिटिकल वीकली ऑनलाइन, दि लॉज, टैक्समेन.काम, वर्ल्ड ई-बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आरचिव इत्यादि का अंशदान करती है।

संस्थान यूजीसी-शोधगंगा में अपनी पीएच.डी थिसिस को भी जमा करती है। शोधगंगा डाटाबेस से संस्थान की थिसिस तक पहुंच की जा सकती है। संस्थान भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी भाग है और संस्थान के डिजिटाइज्ड कलेक्शन तक भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

पुस्तकालय दृष्टिहीन छात्रों की सुविधा के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉवस) टाकिंग सॉफ्टवेयर, पियरल इंस्टेंट रीडर और ऐंजल प्रो टाकिंग डिजिटल पाकेट डेसी प्लेयर, ई-बुक रीडर, की-बोर्ड म्यूजिक प्लेयर, रेडियो कम वाइस रिकार्डर-आल इन-वन, डेस्क मेग्रीफायर, स्क्रीन मेग्रीफायर/रीडर से भी सुसज्जित है।

पुस्तकालय की अपने सब्सक्राइब्ड ई-रिसोर्सेज के लिए कनिम्बस (केएनआईबीयूएस) साफ्टवेयर के माध्यम से आफ कैम्पस पहुंच है जो पुस्तकालय के केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाती है। प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को दूर-दराज के स्थानों से ई-रिसोर्सिज की पहुंच के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। पुस्तकालय के पास वाई-फाई टैक्नालॉजी है। यह सुविधा कैम्पस इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से लैपटाप रखने वाले हमारे छात्रों को प्रदान की जाती है। एलएल.एम और संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा के लिए पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्र वेबसाइट के माध्यम से पहुंच के भीतर हैं।

शोधकर्ताओं के लिए शोध संबंधी नैतिकता और पेशेवर सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए शोध में सहायक साफ्टवेयर जैसे रिफ्रेंस मैनेजमेंट साफ्टवेयर – एंडनोट, साहित्यिक चोरी-रोधी साफ्टवेयर – टर्नीटिन और ऑरिजिनल, डाटा विश्लेषण साफ्टवेयर – एसपीएसएस भी उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय शोध प्रबंधन साफ्टवेयर और टूल्स, रिसर्च एथिक्स और साहित्य चोरी, सामग्री विकास, पुस्तकालय डाटाबेस और सेवाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

विधिक सूचना संसाधन केन्द्र (एल आई आर सी)

भारतीय विधि संस्थान ने आधुनिकतम कंप्यूटर और हैवी-ड्यूटी प्रिंटर तथा वाई-फाई तकनीक के साथ विधिक सूचना संसाधन केन्द्र की स्थापना की है। कंप्यूटर, सभी प्रख्यात विधिक डाटाबेस तक पहुंच के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। विधिक सूचना, जिसकी इस केन्द्र द्वारा पूर्ति की जाती है वह केस लाज़, संविधान, विधान, नियम और विनियम, संसदीय बहस, आयोगों और समितियों की रिपोर्टें, लीगल आर्टिकल्स और दुर्लभ दस्तावेज से संबंधित है। पाठकों को यह सूचना प्रिंटआउट और ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। साहित्य चोरी को रोकने के लिए और असली अनुसंधान को बढ़ाने और सहायता करने के लिए 'टर्नीटिन' साफ्टवेयर भी उपलब्ध है।

भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटल इजेशन

भारतीय विधि संस्थान ने संस्थान के प्रकाशनों और पुस्तकालय के दुर्लभ दस्तावेजों को डिजिटल इजेशन किया है। संस्थान ने अपने प्रकाशनों, दुर्लभ दस्तावेजों, लॉ रिपोर्टों को वेबसाइट पर निशुल्क व्यापकतम पहुंच तक जारी किया है। वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल इजेशन सामग्री में 1958 से

2022 तक के भारतीय विधि संस्थान के जर्नल (वाल्जूम 1 से 64), भारतीय विधि का 1965 से 2020 तक का वार्षिक सर्वेक्षण (वाल्जूम 1 से 56), भारतीय विधिक पत्रिकाओं की 1963 से 2017 तक की सूची (वाल्जूम 1 से 55), आयोग और समिति की विभिन्न रिपोर्टें, भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशन, दुर्लभ दस्तावेज, फेडरल न्यायालय की रिपोर्टें, भारतीय विधि की रिपोर्टें- इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, मद्रास, पटना और रंगून की 1876 से 1940 तक की रिपोर्ट, 1868 से 1875 तक की बंगाल विधि रिपोर्टें, विकली रिपोर्ट-1887 से 1893 तक सुदरलैंड, भारतीय उच्च न्यायालय की रिपोर्टें-1862-1875 तक की कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालय की रिपोर्टें और 1862-1875 तक की मद्रास उच्च न्यायालय की 1862-1875 तक की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। इन डिजिटल इजेशन संग्रहों तक पहुंच का लिंक <http://http:14.139.60.114:8080/jspui> है।

प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान पुस्तकों, रिपोर्टों और अपनी शोध परियोजनाओं के अध्ययन के प्रकाशन के अलावा, वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेखों के तिमाही जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (आईएसएसएन सं. 00019 5713) प्रकाशित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का बहुत उच्च स्तर का जर्नल है। इसके अलावा, संस्थान प्रतिवर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन- एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ (आईएसएसएन सं. 0570 2666) प्रकाशित करता है जिसमें कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में नूतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया जाता है। (आईएसएसएन (ऑनलाइन) नंबर आईएसएसएन 0976-1489)।

भारतीय विधि संस्थान प्रत्येक तिमाही में एक समाचार-पत्रक प्रकाशित करता है। संस्थान की सभी गतिविधियों पर सूचनाओं के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारीयों नियमित रूप से संस्थान/विधिक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए प्रकाशित की जाती है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक धरोहर

भारतीय विधि संस्थान एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से मार्च, 2018 में शैक्षणिक पुरस्कारों के लाजिंग, रिट्रीविंग, एंथेनटिकेशन और आनलाइन वेरिफिकेशन के प्रयोजन के लिए एनएडी में डिजिटल धरोहर (डिपोजिटरी) में सम्मिलित हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजना अध्ययन

सम्मेलन, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, विचार-गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान कानून के महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सरकारी विभागों के परियोजना अध्ययनों को भी कराता है।

संस्थान समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार,

II. अध्यक्ष

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे (18.11.2019 से 23.04.2021 तक) और माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (24.04.2021 से 31.03.2022 तक) संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदेन प्रास्थिति में अध्यक्षता से सम्मानित हुआ है।

III. निदेशक

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के निदेशक रहे।

IV. रजिस्ट्रार

श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के रजिस्ट्रार रहे।

V. समिति की बैठकें

संस्थान के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की गई विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं -

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष
1.	शैक्षणिक परिषद्	माननीय न्यायमूर्ति यू.यू. ललित
2.	वित्त समिति	माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव
3.	पुस्तकालय समिति	माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण (27.09.2021 तक) माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत (28.09.2021 से)
4.	भवन समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर
5.	सदस्यता समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित तारीखों पर बैठकें हुईं : -

1.	शासी परिषद्	26.02.2022
2.	वित्त समिति	09.11.2021 और 29.03.2022
3.	सदस्यता समिति	17.04.2021
5.	भवन समिति	20.04.2021

VI. सदस्यता

क्रम संख्या	सदस्यता का प्रकार	31-3-2022 को सदस्यों की संख्या
1.	संस्थापक	30
2.	आजीवन	2810
3.	सामान्य	101
4.	कार्पोरेट	141
5.	मानद	20
6.	पदेन	262
	कुल	3314

VII. भारतीय विधि संस्थान की राज्य इकाइयां

वर्तमान में निम्नलिखित भा. वि. सं. की राज्य इकाइयां हैं :

- भारतीय विधि संस्थान की असम राज्य इकाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी, असम - 781 001.
- भारतीय विधि संस्थान की पंजाब और हरियाणा राज्य इकाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़- 160 001
- भारतीय विधि संस्थान की राजस्थान राज्य इकाई राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान - 342 005
- भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई केरल उच्च न्यायालय, कोच्चि, केरल - 682 031
- भारतीय विधि संस्थान की गुजरात राज्य इकाई गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात - 380 060
- भारतीय विधि संस्थान की पश्चिमी बंगाल इकाई कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 001
- भारतीय विधि संस्थान की बिहार राज्य इकाई पटना उच्च न्यायालय, पटना, बिहार ।
- भारतीय विधि संस्थान की महाराष्ट्र राज्य इकाई बम्बई उच्च न्यायालय, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400 032
- भारतीय विधि संस्थान की जम्मू और कश्मीर इकाई जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर - 190 001
- भारतीय विधि संस्थान की तमिलनाडु इकाई मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600 104
- भारतीय विधि संस्थान की छत्तीसगढ़ इकाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ,छत्तीसगढ़ - 495 220
- भारतीय विधि संस्थान की इलाहाबाद राज्य इकाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद - 211 001
- भारतीय विधि संस्थान की कर्नाटक राज्य इकाई कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु, कर्नाटक - 560 001
- भारतीय विधि संस्थान की झारखंड राज्य इकाई झारखंड उच्च न्यायालय, दोरंदा, जेएपी गांडु के सामने, रांची, झारखंड ।
- भारतीय विधि संस्थान की उड़ीसा राज्य इकाई उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक, उड़ीसा - 753 0002

16. भारतीय विधि संस्थान की आंध्र प्रदेश राज्य इकाई
हैदराबाद उच्च न्यायालय,
हैदराबाद - 500 034
17. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर - 482 001
18. मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल,
मांत्रीपुखरी - 795 002
19. मेघालय उच्च न्यायालय
20. तेलंगाना उच्च न्यायालय
21. त्रिपुरा उच्च न्यायालय,
कैपिटल कैम्पलेक्स, अगरतला,
त्रिपुरा - 799 010
22. भारतीय विधि संस्थान की दिल्ली राज्य इकाई
दिल्ली उच्च न्यायालय
23. भारतीय विधि संस्थान की हिमाचल प्रदेश राज्य
इकाई
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,
शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171 001
24. भारतीय विधि संस्थान की सिक्किम राज्य इकाई
सिक्किम उच्च न्यायालय,
गंगटोक, सिक्किम - 737 101
25. भारतीय विधि संस्थान की उत्तराखंड इकाई
उत्तराखंड उच्च न्यायालय
नैनीताल, उत्तराखंड - 263 002

VIII. प्रतिष्ठित फैलोज

भारतीय विधि संस्थान निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों के
संस्थान के प्रतिष्ठित फैलोज होने पर सम्मान महसूस करता है -

- माननीय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैय्या

IX. मानद प्रोफेसर

संस्थान निम्नलिखित विद्वानों के संबद्ध होने से गौरवान्वित
हुआ है, जिन्होंने भारतीय विधि संस्थान और तृतीय वैश्विक
सामाजिक-विधिक विकास में अत्यंत रुचि दिखाई है :

- डा. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम
न्यायालय, युनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के भूतपूर्व
प्रोफेसर ।

- प्रोफेसर क्लॉरेंस जे. डायस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर
लॉ इन डेवलेपमेंट, न्यू यार्क ।
- प्रोफेसर यश घई, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ,
युनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ।
- प्रोफेसर ए. आर. ब्लेकशील्ड, लॉ ट्रोब युनिवर्सिटी,
आस्ट्रेलिया ।

X. प्रकाशन

अनुसंधान प्रकाशनों का विमोचन

i. जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टिट्यूट

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जर्नल आफ
इंडियन ला इंस्टिट्यूट (जेआईएलआई) का प्रकाशन करता है
। इसमें वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेख होते हैं ।
इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका के रूप में निर्दिष्ट किया
जाता है । रिपोर्टींग अवधि के दौरान पत्रिका के निम्नलिखित
अंकों को प्रकाशित किया गया है :-

खंड 63 सं. 2 (अप्रैल-जून, 2021)
संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 63 सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2021)
संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 63 सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2021)
संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 64 सं. 1 (जनवरी-मार्च, 2022)
संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

भारतीय विधि संस्थान के 1958 से 2019, वाल्यूम 1 से 62
डिजिटाइज्ड संस्करण भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर
उपलब्ध हैं ।

ii आई एल आई रिव्यू (ऑनलाइन)

आई. एल. आई. लॉ रिव्यू 2021 (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंक)- ई-जर्नल भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

iii ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (2019) (वाल्थूम : LVI)

संपादक : प्रो. मनोज कुमार सिन्हा

उपरोक्त सर्वेक्षण में समाविष्ट किए गए क्षेत्र निम्न हैं : प्रशासनिक विधि, सिविल प्रक्रिया, कंपनी विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, सांविधानिक विधि, उपभोक्ता संरक्षण विधि, दांडिक विधि, दांडिक प्रक्रिया, साइबर विधि, पर्यावरण विधि, साक्ष्य विधि, फोरेंसिक विधि, हिंदू विधि, बौद्धिक संपदा विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, श्रमिक प्रबंधन संबंध विधि, गैर-फायदाप्राप्त स्वैच्छिक संगठन, वाणिज्य विधि, मुस्लिम विधि, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक विधि, महिला और विधि और केन्द्रीय विधान ।

भारतीय विधि संस्थान स्टाफ के निम्नलिखित सदस्यों ने ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ - 2020 में योगदान दिया है :

1. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा
अंतरराष्ट्रीय विधि
2. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार
केन्द्रीय विधान
3. प्रो. (डा.) अनुराग दीप
सामाजिक-आर्थिक अपराध
4. प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद
दांडिक विधि
5. सुश्री आर्य ए. कुमार
कंपनी विधि
6. डा. दीपा खरब
साइबर विधि
8. डा. लतिका वशिष्ठ
महिला तथा विधि

“ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2019) के डिजिटाइज्ड वर्जन” को अद्यतन करना

वर्ष 1965 से प्रकाशित एसआईएल “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ के डिजिटल वर्जन” को अद्यतन किया गया है । इसमें 1965 से 2019 तक के 54 खंड हैं । एसआईएल का डिजिटल वर्जन पीडीएफ फार्म में है । एक डीवीडी में डिजिटल वर्जन उपयोक्ता के अनुकूल है । डीवीडी के सर्च इंजन में मेगाडाटा सर्च उपलब्ध है (लेखक, शीर्षक और संयुग्म) ; पूर्ण टेक्स्ट सर्च और डाक्यूमेंट विकल्प में सर्च उपलब्ध है ।

iv. भारतीय विधि संस्थान सूचना-पत्र

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक ‘भा. वि. सं. सूचनापत्र’ का प्रकाशन करता है । सूचना-पत्र में तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलापों और आगामी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल होता है । इसमें तिमाही के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित महत्वपूर्ण मामलों पर भा. वि. सं. संकाय द्वारा लिखित टिप्पणियों को भी लिया गया है । सूचना-पत्र के निम्नलिखित अंकों को अवधि (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के दौरान प्रकाशित किया गया था :

खंड XXIII सं. 2 (अप्रैल-जून, 2021)

खंड XXIII सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2021)

खंड XXIII सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2021)

खंड XXIV सं. 1 (जनवरी-मार्च, 2022)

v. लीगल रिसर्च मैनुअल (विधिक शोध निर्देशिका) पर पुस्तक—

यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से शोध की प्रक्रिया आसान हो गई है, तथापि, साथ-ही-साथ साहित्यिक चोरी और हिंसात्मक पत्रिकाओं संबंधी मुद्दे प्रचलन में आ गए हैं । इन समस्याओं का उपशमन करने के लिए और नीतिपरक सार्थक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विधि संस्थान प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में लीगल रिसर्च मैनुअल लाया है । इस मैनुअल में संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से शोध पद्धति की संकल्पनाओं को स्पष्ट किया गया है और शोध की सर्वोत्तम परिपाटियों का वर्णन किया गया है तथा यह पुस्तक शोध के मानकीकरण में सहायता के लिए उद्धरण देने के तरीकों पर मार्गदर्शक का काम करती है । अतः यह मैनुअल शैक्षणिक विशिष्टता और सत्यनिष्ठा को प्रवर्तित करती है ।

XI. शैक्षणिक कार्यक्रम

शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए दाखिले

एल.एल. एम.-1 वर्षीय कार्यक्रम संचालित करने की स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनायी गई है। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार एलएल.एम. (पूर्ण अवधि 1 वर्ष) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलएल.एम पाठ्यक्रम के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 18.09.2021 को महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, दिल्ली में आयोजित की गई थी। एलएल.एम.-1 वर्ष कार्यक्रम के लिए 191 अभ्यर्थियों में से कुल 135 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा परिणाम 19.11.2021 को अधिसूचित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :-

पीएच.डी.	06 छात्र
एलएल.एम. (1 वर्ष)	40 छात्र
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	235 छात्र
दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल सं.:	281 छात्र

एलएल.एम 1 वर्ष के लिए कक्षाएं 08-11-2021 से शुरू की गईं। जबकि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 04.10.2021 से शुरू की गईं।

परीक्षा – 2021-2022

पीएच.डी. और एलएल.एम. के लिए प्रवेश परीक्षा

- एलएल.एम. (एक वर्ष) और पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा-2021 महाराजा अग्रसेन कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय), वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली में 18.09.2021 को आयोजित की गई। एलएल.एम. में दाखिले के लिए संस्थान को 1210 (दो विदेशी अभ्यर्थियों सहित) आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 696 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में हाजिर हुए। पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 124 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छूटप्राप्त 46 और गैर-छूटप्राप्त 76 थे जिनमें से केवल 39 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में हाजिर हुए। क्रमशः एल.एल. एम. और पीएच. डी. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 1334 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में

बैठे। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का परिणाम अनुमोदित अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया गया।

- एलएल. एम. एक वर्षीय कार्यक्रम 2021-2022 में प्रवेश के लिए मौखिक वार्तालाप 12-14 अक्टूबर, 2021 के बीच आयोजित किया गया। योग्यता अनुसार परिणाम दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को घोषित किए गए।
- छूटप्राप्त और गैर-छूटप्राप्त छात्रों के लिए पीएच.डी. 2021 के दाखिले के लिए साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण दिनांक 12 फरवरी, 2022 को आयोजित किए गए। पीएच.डी.- 2021 में दाखिले का परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2022 को घोषित किया गया।

पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा

- पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षाएं -2020 (पेपर 1 और 2) दिनांक 23 अगस्त, 2021 को आयोजित की गईं।

समेस्टर परीक्षा – एलएल.एम. (2020-2021)

एलएल.एम. एक वर्ष (द्वितीय समेस्टर), 2020 की परीक्षा सितम्बर-अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित की गईं और शोध प्रबंध मौखिक वार्तालाप/प्रस्तुतिकरण दिसम्बर, 2021 में आयोजित किया गया। इसका परिणाम जनवरी, 2022 में घोषित किया गया।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा

- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (सत्र 2021-2022) की वार्षिक परीक्षा -2021 दिनांक 20 जुलाई, 2021 से 02 अगस्त, 2021 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। इसका परिणाम माह अक्टूबर, 2021 में घोषित किया गया।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अनुपूरक परीक्षा माह नवम्बर, 2021 में आयोजित की गईं और इसका परिणाम माह दिसम्बर, 2021 में घोषित किया गया।

XII. संस्थान के क्रियाकलाप

क. वेबिनार/प्राख्यान

दिनांक 14 मार्च, 2022 को “हैडलिंग इरोनियस कंविक्शंस : लर्निंग फ्राम दि अमेरिकन ऐक्सप्रियंस” (गलत दोषसिद्धियों पर विचार : अमेरिका के अनुभव से सीख) विषय पर वेबिनार

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 14 मार्च, 2022 को “हैडलिंग इरोनियस कंविक्शंस : लर्निंग फ्राम दि अमेरिकन ऐक्सप्रियंस” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जस्टिन ब्रक्स, निदेशक, कैलिफोर्निया इन्वोर्सेस प्रोजेक्ट एट कैलिफोर्निया वेस्टर्न स्कूल आफ लॉ, (डा.) जी. एस. बाजपेयी, कुलपति, राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी आफ लॉ, पंजाब और डा. जी. के. गोस्वामी, उत्तर प्रदेश राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक और आंतक विरोधी स्कवायड (एटीएस) के मुखिया थे। समारोह शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों की मौजूदगी से सुशोभित हुआ जो समारोह में ऑनलाइन सम्मिलित हुए। समारोह वेबक्स के माध्यम से हुआ और देशभर से विधि के क्षेत्र में उत्सुकता रखने वाले व्यक्ति ऑनलाइन समारोह में सम्मिलित हुए।



सेमिनार के दृश्य

दिनांक 11 फरवरी, 2022 को “को-आप्रेटिव फेडरेलिज्म” (सहकारी संघवाद) पर वेबिनार

भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित विर्चुअल व्याख्यान श्रृंखला के भागरूप, दिनांक 11 फरवरी, 2022 को “को-आप्रेटिव फेडरेलिज्म” (सहकारी संघवाद) पर डा. विजयश्री श्रीपति, अतिथि विद्वान, क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल वर्क विभाग, युनिवर्सिटी आफ टोलेडो, ओहियो, संयुक्त राज्य द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया गया। डा. विजयश्री ने अपने सत्र में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय विधि और

दिनांक 08 मार्च, 2022 को “जेंडर जस्टिस एंड वुमेनस् राइट्स फार सस्टेनेबल टुमारो” (आने वाले कल के लिए संधार्य लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकार) विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार

विश्वभर में प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समानता और लैंगिक न्याय के लिए महिलाओं के संघर्ष को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय विधि संस्थान और आल इंडिया लायर्स फोरम ने दिनांक 08 मार्च, 2022 को “जेंडर जस्टिस एंड वुमेनस् राइट्स फार सस्टेनेबल टुमारो” (आने वाले कल के लिए संधार्य लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकार) विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार करके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती इंदिरा बनर्जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं। सुश्री विभा दत्त मखीजा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय ने इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने विश्वभर में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन के महत्व को अभिज्ञात करते हुए स्वागत भाषण दिया।



सांविधानिक विधि कैसे जटिलतापूर्वक परस्पर सहबद्ध हैं और इन विषयों से क्यों जनसांख्यिकी (डीमाग्राफी) की बात उत्पन्न होती है। उनका व्याख्यान सहकारी संघवाद की पृष्ठभूमि में भारत में सांविधानिक सुधारों और इसे सुव्यस्थित करने में वैश्वीकरण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। यह सत्र प्रोफेसर (डा.) अनुराग दीप और प्रोफेसर (डा.) ज्योति डोगरा सूद, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान की उपस्थिति से सुशोभित हुआ। इस ज्ञानप्रद सत्र के पश्चात् प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि

संस्थान ने डा. विजयश्री का उनकी गहन जानकारीयुक्त इस वक्तव्य के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन हुआ।

दिनांक 09 फरवरी, 2022 को “प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन दि टुवेंटी फस्ट सेंचरी” (21वीं शताब्दी में मानव अधिकारों का संरक्षण) विषय पर वेबिनार

भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित विर्चुअल व्याख्यान श्रृंखला के भागरूप दिनांक 09 फरवरी, 2020 को “प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन दि टुवेंटी फस्ट सेंचरी” (21वीं शताब्दी में मानव अधिकारों का संरक्षण) विषय पर प्रोफेसर (डा.) ब्रंटज जी. रामचरण, भूतपूर्व उच्चायुक्त, मानव अधिकार (एजी), जेनेवा द्वारा एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रोफेसर (डा.) ब्रंटज जी. रामचरण ने अपने व्याख्यान में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में मानव अधिकारों के विकास और 21वीं शताब्दी में इनको लागू करने में आने वाली चुनौतियों को व्यापक रूप से स्पष्ट किया। उन्होंने जटिल परिदृश्यों पर एक भिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से अवलोकन करने और श्रोताओं का समालोचनात्मक प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

दिनांक 03 फरवरी, 2022 को “बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स : हाव टु मूव फारवर्ड ?” कारबार और मानव अधिकार : कैसे अग्रसर हुआ जाए) विषय पर वेबिनार

लॉ मंत्रा द्वारा भारतीय विधि संस्थान, राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी आफ लॉ, पंजाब, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर और साइबर लॉ तथा न्यायालयिक विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण पर उन्नत केंद्र (एडवांस्ड सेंटर ऑन रिसर्च, डेवलेपमेंट एंड ट्रेनिंग इन साइबर लॉ एंड फॉरेंसिक्स), नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलोर के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति ए. मुहमद मुस्ताक, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने भारत में आगामी डाटा संरक्षण पर विधान और अंतरराष्ट्रीय जगत पर इसका कैसा प्रभाव होगा, पर बल दिया।

दिनांक 09-10 दिसम्बर, 2021 को “इंटरसेक्सुअल आफ ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ” (मानव अधिकारों के विभेदक और दांडिक विधि) विषय पर

वेबिनार

ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ प्रोग्राम, स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ (जेएनयू) ने सेंटर फार इन्नर एशियन स्टडीज़, स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़ (जेएनयू) और भारतीय विधि संस्थान (दिल्ली) के सहयोग से दिनांक 09-10 दिसम्बर, 2021 को “इंटरसेक्सुअल आफ ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ” (मानव अधिकारों के विभेदक और दांडिक विधि) विषय पर मानव अधिकार दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

प्रस्तुतिकरण चार सत्रों में आयोजित किया गया, जिनमें सत्र-1 “राइट्स जूरिसप्रुडेंस एंड क्रिमिनल लॉ” पर (सत्राध्यक्ष – प्रो. संगीता थपलियाल, जेएनयू), सत्र-2 “प्रोपोजल्स फार क्रिमिनेलाइजेशन एंड डिक्लिमिनेलाइजेशन” पर (सत्राध्यक्ष – प्रो. शरद के. सोनी, जेएनयू) सत्र-3 “क्राइम्स एंड पनिसमेंट्स” पर (सत्राध्यक्ष – प्रो. अंजू वली टिकू, डीयू) और सत्र-4 “रिफॉर्मस इन दि फ्यूचर” पर (सत्राध्यक्ष – डा. उपमा गौतम, जीजीएसआईपीयू) था।

वेबिनार की संकल्पना मानव अधिकारों के संरक्षण और उनके अतिक्रमण के निवारण के लिए प्रतिषेध और दंडित करने की राज्यों की अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के अधीन दायित्व को ध्यान में रखते हुए की गई थी। प्रतिषेध और दंडित करने की राज्यों की आबद्धताओं ने विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के अधीन दांडिक नियमों और प्रक्रियाओं को प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप विधायिकी ढांचे, विधिक औचित्यों और दंडों का लगभग सामान्यीकरण किया गया। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की कार्यप्रणाली में, राज्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अधिदेश के साथ अपनाई गई दांडिक विधियां, राज्यों के स्तर पर इसके अनुपालन की सूचक या संकेतक हैं। हाल के वर्षों में, दो क्षेत्रों अर्थात् अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों और घरेलू विधियों के बीच इंटरफेस ने विश्व के विभिन्न भागों में विधिशास्त्र, राजनैतिक और सांविधानिक बहसों को बहुत अधिक प्रस्फुटित किया है। इस पृष्ठभूमि में, सुसंगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मानव अधिकार दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

दिनांक 03 नवम्बर, 2021 को “दि राइट्स आफ इंडीजिनियस एंड दि रिलेशनशीप विद दि राइट्स आफ नेचर इन दि इंटर अमेरिकन कोर्ट आफ ह्यूमन राइट्स” (मानव अधिकारों पर अंतः अमेरिकन न्यायालय में देशवासियों के मानव अधिकार और नैसर्गिक अधिकारों के साथ संबंध) विषय पर वेबिनार

बंधन को सीमाओं के परे पोषित करने की परम्परा को जारी रखने के लिए भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 03 नवम्बर, 2021 को “दि राइट्स आफ इंडीजिनियस एंड दि रिलेशनशीप विद दि राइट्स आफ नेचर इन दि इंटर अमेरिकन कोर्ट आफ ह्यूमन राइट्स” (मानव अधिकारों पर अंतः अमेरिकन न्यायालय में देशवासियों के मानव अधिकार और नैसर्गिक अधिकारों के साथ संबंध) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें प्रो. (डा.) अलेक्स वाल्ले फ्रांको, प्रोफेसर आफ लॉ, आईएईएन/पीयूसीई युनिवर्सिटी, एक्वाडोर को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रो. (डा.) अलेक्स वाल्ले फ्रांको ने अपने वक्तव्य में एक्वाडोर में नैसर्गिक अधिकारों की बाबत सांविधानिक उपबंधों और एक विधिक विषय के रूप में इनकी प्रास्थिति के बारे में विस्तार से बताया तथा इसी प्रकार के मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए मानव अधिकार पर इंटर अमेरिकन न्यायालय के विनिश्चयों का सविस्तार वर्णन किया।

दिनांक 05 अक्तूबर, 2021 को “ह्यूमन राइट्स इन ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट : अचिवमेंट्स एंड चेलेंजिज बाय प्रो. (डा.) जायरो लिमा, स्टेट युनिवर्सिटी आफ नार्दर्न पारना (यूईएनपी)” (ब्राजील के उच्चतम न्यायालय में मानव अधिकार : उपलब्धियां और चुनौतियां विषय पर प्रो. (डा.) जायरो लिमा) द्वारा वेबिनार

दिनांक 05 अक्तूबर, 2021 को “ह्यूमन राइट्स इन ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट : अचिवमेंट्स एंड चेलेंजिज” (ब्राजील के उच्चतम न्यायालय में मानव अधिकार : उपलब्धियां और चुनौतियां) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रो. (डा.) जायरो लिमा, स्टेट युनिवर्सिटी आफ नार्दर्न पारना (यूईएनपी) में प्रोफेसर को आमंत्रित किया गया। प्रो. (डा.) जायरो लिमा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे ऐसे विषयों पर समारोहों ने भारतीय और ब्राजील के शिक्षाविद् विद्वानों के बीच वार्तालाप की शुरुआत के लिए पहल की। अपने वक्तव्य के आरंभ में, प्रो. (डा.) जायरो लिमा ने संविधानात्मक माडल की उस विशिष्टता के बारे में वर्णन किया जो ब्राजील और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के साथ संबद्ध है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे ग्लोबल नार्थ और ग्लोबल साउथ के बीच समानताएं और विभिन्नताएं दोनों विद्यमान हैं और इसलिए यदि दोनों व्यवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में आदान-प्रदान

किया जा सके तो बड़ी सीख ली जा सकती है।



दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को “जूडिशियल एक्टिविजम फेंडामेंटल राइट्स एंड दि ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट हाउस डिसिजंस डयूरिंग कोविड-19” (कोविड-19 के दौरान मूल अधिकारों पर न्यायिक सक्रियता और ब्राजील उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय) विषय पर वेबिनार

यह एक सतत् प्रयास है कि ऐसा समावेशी अनुसंधान किया जाए जो अनुशासन, विधिक व्यवस्था, अधिकारिता की सीमाओं से परे हो और विविध आयामों का द्योतक हो। इसी उद्देश्य को लेकर दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रो. (डा.) डेलटन रिबेरियो ब्रासिल, प्रोफेसर, युनिवर्सिटी आफ ईताउना, मिनास जेराइस, ब्राजील को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सर्व विदित है कि कैसे महामारी के कारण विश्वभर में सभी देशों और उनकी विधिक व्यवस्थाओं तथा न्यायिक निकायों को अभूतपूर्व परिणाम झेलने पड़े हैं। इस बात को समझने के लिए कि कैसे कोविड-19 के कारण आई चुनौतियों का ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने सामना किया है, इसी विषय - “जूडिशियल एक्टिविजम फेंडामेंटल राइट्स एंड दि ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट हाउस डिसिजंस डयूरिंग कोविड-19” (कोविड-19 के दौरान मूल अधिकारों पर न्यायिक सक्रियता और ब्राजील उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय) पर वक्तव्य का आयोजन किया गया।

दिनांक 31 अगस्त, 2021 को “कांस्टिट्यूशनल सिम्प्टम : ए साईकोएनालाइटिक रीडिंग आफ आर्टिकल 343” विषय पर वेबिनार

श्री सुबारिश सुरेश ने “कांस्टिट्यूशनल सिम्प्टम : ए साईकोएनालाइटिक रीडिंग आफ आर्टिकल 343” विषय पर

अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय और भाषायी तादात्म्य के ऐतिहासिक और मानसिक सृजन के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस तादात्म्य के निर्माण में भाषा और मुद्रण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। और कैसे यह संपूर्ण भाषाई—राष्ट्रीय तादात्म्य संबंध का संचालन प्रतीयमानतः मूल मानसिक आघात के दमन द्वारा, कम से कम भारत में, तीव्र हुआ है और जोरदार रूप से सुदृढ़ हुआ है। इस वक्तव्य में भारत के संविधान में भाषाई उपबंध के विश्लेषण के माध्यम से इसकी वापसी के समनुरूप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया।

भारतीय विधि संस्थान भूतपूर्व छात्र संघ (एआईएलआईए) के क्रियाकलाप

विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी अनेक विपत्तियां लेकर आई, जहां विश्वभर में अनेकों लोगों की आजीविका चली गई, नियोजन और सुरक्षा का भाव खत्म हो गया। यहां तक कि आज भी, इस विकराल और खतरनाक महामारी का संपूर्ण मानवता को निगलना जारी है और लोगों के कष्ट दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि विश्वभर की सरकारें इस महामारी के प्रभावों को कम करने का प्रयास कर रही हैं, किंतु यह काम अत्यंत कठिन प्रतीत होता है तथा और अधिक समन्वित और संकेंद्रित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारतीय विधि संस्थान के भूतपूर्व छात्र संघ (एआईएलआईए) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के भूतपूर्व छात्रों का एक स्वायत्त संघ है, जो 09 नवम्बर, 2019 से संचालन में है। यह एक गैर-राजनैतिक, गैर-फायदाप्राप्त, तकनीकी/सामाजिक/विधिक अनुसंधान और चेरिटेबल संगठन है जिसका सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के उपबंधों के अधीन कानूनी रजिस्ट्रीकरण है। महामारी के परिणामस्वरूप, इसने मानवता के प्रति अपने पवित्र उत्तरदायित्व को संभाला और समाज के उन गरीब तथा शोषित वर्गों की दशा में सुधार लाने के लिए सक्रियता से काम किया जो कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के कारण अवांछित अभाव के शिकार हो गए।

एआईएलआईए अब तक अपने भूतपूर्व छात्रों, ज्येष्ठ अधिवक्ताओं और आम लोगों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से बहुत सारे लोगों को भोजन (शुष्क खाद्य सामग्री और पका भोजन), मास्क आदि उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करने में समर्थ रहा है। इस संपूर्ण अवधि के दौरान, एआईएलआईए के सदस्यों द्वारा कई सारे ऐसे कार्यकलाप किए गए तथा इसी प्रकार के कार्यों के लिए योगदान अबाधित जारी रखने का संकल्प लिया।



एआईएलआईए के सदस्यों और स्वयंसेवकों द्वारा शुष्क खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक चीजों का वितरण

ख. आजादी का अमृत महोत्सव

औपनिवेशिक शासन की दासता से हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता प्राप्ति के संस्मरण की भावना से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिव्य कल्पना के अधीन आजादी का अमृत महोत्सव – दिनांक 12 मार्च, 2021 से प्रारंभ होकर पचहत्तर सप्ताह की अवधि के लिए देशभर में आयोजित किए जाने वाले समारोहों की श्रृंखला का संचालन किया। दिनांक 12 मार्च, 1930 वह दिन था जब महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह का आरंभ करते हुए ऐतिहासिक दांडी मार्च करने के लिए कदम बढ़ाए थे। इस महत्वपूर्ण दिवस की महता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आनंदोत्सव की शुरुआत करने के लिए इस दिन के बजाय कोई अन्य बेहतर तारीख नहीं हो सकती थी। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ का प्रतीक था और यह आज भी सत्य और अहिंसा की शक्ति के दृढ़ साक्ष्य के रूप में स्थित है। यह आंदोलन अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध लोगों के विद्रोह की बुलंद आवाज था और यह गांधी के इन शब्दों में गूंजा था, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि किसी राज्य के प्रति निष्ठा पाप जितनी भ्रष्ट है, अनिष्ठा नैतिकता है।

आजादी के अमृत महोत्सव की परिकल्पना का चयन पांच विषयों के इर्द-गिर्द किया गया है : स्वातंत्रता संग्राम, विचार @ 75, संकल्प @ 75, कार्य @ 75 और उपलब्धियां @ 75.

इसी पहल के भागरूप, भारतीय विधि संस्थान ने उन प्रख्यात विधिवेत्ताओं, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान श्रृंखला को आयोजित करने की संकल्पना की, जो हमारे इतिहास में पीछे मुड़कर दृष्टिपात करने के लिए आत्म-विवेचन और आने वाले वर्षों के लिए एक प्रगतिशील कल्पना हेतु निम्न विविध विषयों पर चर्चा करेंगे :-

➤ **दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को इंडियन कांस्टिट्यूशन - लिविंग डाक्यूमेंट (भारतीय संविधान - सजीव दस्तावेज)**

भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को **इंडियन कांस्टिट्यूशन - लिविंग डाक्यूमेंट (भारतीय संविधान - सजीव दस्तावेज)** विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रति वर्ष 26 नवम्बर संविधान दिवस के रूप में वर्ष 1949 के उस ऐतिहासिक दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर का कीर्तिगान करने के लिए, वक्तव्य का विषय भारत के संविधान की गतिशीलता पर केंद्रित था। **प्रो. (डा.) टी. वी. सुब्बा राव, मानद प्रोफेसर, विवेकानंद स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज और भूतपूर्व प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलोर** को इस सत्र में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस समारोह को **प्रो. (डा.) आर. वेंकट राव, सभापति, विवेकानंद स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (वीएसएलएलएस)** द्वारा भी सुशोभित किया गया। **प्रो. (डा.) टी. वी. सुब्बा राव** ने अपने व्याख्यान में भारत के संविधान को अंगीकृत करने के इतिहास का उल्लेख किया और यह प्राख्यान दिया कि संविधान और इसके सिद्धांतों के प्रति जागरूकता सभी के लिए आश्यक है।

➤ **दिनांक 14 नवम्बर, 2021 को कार्टोग्राफिंग आईपी इसूज इन सोशल मिडिया**

भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2021 को कार्टोग्राफिंग आईपी इसूज इन सोशल मिडिया (सोशल मिडिया में आईपी मुद्दों का रेखाचित्रण) विषय पर एक वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) वी. सी. विवेकानंदन,**

कुलपति, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ युनिवर्सिटी को इस वक्तव्य के लिए अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। **प्रो. (डा.) वी. सी. विवेकानंदन** ने अपने व्याख्यान में उन जटिल विधिक मुद्दों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया जो सोशल मिडिया और बौद्धिक संपदा के साथ इसके इंटरफेस के क्षेत्र में प्रकटित हुए हैं। सोशल मिडिया जगत की एक नये विर्चुअल 'गणराज्य' से समानता करते हुए **प्रो. (डा.) विवेकानंदन** ने मिडिया के नवीन और पुरातन रूपों के बीच विभेद को स्पष्ट किया और सोशल मिडिया के क्षेत्र में कैसे बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था की परिचालन संबंधी कठिनाईयां हैं।

➤ **दिनांक 13 नवम्बर, 2021 को दि लिमिट्स आफ लिबर्टी : राइट्स एंड ड्यूटिज इन दि कांस्टिट्यूशन (स्वतंत्रता की सीमाएं : संविधान में अधिकार और कर्तव्य)**

भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2021 को दि लिमिट्स आफ लिबर्टी : राइट्स एंड ड्यूटिज इन दि कांस्टिट्यूशन (स्वतंत्रता की सीमाएं : संविधान में अधिकार और कर्तव्य) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) दिलीप उकी, कुलपति, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, मुम्बई** ने इस सत्र के लिए वक्ता के रूप में इस समारोह को सुशोभित किया। **प्रो. उकी** ने अपने व्याख्यान का प्रारंभ स्वतंत्रता की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए किया। उन्होंने प्रभावशाली अंग्रेज दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री, **जे. एस. मिल** के विचारों को निर्दिष्ट किया जिनकी 'स्वतंत्रता (लिबर्टी)' पर उत्कृष्ट कृति में स्वतंत्रता के आदर्शों के बारे में गवेषणा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवश्यक पठन-सामग्री समाहित है। **प्रो. (डा.) उकी** ने अभिव्यक्त किया कि मिल ने स्वतंत्रता की धारणा को सदैव सर्वोच्च शिखर पर रखा था और यह प्रतिपादित किया था कि किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या कोई परिसीमा केवल तभी न्यायोचित हो सकती है यदि इससे 'अपहानि के सिद्धांत' (हार्म प्रिंसिपल) का समाधान हो सकता हो।

➤ **दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को कांस्टिट्यूशन एंड कम्पोजिट कल्चर (संविधान और मिश्रित संस्कृति)**

आजादी का अमृत महोत्सव व्याख्यान श्रृंखला के भागरूप, भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को कांस्टिट्यूशन एंड कम्पोजिट कल्चर (संविधान और मिश्रित संस्कृति) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) एस. सूर्य प्रकाश, कुलपति, दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, विशाखापटनम** इस सत्र के लिए अतिथि वक्ता थे। प्रो. (डा.) एस. सूर्या ने अपने व्याख्यान में शानदार संस्कृति और भारतीय सभ्यता की समृद्ध परम्परा का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि कैसे भारत का संविधान इस मिश्रित संस्कृति से व्युत्पन्न मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों का साकार रूप है।


➤ **दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को दि कांस्टिट्यूशन इन इट्स ऐटथ डिकेड (संविधान अपने आठवें दशक में)**

दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को दि कांस्टिट्यूशन इन इट्स ऐटथ डिकेड (संविधान अपने आठवें दशक में) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) सुधीर कृष्णास्वामी, कुलपति, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया युनिवर्सिटी** इस वक्तव्य के लिए अतिथि वक्ता थे। प्रो. कृष्णास्वामी ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ उन कारणों को रेखांकित करते हुए किया कि क्यों हमें स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूर्ण होने पर इसे मनाना चाहिए। उन्होंने यह अभिव्यक्त किया कि राष्ट्र की स्वतंत्रता का समारोह संप्रभुता की प्राप्ति, स्वयं अपना मनपंसद कार्य करने और स्वयं अपनी गलतियां करने के अधिकार की जीत की वास्तविकता का समारोह है। इसके अतिरिक्त, इस समारोह में उन विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक ताकतों जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे और उस विलक्षण सामाजिक-आर्थिक ढांचे का भी अवश्य कीर्तिगान सम्मिलित होना चाहिए जिसमें हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता प्रकटित हुई थी।

➤ **दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को क्वेस्ट फार बलेन्सड एप्रोच आन मेंटिनेंस लॉज इन इंडिया (भारत में भरण-पोषण संबंधी विधियों पर संतुलित दृष्टिकोण की खोज)**

दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को क्वेस्ट फार बलेन्सड

एप्रोच आन मेंटिनेंस लॉज इन इंडिया (भारत में भरण-पोषण संबंधी विधियों पर संतुलित दृष्टिकोण के लिए खोज) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) निर्मल कांति चक्रवर्ती, कुलपति, वेस्ट बंगाल नेशनल युनिवर्सिटी आफ जुरिडिकल साइंसिज** इस सत्र के लिए अतिथि वक्ता थे। प्रो. (डा.) चक्रवर्ती ने अपने व्याख्यान में देश में विक्रिम जस्टिस सिस्टम के उद्भव और विकास, अंतर्निहित दार्शनिकता, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों तथा भारत में विपदग्रस्त के लिए प्रतिकर और विपदग्रस्त की सहायता से लेकर उक्त विषय के कई पहलुओं पर चर्चा की।



➤ **दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को इंडियन फिलॉसफी रिफ्लेक्टिंग थ्रो दि कांस्टिट्यूशन : स्पेशल रिफ्रेश टू फेंडामेंटल ड्यूटिज (संविधान के माध्यम से प्रतिबिम्बित भारतीय दार्शनिकता : मूल कर्तव्यों के प्रति विशेष निर्देश)**

दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को इंडियन फिलॉसफी रिफ्लेक्टिंग थ्रो दि कांस्टिट्यूशन : स्पेशल रिफ्रेश टू फेंडामेंटल ड्यूटिज (संविधान के माध्यम से प्रतिबिम्बित भारतीय दार्शनिकता : मूल कर्तव्यों के प्रति विशेष निर्देश) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। **प्रो. (डा.) अमर पाल सिंह, संकायाध्यक्ष, युनिवर्सिटी स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, गुरु गोविंद सिंह इंदुप्रस्थ युनिवर्सिटी** इस सत्र के लिए अतिथि वक्ता थे। प्रो. (डा.) अमर पाल सिंह ने अपने व्याख्यान में उजागर किया कि कैसे लोगों में एक सामान्य समझ है कि भारतीय संविधान देशज भारतीय दार्शनिकता का प्रतिबिंब नहीं है। उन्होंने इस धारणा का खंडन किया और के. पी. जायसवाल और ए. एस. अल्टेकर जैसे भारतीय इतिहासकारों के योगदान के बारे में

यह अभिदर्शित करने के लिए चर्चा की कि कैसे प्रजातंत्र पर आधारित आधुनिक शासन व्यवस्था, स्वायत्त शासन और प्रतिनिधित्व मध्यकालीन भारतीय परिदृश्य का पहले ही भाग थे।



- **दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को नेशनल युनिटी डे एंड कंटेम्परेरी इम्प्रेटिव्स फार लीगल रिसर्च इन इंडिया (राष्ट्रीय एकता दिवस और भारत में विधिक अनुसंधान के लिए समकालीन अत्यावश्यक बातें)**

दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को कंटेम्परेरी इम्प्रेटिव्स फार लीगल रिसर्च इन इंडिया विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. (डा.) अफजल वाणी ने समारोह में वक्तव्य दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्र का प्रारंभ राष्ट्रीय अखंडता के कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्मरण करते हुए किया गया। सत्र का प्रारंभ करने के लिए, प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने सभी सहभागियों को हिंदी तथा अंग्रेजी में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। शपथ के पश्चात्, प्रो. (डा.) वाणी ने अपना व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने सहभागियों को देश में विधिक शिक्षा की परिवर्तित भूमिका के बारे में अवगत कराया। प्रो. (डा.) वाणी ने यह उल्लेख किया कि 'समाज में विधि के कार्यों' की समझ-बूझ के विकास के लिए विधिक शिक्षा का दिया जाना आवश्यक है। विधिक शोध की ओर अपना ध्यान मोड़ते हुए, प्रो. (डा.) वाणी ने रेखांकित किया कि कैसे देश में विधिक

शोध पर्यावरणीय मुद्दों, लैंगिक न्याय, न्यायालयों में लंबित मामले आदि जैसे लोकप्रिय विषयों तक सीमित था।

- **दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को जेंडर इक्वेलिटी एंड लेबर लॉज इन इंडिया (भारत में लैंगिक समानता और श्रमिक विधियां)**

दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को जेंडर इक्वेलिटी एंड लेबर लॉज इन इंडिया (भारत में लैंगिक समानता और श्रमिक विधियां) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. (डा.) मंजुला बतरा, भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, लॉ फैकल्टी, जामिया मिलिया इस्लामिया इस सत्र के लिए अतिथि वक्ता थीं। लिंग संबंधी विधियों के क्षेत्र में अपनी व्यापक विशेषज्ञता से प्रो. (डा.) बतरा ने भारत में लैंगिक समानता के मुद्दों और श्रमिक अधिकारों के बारे में जोरदार वक्तव्य दिया। प्रो. (डा.) बतरा ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के विस्तृत निर्वचन जैसे कई सांविधानिक उपबंधों के उदाहरण दिए, जो लैंगिक न्याय के हेतुक का समर्थन करते हैं।

- **दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को इंवायरमेंटल रूल आफ लॉ एंड प्रोटेक्शन आफ इंवायरमेंट (विधि के पर्यावरण संबंधी नियम और पर्यावरण संरक्षण)**

भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को इंवायरमेंटल रूल आफ लॉ एंड प्रोटेक्शन आफ इंवायरमेंट (विधि के पर्यावरण संबंधी नियम और पर्यावरण संरक्षण) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। प्रो. (डा.) सतीश सी. शास्त्री, प्रख्यात शिक्षाविद् और पर्यावरण विधि के क्षेत्र में जानेमाने विशेषज्ञ ने इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में इस अवसर को सुशोभित किया। प्रो. (डा.) शास्त्री ने चेतावनी के लहजे में, अपना वक्तव्य **प्रकृति रक्षतिरक्षितः** शब्दों के साथ प्रारंभ किया, जिसका अर्थ है, जो पर्यावरण की संरक्षा करते हैं पर्यावरण उनकी संरक्षा करेगा। अन्यथा, यदि हम प्रकृति की संरक्षा करने में असफल रहते हैं तो इसका अर्थ होगा सबका विनाश। प्रो. (डा.)

शास्त्री ने स्पष्ट किया कि कैसे विधि के शासन की धारणा को हाल में पर्यावरण संरक्षण की भावना से पर्यावरणीय विधि व्यवस्था पर प्रथम वैश्विक रिपोर्ट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 में जारी की गई थी, जैसी पहल के माध्यम से संबद्ध किया गया है।



- दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को एक्सेस टु जस्टिस : सेंसिटाइजिंग लॉ स्टुडेंट्स टु दि अनमेट जस्टिस नीड्स आफ दि सोसायटी (न्याय तक पहुंच : विधि के छात्रों को समाज की अपूरित आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील करना)

भारतीय विधि संस्थान ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बृहत् वेबिनार श्रृंखला के भागरूप विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के साथ दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को एक्सेस टु जस्टिस : सेंसिटाइजिंग लॉ स्टुडेंट्स टु दि अनमेट जस्टिस नीड्स आफ दि सोसायटी (न्याय तक पहुंच : विधि के छात्रों को समाज की अपूरित आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील करना) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। प्रो. (डा.) रणबीर सिंह, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, हैदराबाद और दिल्ली के भूतपूर्व कुलपति और संस्थापक इस वेबिनार के लिए वक्ता थे।

प्रो. सिंह ने अपने संबोधन का आरंभ विधि विद्यालयों को अपने छात्रों को न्यायिक संस्थाओं को उनकी परिसीमाओं से विमुक्त करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता और समुदायों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और उन्हें समझने तथा ऐसा कौशल विकास करने जो समाज के हाशिये पर स्थित समूहों की मदद करे, के साथ किया।



- दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को थिंकिंग कांस्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड कांस्टिट्यूशनल कल्चर्स (सांविधानिक सिद्धांतों और सांविधानिक संस्कृति पर चिंतन)

आजादी का अमृत महोत्सव के वर्षभर चलने वाले समारोहों की श्रृंखला को जारी रखते हुए इस समारोह के भागरूप दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को थिंकिंग कांस्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड कांस्टिट्यूशनल कल्चर्स (सांविधानिक सिद्धांतों और सांविधानिक संस्कृति पर चिंतन) विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। प्रख्यात विधिवेत्ता और विख्यात शिक्षाविद् प्रोफेसर (डा.) उपेंद्र बक्शी, भूतपूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सांविधानिक सिद्धांतों के बारे में अपनी गहरी समझ और रोचक संदर्भों के साथ सभासद का संवर्धन करते हुए विर्चुअल माध्यम से वक्तव्य दिया।

प्रोफेसर (डा.) बक्शी ने अपने वक्तव्य का प्रारंभ करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक उन दोनों भूमिकाओं के बारे में बताया, जो हमारे द्वारा भविष्य में सांविधानिक विकास में निभाई जानी चाहिए और उन्होंने अभिव्यक्त किया कि इस लक्ष्य के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। उन्होंने शिक्षण समुदाय के सदस्यों को अपने दिन के 'पंचीसवें घंटे' का पता लगाने और उस खाई को भरने के लिए एक-साथ आने की आवश्यकता व्यक्त की, जो विधि जगत और ऐसे जनसाधारण के बीच विद्यमान है जो इसकी कार्य-प्रणाली से प्रभावित हैं।


- दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को लॉ, लिट्रेचर एंड लाईफ (विधि, साहित्य और जीवन)

भारतीय विधि संस्थान द्वारा समारोहों की उस श्रृंखला के भागरूप, जो वर्षभर चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव, एक ऐसी पहल जो भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के गौरवमय 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसे मनाने के लिए की गई है, के समारोह के लिए आयोजित की जा रही है, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को लॉ, लिट्रेचर एंड लाईफ (विधि, साहित्य और जीवन) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

इस सत्र के लिए **प्रोफेसर (डा.) आर. वेंकट राव, सभापति, विवेकानंद स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज एवं भूतपूर्व कुलपति, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलोर** द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान दिया गया। विधि और अंग्रेजी साहित्य दोनों में अपनी व्यापक अर्हता के साथ प्रोफेसर (डा.) आर. वेंकट राव ने इस सत्र का प्रारंभ यह कहते किया कि इस सत्र का विषय कैसे उनके दिल के बहुत करीब है, चूंकि विधि और साहित्य दोनों विषयों में उनकी गहरी रुचि है।

➤ **दिनांक 19 अगस्त, 2021 को प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग आफ दि इंडियन कांस्टिट्यूशन**

भारतीय विधि संस्थान ने विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से वेबिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और अन्य ऐसे ही समारोहों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है जिनका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और आदर्शों का गुणगान करना है। हमारे राष्ट्र के शानदार संविधान की कार्य-प्रणाली का स्मरण करते हुए, दिनांक 19 अगस्त, 2021 को इसी परियोजना के भागरूप प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग आफ दि इंडियन कांस्टिट्यूशन विषय पर एक विर्चुअल वक्तव्य का आयोजन किया गया। व्याख्यान देने के लिए, **विधि के विख्यात विद्वान् प्रोफेसर (डा.) सुबीर के. भटनागर, कुलपति, नेशनल लॉ स्कूल, लखनऊ** को आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर (डा.) भटनागर ने रेखांकित किया कि संविधान-निर्माता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कैसे भारत के लोगों की पूर्ण राजनैतिक तथा सामाजिक स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध थे।



➤ **दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को कम्युनल हारमनी एंड गांधी (साम्प्रदायिक सामंजस्य और गांधी)**

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की पहल के अधीन समारोहों की श्रृंखला को जारी रखते हुए, भारतीय विधि संस्थान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कीर्तिगान करने के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को कम्युनल हारमनी एंड गांधी (साम्प्रदायिक सामंजस्य और गांधी) विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

प्रो. सुचेता महाजन, प्रख्यात शिक्षाविद् और इतिहासकार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इस समारोह के लिए मुख्य वक्ता के रूप में इस अवसर को सुशोभित किया और उन्होंने इस चुनिंदा विषय पर अपना व्याख्यान दिया। डा. महाजन सेंटर फार हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल आफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक प्रख्यात लेखिका हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के इतिहास का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए, देश से औपनिवेशिक शासन के अंत और धर्म की राजनीति तथा साम्प्रदायिक सामंजस्य पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं।

प्रो. महाजन ने भारत के आधुनिक इतिहास के क्षेत्र में शोधकर्ता के रूप में अपने व्यापक अनुभव से छोटे-छोटे उपाख्यानो से भरपूर अपने ज्ञानवर्धक वक्तव्य में गांधी के अहिंसा के मूल्यों, उनकी सत्याग्रह की विचारधारा और साम्प्रदायिक सामंजस्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास के बारे में जोरदार रूप से उल्लेख किया।


भारतीय विधि संस्थान ने विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारत की स्वतंत्रता के गौरवमय 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसे मनाने के

लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल, आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह का गुणगान करने के लिए दिनांक 09 अगस्त, 2021 से 13 अगस्त, 2021 तक सप्ताह-भर चली व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया।

➤ **दिनांक 09 अगस्त, 201 को कंटेम्पेरी डेवलेपमेंट्स आफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया (भारत में विधिक शिक्षा में समकालीन विकास)**

इस व्याख्यान श्रृंखला में पहला व्याख्यान दिनांक 09 अगस्त, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में **प्रोफेसर (डा.) एन. एल. मित्रा, भूतपूर्व कुलपति, एनएलएसआईयू, बंगलोर और जोधपुर** द्वारा ऑनलाइन दिया गया। चयनित विषय था- कंटेम्पेरी डेवलेपमेंट्स आफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया (भारत में विधिक शिक्षा में समकालीन विकास)। प्रोफेसर (डा.) सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने सभागण को प्रोफेसर (डा.) मित्रा का परिचय कराया और प्रत्येक को समारोह के विषय के बारे में बताया।

प्रोफेसर (डा.) मित्रा ने अपने संपूर्ण व्याख्यान के दौरान विधिक शिक्षा का प्रयोजन, तदर्थ व्यवस्था, राजनैतिक उपकरण जैसी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया और लोगों के लिए एक कल्याणकारी यंत्र-विधि के रूप में विधि की धारणा के सामने ज्ञान-मीमांसा (एपिस्टीमालॉजि) की विशेषता, विधिक शिक्षा के सार्वजनिकरण (यूनिवर्सलाइजेशन) और वैश्वीकरण की धारणा से इसकी तुलना की।




➤ **दिनांक 10 अगस्त, 2021 को ह्यूमन सफ्रिंग, दि कांस्टिट्यूशन एंड दि इंडियन स्टेट : रिफ्लेक्शंस @ 75 (मानवीय व्यथा, संविधान और भारत**

राज्य : प्रतिबिम्ब @ 75)

व्याख्यानों की इस श्रृंखला में दूसरा व्याख्यान दिनांक 10 अगस्त, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में **प्रोफेसर (डा.) जी. मोहन गोपाल, भूतपूर्व कुलपति, एनएलएसआईयू, बंगलोर और निदेशक, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल** द्वारा ऑनलाइन दिया गया। चयनित विषय था - **ह्यूमन सफ्रिंग, दि कांस्टिट्यूशन एंड दि इंडियन स्टेट : रिफ्लेक्शंस @ 75 (मानवीय व्यथा, संविधान और भारत राज्य : प्रतिबिम्ब @ 75)।**

विधिक सिद्धांतों के क्षेत्र में अपने विस्तृत अनुभव से और विधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए अपने अनवरत प्रयासों को अग्रसर करते हुए उन्होंने मानवीय व्यथा के विरुद्ध अधिकार की धारणा को प्रस्तुत किया और अपने वक्तव्य में न्याय की धारणा का एक नया संकल्पनात्मक विचार प्रस्तुत किया।



➤ **दिनांक 11 अगस्त, 2021 को इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एंड को-आप्रेटिव फेडरलिज्म (भारतीय संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद)**

व्याख्यानों की इस श्रृंखला में तीसरा व्याख्यान दिनांक 11 अगस्त, 2021 को 3.00 बजे अपराह्न में **प्रोफेसर (डा.) वी. विजयकुमार, कुलपति, नेशनल लॉ स्कूल, भोपाल** द्वारा ऑनलाइन दिया गया। चयनित विषय था - **इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एंड को-आप्रेटिव फेडरलिज्म (भारतीय संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद)।**

प्रोफेसर (डा.) विजयकुमार ने चर्चा का आरंभ इस समारोह के लिए चयनित विषय के महत्व को रेखांकित करते हुए किया और यह अभिव्यक्त किया कि संघवाद कैसे एक गतिशील संकल्पना है यह


संकल्पना किसी देश के लिए उसके विकासक्रम के सभी प्रक्रमों और चरणों में सुसंगत बनी रही है।



- दिनांक 12 अगस्त, 2021 को कांस्टिट्यूशनेलिज्म एंड डिमोक्रेसी इन इंडिया : थ्योरी एंड प्रैक्टिस (भारत में संविधानवाद और लोकतंत्र : सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष)

व्याख्यानों की इस श्रृंखला में चौथा व्याख्यान दिनांक 12 अगस्त, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में प्रोफेसर (डा.) एम. पी. सिंह, भूतपूर्व कुलपति, एनयूजेएस द्वारा दिया गया। चयनित विषय था - कांस्टिट्यूशनेलिज्म एंड डिमोक्रेसी इन इंडिया : थ्योरी एंड प्रैक्टिस (भारत में संविधानवाद और लोकतंत्र : सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष)।


प्रो. (डा.) सिंह ने चर्चा का प्रारंभ उस परिभाषा का परीक्षण करते हुए किया जो मेक एलवेन द्वारा अपनी पुस्तक, कांस्टिट्यूशनेलिज्म : ऐनशियंट एंड मॉडर्न में दी गई है, जो उसके छह व्याख्यान की छठी श्रृंखला में समाविष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधानवाद की सरलतम परिभाषा कैसे सरकार और राज्य की विधिक परिसीमा की धारणा के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। उन्होंने इस धारणा के संकल्पनात्मक आधारों का विस्तार से उल्लेख किया और यह प्राख्यान किया कि संविधानवाद कैसे सांविधानिक बाध्यताओं के रूप में इन विधिक परिसीमाओं के सुदृढीकरण की प्रतिपादना पर आधारित था। जब इन्हें एक बार संविधान के पाठ में धारण कर लिया गया, तो इन परिसीमाओं ने राज्य के सांविधानिक कर्तव्यों का रूप ले लिया, जिनका अनादर नहीं किया जा सकता है।



- दिनांक 13 अगस्त, 2021 को वर्किंग आफ दि कांस्टिट्यूशन एंड कंटेम्पेरी चैलेंजिज (संविधान की कार्य-प्रणाली और समकालीन चुनौतियां)

इस सप्ताहभर चली व्याख्यानों की श्रृंखला में पांचवा और अंतिम व्याख्यान प्रो. (डा.) पी. एस. जसवाल, भूतपूर्व कुलपति, नेशनल लॉ स्कूल, पटियाला द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2021 को 02.00 बजे अपराह्न में ऑनलाइन दिया गया।

प्रो. (डा.) जसवाल ने अपने वक्तव्य में देश के सांविधानिक और राजनैतिक इतिहास की संपूर्ण झलकी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने चर्चा को दो भागों में विभाजित किया, एक भाग में पिछले सात दशकों के दौरान संविधान की कार्य-प्रणाली का उल्लेख किया और उनके व्याख्यान का दूसरा भाग समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के इर्द-गिर्द समर्पित था। प्रोफेसर (डा.) जसवाल ने पुरजोर रूप से कहा कि कैसे हमें एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की आवश्यकता हुई, जिसके अभ्यंतर में विधि के शासन का भाव हो और जिसके पास इसकी सुदृढ आधार-शिला के रूप में संविधान हो।



ग. इंटरनैशनीय

संस्थान ने अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि के छात्रों को इंटरनैशनीय के अवसर प्रदान किए। विभिन्न विश्वविद्यालयों अर्थात् हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, यूएसएलएलएस, दिल्ली मैट्रोपॉलिटन एजुकेशन, इंटीगर्ल युनिवर्सिटी, लखनऊ, जेआईएमएस इंजी. एमटीसी, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, विशाखापटनम, एनयूएलएस, कोचि, सीएलसी, डीयू के लगभग 60 इंटरनैशनीय ने भाग लिया।

घ. ई-लॉनिंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम

(i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संस्थान द्वारा आईपीआर पर ई-लॉनिंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम देशभर के अधिक से अधिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाने के लिए पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों के स्थान पर एक विकल्प और पूरक के रूप में प्रारंभ किया गया। इसमें अध्यापन की नई प्रणालियों, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों, डिजिटल के सुसज्जित माध्यमों और अधिकाधिक पहुंच को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अध्यापन संस्थान की वेबसाइट पर प्रभावशाली वातावरण में आयोजित होगा। भारतीय विधि संस्थान के सूचीबद्ध अध्यापकों का एक नेटवर्क छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। छात्र और अध्यापक पाठ्यक्रम के दौरान प्रायः संपर्क में रह सकेंगे क्योंकि संप्रेषण ई-मेल द्वारा होगा।

जिस किसी के भी पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है, वह संस्थान के ई-लॉनिंग कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। पाठ्यक्रम को चार भागों में बांटा गया है: (1) पेटेंट्स (2) कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स (3) ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडीकेशंस एंड डोमेन नेम्स (4) मैनेजमेंट आफ आईपीआर। पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 50वां से 52वां बैच (तीन बैच) संचालित किए गए और नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या निम्नानुसार थी: -

50वां बैच	54 अभ्यर्थी
51वां बैच	59 अभ्यर्थी
52वां बैच	47 अभ्यर्थी

डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर (एसएस) इस कार्यक्रम की समन्वयक थीं।

(ii) साईबर लॉ

आईपीआर पर ऑन लाईन सर्टीफिकेट कोर्स की ही तरह से

भारतीय विधि संस्थान ने वर्ष 2008-2009 में साईबर लॉ पर तीन महीने का कोर्स शुरू किया जिसे चार अध्यायों में विभाजित किया गया - (1) साईबर विश्व का परिचय (2) विधिक रीतियां (3) साईबर अपराध (4) ई-कामर्स एवं साईबर लॉ में आईपीआर। रिपोर्टाधीन अवधि में 39वें से 41वां बैच (3 बैच) आयोजित किए गए। प्रत्येक बैच के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित थी :-

39वां बैच	-	97 अभ्यर्थी
40वां बैच	-	64 अभ्यर्थी
41वां बैच	-	6784 अभ्यर्थी

सुश्री आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर (एसएस) इस कार्यक्रम की समन्वयक थी।

ड. दौरे

1. माननीय केंद्रीय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, श्री किरन रीजिजू का दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा

माननीय केंद्रीय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, श्री किरन रीजिजू ने दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया और हाशिए पर रहने रहे समूहों तक न्याय की पहुंच को सुकर बनाने के लिए विधिक शिक्षा में सुधार और विधिक शिक्षा देने वाले संस्थानों की भूमिका के बारे में संकाय सदस्यों और प्रशासन के साथ विचार-विनिमय किया।

भारतीय विधि संस्थान के पलेनरी सभागार में माननीय मंत्री के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संकाय, पुस्तकालय और प्रशासनिक स्टाफ के गणमान्य सदस्य और पीएच.डी.; शोधार्थी सम्मिलित हुए। श्री अनूप कुमार मेंदीरता, सचिव, विधि मंत्रालय ने समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस अवसर को सुशोभित किया।





2. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, प्रोफेसर एस. पी. बघेल को दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, प्रोफेसर एस. पी. बघेल का अभिनंदन किया। इस समारोह में प्रो. रणबीर सिंह और रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय सहित कई विख्यात अतिथि सम्मिलित हुए। समारोह का शुभारम्भ गणमान्य अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्ज्वलित करके हुआ और उसके पश्चात् प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने फूलों के गुलदस्ते भेंट करके अतिथियों का स्वागत किया।



डा. रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने तत्पश्चात् हिमाचल प्रदेश में अपने शैक्षणिक वर्षों की शुरुआत से संस्थान के साथ लंबे समय से जुड़े होने के बारे में विस्तार से वक्तव्य दिया। उन्होंने दशकों तक संस्थान के साथ अपने शैक्षणिक जुड़ाव को दोहराया और संक्षेप में भारतीय विधि संस्थान के इतिहास का भी वर्णन किया।

3. माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को दौरा

माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, डा. सुभाष सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली का दौरा किया। संस्थान भ्रातृसंघ ने का शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया। डा. सुभाष सरकार ने समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में न्याय-परायण शिक्षा के वचन को साकार करने हेतु शैक्षणिक पेशे के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में यह अभिस्वीकार किया कि उनको अपने दौरे से पूर्व, संस्थान के विधिक शिक्षा को बौद्धिक रूप से प्रोत्साहित वातावरण सृजित करके न्याय-परायण शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए किए गए हस्तक्षेप की जानकारी थी। उन्होंने संस्थान की कठिन समय में भी शैक्षणिक क्रियाकलापों को निर्बाध रूप से जारी रखने और कोविड प्रोटोकॉल का पालने करने तथा छात्रों और फैकल्टी के लिए एक सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए सराहना की।



च. पुस्तक विमोचन समारोह

प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद और डा. लतिका वशिष्ठ द्वारा संपादित **रिथिंकिंग लॉ एंड वायलेंस**

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद और डा. लतिका वशिष्ठ द्वारा संपादित **रिथिंकिंग लॉ एंड वायलेंस** शीर्षक पर पुस्तक के विमोचन की मेजबानी की। इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय थीं। यह समारोह शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों की उपस्थिति से सुशोभित हुआ जो समारोह में आफ-लाइन और ऑन-लाइन सम्मिलित हुए। इस समारोह का विभिन्न ऑन-लाइन मंचों पर भी सजीव प्रसारण किया गया।



प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने अपने औपचारिक संबोधन में मंचासीन और ऑन-लाइन जुड़े अतिथियों का स्वागत किया और माननीय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी का इस अवसर को सुशोभित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन से लेकर इसके लिए आए विचार और अंतिम रूप से संपादन की प्रक्रिया तक की समय-सीमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक का प्रयोजन शैक्षणिक समुदाय और विधिक समुदाय के बीच महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाना और इस क्षेत्र में शोध की कमी को पूरा करना है।



डा. लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ) ने सभासदों को पुस्तक का परिचय कराया।



डा. ज्योति डोगरा सूद ने सभासदों को संबोधित किया और श्रोताओं से इस पुस्तक के संपादन के लिए शुरु किए गए सफर को सांझा किया।

दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को लॉ आफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम आफ एक्सप्रेसन – प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा और प्रो. (डा.) अनुराग दीप

लॉ आफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम आफ एक्सप्रेसन नामक पुस्तक के विमोचन के लिए दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अपराह्न में एक समारोह का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति श्री महेश कुमार मित्तल, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की अध्यक्षता की।



समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्जलवित करके किया गया और इसके पश्चात् प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान द्वारा उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया और आभार व्यक्त किया गया ।



प्रो. (डा.) अनुराग दीप ने इसके पश्चात् पुस्तक के विषय के बारे में बताया और केदारनाथ सिंह वाले मामले के बारे में उल्लेख करते हुए विषय पर चर्चा का आरंभ किया और बताया कि कैसे इस मामले को प्रसिद्ध समाचारपत्रों तक में गलत रूप से संप्रकाशित किया गया क्योंकि उस मामले में कोई दोषसिद्धि नहीं की गई थी । प्रो. (डा.) अनुराग दीप ने उल्लेख किया कि उन भ्रांतियों को दूर करना और उस रहस्य से पर्दा उठाना आवश्यक है जिनसे देश में देशद्रोह की विधि घिरी हुई है और जोरदार रूप से यह कहा कि यह पुस्तक इसी का

निराकरण करने के लिए है ।

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा और प्रो. (डा.) फुरकान अहमद द्वारा संपादित - डिस्पेंसिंग रेट्रिक्स : लॉ आफ डायवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटि इन इस्लाम

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा और प्रो. (डा.) फुरकान अहमद द्वारा संपादित - डिस्पेंसिंग रेट्रिक्स : लॉ आफ डायवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटि इन इस्लाम नामक शीर्षक पर पुस्तक के विमोचन की मेजबानी की । इस समारोह में कई सारे शोधकर्ता, शिक्षाविद् और छात्र समारोह-स्थल पर व्यक्तिगत रूप से और ऑन-लाइन सम्मिलित हुए ।



प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने औपचारिक रूप से अतिथियों, सभी गणमान्य व्यक्तियों और कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य सहभागियों का स्वागत किया और मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा सम्मानीय सदस्य प्रो. (डा.) रणबीर सिंह के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त किया । उन्होंने संक्षेप में यह भी उल्लेख किया कि कैसे यह पुस्तक प्रो. (डा.) फुरकान अहमद के मस्तिष्क में उद्भूत विचार से लेकर इसके प्रकाशन और विमोचन तक अस्तित्व में आई । उन्होंने प्रो. मेंस्की के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस पुस्तक का अनुशीलन

और पुनर्विलोकन किया। यह दोहराया गया कि इस पुस्तक का प्रयोजन इस विषय पर शैक्षणिक शोध की कमी को दूर करना है। इसके पश्चात् सम्माननीय अतिथि प्रो. (डा.) रणबीर

सिंह का संबोधन हुआ। उन्होंने प्रो. (डा.) फुरकान अहमद की उनके विस्तृत और जटिल विश्लेषण की प्रशंसा करते हुए अपना संबोधन शुरू किया।

XII. संकाय कार्यकलाप

आमंत्रण/संभाषण/व्याख्यान

प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

- ❖ सिंधो-कान्हो-बिरसा युनिवर्सिटी, पुरलिया के विधि विभाग द्वारा वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर आयोजित “आईपीआर और ह्यूमन राइट्स” पर एक सप्ताह के फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को दिनांक 23 मार्च, 2022 को संबोधित करने के लिए एक संबल व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ सेंट थॉमस कालेज आफ लॉ, नाएडा द्वारा आयोजित “टिचिंग पेडागॉजी एंड रिसर्च स्किल्स” विषय पर दो दिवसीय एफडीपी कार्यक्रम के सहभागियों को दिनांक 21 मार्च, 2022 को उद्घाटन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ विधि विभाग, तेजपुर युनिवर्सिटी, असम द्वारा आयोजित “लीगल रिसर्च मैथाडालॉजी” पर तीन दिवसीय कार्यशाला के सहभागियों को दिनांक 21 मार्च, 2022 को मुख्य संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ सिटिजंस फोरम इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित “रसियन-युक्रेन कॉन्फ्लिक्ट : ए वर्ल्ड डिवाइड बाय वार” विषय पर दिनांक 19 मार्च, 2022 को पारस्परिक चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ विधि और संसदीय कार्य विभाग, कर्नाटक सरकार और लोकतंत्र और सांविधानिक सरकार अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित “विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सांविधानिक संबंध विकसित करना” विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में “दि आइडिया आफ फ्रीडम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स : इंडिया एट सेवेंटी फाइव” विषय पर दिनांक 18 मार्च, 2022 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ आईएमएस यूनिसन, देहरादून द्वारा आयोजित

“सेवंथ नेशनल यूथ पार्लियामेंट कम्पीटिशन” के सहभागियों को दिनांक 05 मार्च, 2022 को विदाई समारोह में संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

- ❖ लॉयड लॉ कालेज एंड मेनन इंस्टिट्यूट आफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग (एमआईएलएटी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित “प्रोफेसर एन. आर. माधव मेनन एशियन जूरल कानक्लेव” के विदाई समारोह में दिनांक 27 फरवरी, 2022 को संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ नॉलिज स्टीज द्वारा आयोजित “ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर राइट्स” पर 11वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2022 को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ हिमाचल नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला के पीएच. डी. के अध्ययनशील छात्रों को “एक्सट्राडिशन एंड असाएल्म” विषय पर दिनांक 20 फरवरी, 2022 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ आईआईएमटी कालेल आफ लॉ, नोएडा द्वारा आयोजित “एमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन इन मार्डन सोसायटी-2022” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिनांक 20 फरवरी, 2022 को उद्घाटन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ एमिटी लॉ स्कूल एंड ऐडव. क्राउन युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित “कम्परेटिव लॉ” विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिनांक 19 फरवरी, 2022 को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ हल्दिया लॉ कालेज, विद्यासागर युनिवर्सिटी, पश्चिमी बंगाल द्वारा आयोजित “आल्टर्नेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ए टूल फार स्पीडी जस्टिस – इसूज, चेलेंजिज एंड आपर्च्यूनिटिज” विषय पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में दिनांक 11 फरवरी, 2022 को विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

- ❖ एलसी II, फैकल्टी आफ लॉ, दिल्ली युनिवर्सिटी में 3 वर्षीय एलएल.बी. पाठ्यक्रम में नये दाखिलाप्राप्त छात्रों को दिनांक 10 फरवरी, 2022 को संबोधित करने के लिए “आरिंटेड प्रोग्राम” में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ पारुल युनिवर्सिटी, वडोदरा द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सहभागियों को “रोल आफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन” विषय पर दिनांक 07 फरवरी, 2022 को ऑन-लाइन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ एचआरडीसी, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडकशन प्रोग्राम के सहभागियों को “ह्यूमन राइट्स एंड फेंडामेंटल ड्यूटिज” विषय पर दिनांक 07 फरवरी, 2022 को ऑन-लाइन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ जेईएमटीईसी स्कूल आफ लॉ, ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को “रिसर्च मैथड एंड प्रोजेक्ट राइटिंग स्कूल” विषय पर दिनांक 01 फरवरी, 2022 को एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ आत्मनिर्भर भारत फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “आत्मनिर्भर भारत” विषय पर दिनांक 31 जनवरी, 2022 को वक्तव्य देने के लिए अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ आइडियल इंस्टिट्यूट आफ टैकनालॉजी एंड मनेजमेंट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “रिसेपिंग दि वर्ल्ड थ्रो सस्टेनेबिलिटी : एमर्जिंग ट्रेड्स इम्पेक्टिंग डेवलेपमेंट” विषय पर राकेश अग्रवाल मैमोरियल फाउंडेशन में दिनांक 22 जनवरी, 2022 को उदघाटन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ बिरला स्कूल आफ लॉ, भवनेश्वर द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को “इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच एंड टिचिंग इन लॉ” विषय पर दिनांक 17 जनवरी, 2022 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा द्वारा आयोजित नियोजनात्मक कुशलता में वृद्धि करने के लिए “कपेसिटी बिल्डिंग एंड पर्सनेलिटी डेवलेपमेंट प्रोग्राम” पर तीन दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स के सहभागियों को दिनांक 17 जनवरी, 2022 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ आईएलएस कालेज, पूणे के एलएल.एम. के छात्रों को दिनांक 10 जनवरी, 2022 को “डाटा एनालाइसिस” विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया।
- ❖ इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “इंटरनेशनल सोशल एंड ह्यूमेनिटेरियन आर्गेनाइजेशंस” विषय पर दिनांक 06 जनवरी, 2022 को शीतकालीन पाठ्यक्रम के सहभागियों को एक वक्तव्य दिया।
- ❖ सीएनएलयू द्वारा आयोजित “रिसर्च मैथाडालॉजी प्रोग्राम” के सहभागियों को दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ एचएनएलयू द्वारा आयोजित “साइंटिफिक कंडक्ट: फाल्सिफिकेशन, फेब्रिकेशन एंड प्लाजियारिज्म” विषय पर फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों के लिए दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ लॉ मंत्रा द्वारा आयोजित “डाटा प्रोटेक्शनर एंड डाटा प्राइवसी” विषय पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ पटना विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित “इम्पलीमेंटेशन आफ ह्यूमन राइट्स : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेस्पेक्टिव्स” विषय पर फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ नेशनल लॉ स्कूल, नागपुर द्वारा आयोजित आईपीआर एंड “ह्यूमन राइट्स” पर फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ एसआरएम युनिवर्सिटी, सोनीपत द्वारा “ह्यूमन राइट्स” विषय पर आयोजित कार्यक्रम के सहभागियों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को

- संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- ❖ एमिटी युनिवर्सिटी और भारत के मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित “वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स” विषय पर वेबिनार के सहभागियों को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ माई लॉमेन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “ह्यूमन राइट्स, यूनाटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ” विषय पर कार्यक्रम के सहभागियों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ भारती विद्यापीठ युनिवर्सिटी, नई दिल्ली के विधि विभाग द्वारा आयोजित “ह्यूमन राइट्स” पर कार्यक्रम के सहभागियों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ विधि विभाग, कूच बिहार पंचानन बर्मा युनिवर्सिटी, कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल द्वारा आयोजित “ह्यूमन राइट्स” पर कार्यक्रम के सहभागियों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित “प्रिप्रेषन आफ कोर्सिज एंड रिडिंग मैटिरियल एलांग विद ए क्लास प्लान एंड कम्प्यूनिकेशन इन डिलिवरिंग ए क्लास” विषय पर पीएच. डी. स्कॉलर को दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ एजीआईएसएस और इंडीपेंडेंट थॉट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “इंडीपेंडेंस आफ जूडिशियरी एंड रूल आफ लॉ” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के सहभागियों को विदाई समारोह में दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ आईएमएस युनिसन के विधि विभाग द्वारा आयोजित “संविधान दिवस” समारोह के सहभागियों को दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ लॉ सेंटर-1, लॉ फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित “संविधान दिवस” समारोह के सहभागियों को दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ डा. हरिसिंह गौर युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित “चेंजिंग डायमेंशंस आफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया” विषय पर यूजीसी रिफ्रेशर/मल्टी डिस्प्लीनरी कोर्स के सहभागियों को दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटरनेस को “प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स : एन इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव” विषय पर दिनांक 09 नवम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के पदधारियों को दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में “इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट आन डेवलेपमेंट आफ लीगल फ्रेमवर्क आफ दि कंट्री” विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित “लाईब्रेरी एज ओसियन आफ नोलेज, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज” विषय पर पुस्तक पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को निदेशक पैनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, मुम्बई द्वारा आयोजित “प्रोफेसर सी. एच. एलेक्संड्रोविच मैमोरियल लेक्चर” में दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को भाग लेने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
 - ❖ सेंटर फार एडवांस्ड स्टडी इन इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ (सीएसएच), राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजीव गांधी नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, पटियाला द्वारा आयोजित “इंटरफेथ एंड इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ” पर एक सप्ताह के लिए बहुआयामी कार्यशाला के सहभागियों को “हिंदूज्म एंड इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ” विषय पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
 - ❖ जागरण लेक युनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा आयोजित “लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी इन दि फिल्ड आफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ” पर रिफ्रेशर प्रोग्राम के

- सहभागियों को दिनांक 04 अक्तूबर, 2021 को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- ❖ भारती विद्या भवन युनिवर्सिटी के विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में नए दाखिलाप्राप्त छात्रों को दिनांक 04 अक्तूबर, 2021 को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ प्रेसटिज युनिवर्सिटी, इंदौर के विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में नए दाखिलाप्राप्त छात्रों को दिनांक 02 अक्तूबर, 2021 को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ वीआईटी लॉ स्कूल, चेन्नई के एलएल.एम. के छात्रों के लिए “आरिएंटेशन प्रोग्राम” में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ केआईआईटी लॉ स्कूल, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित “राइज आफ फिजिटल : दि एनईडब्ल्यू एचआर 4.1” पर एचआर कॉन्क्लेव में दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ ग्राफिक युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को राइट टू हेल्थ : नेशनल प्रिस्पेक्टिव विषय पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, अहमदाबाद द्वारा आयोजित दिनांक 20 सितम्बर, 2021 को चौथा प्रोफेसर वी. एस. मणि मैमोरियल लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एमिटी लॉ स्कूल, पटना द्वारा आयोजित रोल आफ दि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन मेंटैनिंग पीस एंड सिविलिटी विषय पर दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एमएनएलयू, नागपुर के आईक्यूएसी सेंटर द्वारा आयोजित हॉव टू डू क्वालिटी रिसर्च एंड पब्लिस इन स्कोप्स/इंडेक्स जर्नल विषय पर दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एएलआईएन सेक्रेट्रियेट, साउथ कोरिया द्वारा आयोजित 17 वें एएलआईएन कांफेंस में दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को भाग लिया ।
 - ❖ सिटिजंस फोरम इंडिया द्वारा आयोजित दि तालिबान टेकओवर जियोपॉलिटिक्स एंड ह्यूमेनिटेरियन क्राइसिस विषय पर दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को एक वक्तव्य दिया ।
 - ❖ सायबोसिस युनिवर्सिटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित नए दाखिलाप्राप्त एलएल.एम. छात्रों के लिए ओरियंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को विशेष संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एडवोक्ट्स कम्पेन फार थॉट रिवोल्यूशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित लीगल एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पालिसी : इसूज एंड चैलेंजिज विषय पर सहभागियों को दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ इंडियन आब्जर्वर पोस्ट, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित लीड ग्लोबल कांक्लेव 2021 में दिनांक 04 सितम्बर, 2021 को ग्रेट इंडियन टीचर अवार्ड प्राप्त किया ।
 - ❖ एनआईआईसीई, काठमांडु, नेपाल द्वारा आयोजित राइट टू इंफोर्मेशन एंड रिपोर्टिंग इन इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट विषय पर दिनांक 28 अगस्त, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला के एलएल.एम. के छात्रों को दिनांक 25 अगस्त, 2021 को लीगल एजुकेशन पर एक विशेष वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला द्वारा आयोजित नए दाखिलाप्राप्त छात्रों के लिए ओरियंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में दिनांक 24 अगस्त, 2021 को एक विशेष संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ यूजीसी-एचआरडीसी, रांची युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स अंडर दि कांस्टिट्यूशन : रोल आफ दि इंडियन जूडिसियरी विषय पर फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सहभागियों को दिनांक 18 अगस्त, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ राजीव गांधी युनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश के विधि विभाग द्वारा आयोजित रोल आफ लीगल एजुकेशन



- इन न्यू एजुकेशन पालिसी विषय पर दिनांक 10 अगस्त 2021 को वक्तव्य देने के लिए एक संबल व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- ❖ सुशांत युनिवर्सिटी, गुरुग्राम द्वारा आयोजित कैरियर्स इन लॉ एंड पैरालीगल डिस्प्लिन विषय पर दिनांक 09 अगस्त, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ दिनांक 08 अगस्त, 2021 को रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फुलफिलिंग दि राइट टु हैल्थ : इंटरनेशनल एंड नेशनल प्रिस्पेक्टिव्स विषय पर बार कौंसिल आफ ट्रस्ट का दूसरा लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ सेंट जेवियर लॉ स्कूल, कोलकाता के संस्थापन दिवस के अवसर पर स्टेट आफ एमरजेंसी एंड ह्यूमन राइट्स : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव्स विषय पर दिनांक 03 अगस्त, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ सुरेंद्रनाथ लॉ कालेज, कोलकाता द्वारा आयोजित शताब्दी मे इम्पलिमेंटेशन आफ ह्यूमन राइट्स इन टुवेंटी-फ्रस्ट सेंचरी, विद स्पेशल रेफरेंस टु कोविड 19 पेंडामिक विषय पर दो दिवसीय वेबिनार में दिनांक 01 अगस्त, 2021 को मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एलएनजेएल नेशनल इंस्टिट्यूट आफ क्रिमिनॉलाजी एंड फरेंसिक साइंस, रोहिणी द्वारा आयोजित डेरोगेबल एंड नॉन-डेरोगेबल ह्यूमन राइट्स : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव्स विषय पर दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सरकारी पदधारियों के लिए विदाई भाषण दिया ।
 - ❖ जीएलएस युनिवर्सिटी, अहमदाबाद द्वारा आयोजित रिसर्च मेटाडालॉजी विषय पर एलएल.एम के छात्रों को दिनांक 22 जुलाई, 2021 को उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ स्कूल द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सहभागियों को इंटरनेशनल ह्यूमनेटेरियन लॉ एंड इट्स ऐप्लीकेशन एंशेन्ट इंडिया विषय पर दिनांक 20 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ स्कूल द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट के सहभागियों को एंशेन्ट टेक्स्ट : रिसर्च डिजाइन एंड लिटरेचर रिव्यू विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ शारदा युनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित आउटकम बेस्ड टिचिंग लर्निंग मथैड्स एंड रिसर्च इन लॉ : ए वे फारवर्ड विषय पर फैकल्टी लॉ डेवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सहभागियों को दिनांक 17 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ विकास लॉ स्कूल, बारगढ़, उड़ीसा द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित रोल आफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग विषय पर दिनांक 15 जुलाई, 2021 को एक विशेष वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ गोपाल नारायण सिंह युनिवर्सिटी, सासाराम द्वारा आयोजित इसेंशियल रिलिजियस प्रेक्टिस डाक्ट्रिन एंड थियोलॉजिकल एडजुडिकेशन बाय आवर कांस्टिट्यूशनल कोर्ट्स विषय पर दिनांक 14 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ आदम्स युनिवर्सिटी, कोलकाता द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों के लिए रिसर्च पेपर राइटिंग : दि डूज एंड डोंट्स विषय पर दिनांक 14 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एनयूजेएस, कोलकाता के इंफॉर्मल डिस्कशन ग्रुप के सदस्यों को स्टेट्स आफ राइट टु हैल्थ इन इंडिया एंड एक्रॉस दि ग्लोब एमिडस्ट पेंडामिक विषय पर दिनांक 10 जुलाई, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटरनेस को दिनांक 05 जुलाई, 2021 को एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ लॉ मंत्रा और महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर द्वारा आयोजित ह्यूमन ट्राफिकिंग, स्लेवरी एंड एक्सप्लोएटेशन विषय पर एक दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में दिनांक 26 जून,

- 2021 को मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- ❖ बरकतुल्लाह युनिवर्सिटी और ड्रायट पेनल द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के सहभागियों को राइट टु हैल्थ : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव्स विषय पर दिनांक 25 जून, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ विषय पर ग्रीष्मकालीन सत्र के सहभागियों को दिनांक 21 जून, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ छोटानागपुर लॉ कालेज द्वारा आयोजित स्पिरिट आफ फ्रीडम के समारोह पर प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स आफ एमरजेंसी - नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव्स विषय पर दिनांक 15 जून, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को फेंडामेंटल राइट्स एंड फेंडामेंटल ड्यूटिज विषय पर दिनांक 09 जून, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ लॉ मंत्रा और महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर द्वारा आयोजित एमर्जिंग ट्रेड्स आफ इंटेल्क्चुअल प्रापटी राइट्स पर एक दिवसीय सेमिनार के विदाई समारोह में दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को मुख्य संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ विषय पर दिनांक 06 अप्रैल, 2021 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- प्रो. (डा. अनुराग दीप, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान)**
- ❖ छत्रपति शिवाजी शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पीएच.डी. पाठ्यक्रम के छात्रों को फ्री प्रैस एंड इंडीपेंडेंट जूडिशियरी विषय पर व्याख्यान देने के लिए दिनांक 04 जनवरी, 2022 को आमंत्रित किया गया जो कि सीएसजेएम कानपुर युनिवर्सिटी के यू ट्यूब चैनल पर ऑन-लाइन उपलब्ध है ।
 - ❖ इग्नू के विधि संकाय के बीए-लॉ-पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2022 को विशेषज्ञ पैनल के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया ।
 - ❖ बिरला लॉ स्कूल, भुवनेश्वर में दिनांक 18-19 जनवरी, 2022 को रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिसर्च आर्टिकल्स विषय पर छात्रों को दो व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ बेनेट्ट युनिवर्सिटी, नोएडा के चौथे बेनेट्ट नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटिशन में न्यायनिर्णयन करने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2022 को आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ ह्यूमन रिसार्स डेवलेपमेंट सेंटर, जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी, फैकल्टी इंटरनल प्रोग्राम - VIII में दिनांक 09 फरवरी, 2022 को फ्रीडम आफ स्पीच विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा, एमिटी युनिवर्सिटी और स्कूल आफ बिजनेस एंड लॉ, ऐडिथ कोवन युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कम्परेटिव लॉ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कम्परेटिव क्रिमिनल लॉ पर दिनांक 19 फरवरी, 2022 को एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ आईएसआईएल, नई दिल्ली में सोशल एकशन लिटिगेशन : आर्टिकल्स 32 और 226 विषय पर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉ, इंडियन एकेडमी आफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी के पीजी डिप्लोमा कोर्स में दिनांक 04 मार्च, 2022 को एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ सशस्त्र सीमा बल हेड क्वार्टर, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में वर्कशाप आन जेंडर सेंसिटाइजेशन इन एसएसबी में दिनांक 10 मार्च, 2022 को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (कार्यस्थल पर तंग करना, छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय) विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
 - ❖ सेज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित (2021-22) और दीपा दूबे और श्रुति बेदी द्वारा संपादित अरेस्ट एंड

डिटेन इन इंडिया : लॉ, प्रोसिजर एंड प्रेक्टिस नामक पुस्तक में अरेस्ट एंड डिटेन : ए प्रोजेक्ट फार रिफार्मस् शीर्षक वाले एक अध्याय का योगदान दिया ।

प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान

- ❖ यूजीसी-ह्यूमन रिसार्स डेवलेपमेंट सेंटर, बंगलोर युनिवर्सिटी, बंगलुरु द्वारा आयोजित ह्यूमन राइट्स में इंटरडिसिप्लिनरी रिफ्रेशर कोर्स में ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल जस्टिस ऐडमिनिस्ट्रेशन विषय पर दिनांक 19 नवम्बर, 2021 को एक व्याख्यान दिया ।
- ❖ आईसीएफएआई लॉ स्कूल, दि आईसीएफएआई युनिवर्सिटी, जयपुर द्वारा संचालित एमर्जिंग प्राडिग्म्स आफ रिसर्च मैथाडालॉजी, इन्वोवेटिव टीचिंग टैक्रिक्स एंड कंटेम्पेरी लीगल फेस्ट्स पर ऑन-लाइन फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम में दिनांक 29 जुलाई, 2021 को बेस्ट इंस्ट्रुट आफ चाइल्ड विज-ए-विज जुविनाइल जस्टिस ऐक्ट, 2015 विषय पर एक व्याख्यान दिया ।
- ❖ आईक्यूएसी, गवर्नमेंट लॉ कालेज, थिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में ए पॉइनेट डेक्लिनेशन फ्राम क्रिएटर टु कॉमाडिटी वूमन आन डोमेस्टिक इकोसिस्टम एंड नीड आफ डिमाक्रेसी इन डोमेस्टिक रिलेशंस विषय पर दिनांक 15 जुलाई, 2021 को उद्घाटन सत्र में एक विशेष व्याख्यान दिया ।
- ❖ नॉलेज कंसोर्टियम आफ गुजरात, अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक ऑन-लाइन फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम में रीथिंकिंग क्रिमिनल लॉ विषय पर दिनांक 13 जुलाई, 2021 को एक व्याख्यान दिया ।

डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर, (एसएस)

- ❖ एसजीटी युनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित लीगल रिसर्च, मेथाडॉलॉजी एंड लीगल राइटिंग विषय पर नेशनल फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम में कम्परेटिव मेथाडॉलॉजी इन लीगल रिसर्च पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 को एक सत्र दिया ।
- ❖ एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा द्वारा दिनांक 17-25 जून तक आयोजित आईपीआर : टूल फार इन्वोवेटर्स एंड आनट्रेनर्स सर्टिफिकेट कोर्स में संबल व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया । दिनांक 25 जून, 2021

को इसूज अराउंड पेटेंटिंग बायोटेक्नालॉजी विषय पर एक घंटे का सत्र दिया ।

- ❖ सरस्वती इंस्टिट्यूट आफ लॉ, पलवल द्वारा 26 नवम्बर, 2021 को संविधान दिवस पर अपने छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया । सेंटर-स्टेट रिलेशंस अंडर कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया विषय पर एक घंटे का व्याख्यान दिया ।
- ❖ स्कूल आफ लॉ, अंजीक्या डीवाई पाटिल युनिवर्सिटी, पुणे में डिफेंस विवा शीर्षक पर शोध-प्रबंध के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को विशेषज्ञ पैनल सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।

डा. लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर (एसएस)

- ❖ जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिवर्सिटी में दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 को फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग आफ डिजायर एंड बॉडी विषय पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- ❖ महाराजा अग्रसेन इंस्टिट्यूट आफ मनेजमेंट स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित डोमेस्टिक वायलेंस एंड इंडेसेंट रेप्रिजेंटेशन आफ वूमन ऐक्ट विषय पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- ❖ संकायाध्यक्ष, आईएफआईएम लॉ स्कूल, बंगलोर द्वारा बीएएलएलबी के छात्रों के लिए थिंकिंग लॉ एंड फेमिनिज्म थ्रू साइकोएनालाइसिस शीर्षक पाठ्यक्रम के लिए एक सेमिनार देने के लिए आमंत्रित किया गया । इस पाठ्यक्रम की कल्पना और पाठन संयुक्त रूप से श्री अमित बिंदल, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के साथ किया गया था ।

प्रकाशन

- ❖ साइबर लॉ 2020, 2022 में एसएसआईएल 2020 में प्रकाशित
- ❖ जियोब्लॉकिंग आफ ऑन-लाइन कंटेंट : कॉपी राइट, ह्यूमन राइट्स एंड कम्पीटिशन लॉ इसूज इन शिवकुमार एंड लिसा पी. रोबिन (एडिटर्स), नौवल डायमेंशंस आफ कॉपीराइट लॉ (थॉमसन रियूटर्स, 2022) ।
- ❖ एसएजीई के मेडिको लीगल जर्नल, 2021 में शेयरिंग जेनेटिक रिसार्सिज फेयरली बिटविन नेशंस ।

XIV. आगामी क्रियाकलाप

एल.एल. एम. और स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षाएं

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं माह जून, 2022 में प्रारंभ होंगी और समेस्टर अंत एलएल. एम. परीक्षाएं माह अगस्त, 2022 से प्रारंभ होना तथा किया गया है।

भावी प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान की पत्रिका (जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट)

- खंड 62 (2) (अप्रैल-जून 2022)
- खंड 62 (3) (जुलाई-सितम्बर 2022)
- खंड 64 (44) (अक्तूबर-दिसम्बर 2022)
- खंड 65 (1) (जनवरी-मार्च 2023)

भारतीय विधि संस्थान समाचार पत्रक

- खंड XXIV सं. 2 (अप्रैल-जून 2022)
- खंड XXIV सं. 3 (जुलाई-सितम्बर 2022)
- खंड XXIV सं. 4 (अक्तूबर-दिसम्बर 2022)
- खंड XXV सं. 1 (जनवरी-मार्च 2023)

ऐन्युअल सर्वे आफ इंडियन लॉ -2021

इंडेक्स टू इंडियन लीगल पीरियोडिकल्स - 2019

दाखिले

पीएच.डी/एलएल.एम./स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2022-2023 बैचों के लिए) दाखिला प्रक्रिया 01 अप्रैल, 2022 से आरंभ होगी।

सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेमिनार / विचार-गोष्ठी / प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला

- ❖ भारतीय विधि संस्थान दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, एसएएआरसी लॉ इंडिया और समाधान के सहयोग से 7-8 अप्रैल, 2022 और 13-15 अप्रैल, 2022 को दो भागों में मध्यस्थता में 45 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- ❖ भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, सीएलईए और एमआईएलएटी के साथ मिलकर कामनवेल्थ कम्प्रेटिव कांस्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ

(3सीएंडपीएल) प्रोजेक्ट के भाग के रूप में कम्प्रेटिव कांस्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ पर 27 मई, 2022 से 06 जून, 2022 तक ऑन-लाइन/हाइब्रिड माध्यम से एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

- ❖ भारतीय विधि संस्थान, कॉमनवेल्थ लीगल एसोसिएशन (सीएलईए) और मेनन इंस्टिट्यूट आफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग (एमआईएलएटी) के साथ मिलकर दिनांक 04 मई, 2022 से कम्प्रेटिव कांस्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करेगा और यह कार्यक्रम दिनांक 10 अगस्त, 2022 को समाप्त होगा। इस पाठ्यक्रम में हाइब्रिड माध्यम से विभिन्न विषयों पर 5.00-8.00 बजे अपराह्न के बीच 75 घंटे का शिक्षण (35-40 लेक्चर्स) सम्मिलित होंगे।
- ❖ भारतीय विधि संस्थान और लायड लॉ कालेज एनएचआरसी, सीएलएए और एमआईएलएटी के साथ मिलकर वर्ल्ड इंवायरमेंट डे मनाएगा और सस्टेनेबिलिटी एंड सॉल्यूशंस : ह्यूमन राइट्स एंड इंवायरमेंटल इसूज पर दिनांक 05-06 जून, 2022 को अंतरराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी करेगा।

प्रस्तावित संरचनात्मक विकास

संस्थान निम्नलिखित संरचनात्मक और आईटी विकास कार्यों के लिए योजना बना रहा है -

- अग्निशमन व्यवस्था और सौर उर्जा व्यवस्था का संस्थापन
- स्ट्रेरेज एरिया नेटवर्क और इसके सहायक उपकरणों का उपापन
- प्लेनरी हाल के लिए विडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था और पीए व्यवस्था का उपापन
- इंस्टिट्यूट लैन और वाई-फाई नेटवर्क की पुनर्संरचना
- साफ्टवेयर (विंडोज सर्वर 2019, विंडोज 10 और एमएस ऑफिस 2019) का उपापन
- कस्टमाइज्ड कैम्पस मनेजमेंट साफ्टवेयर के उपापन का प्रस्ताव
- इंस्टिट्यूट की वेबसाइट की पुनर्संरचना और अपग्रेडेशन।

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।

उपाध्यक्ष

2. श्री किरन रिजीजू
विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

कोषाध्यक्ष

3. माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,
न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली ।

सदस्यगण

4. माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कांत
न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
5. सभापति,
भारत का विधि आयोग
नई दिल्ली ।
6. माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. सपरे,
भूतपूर्व न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
7. भारत के अटर्नी जर्नल
उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
8. भारत के महा सालिसिटर
उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।

9. श्री संजय जैन
भारत के भूतपूर्व अपर महा सालिसिटर
उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
10. अध्यक्ष
इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ
नई दिल्ली ।
11. सचिव
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली ।
12. सभापति
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली ।
13. प्रो. रणबीर सिंह
भूतपूर्व कुलपति
नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली
14. प्रो. पी. एस. जसवाल
नेशनल लॉ युनिवर्सिटी
पटियाला, पंजाब ।
15. श्री ई. सी. अग्रवाल
अधिवक्ता
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
16. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक, भारतीय विधि संस्थान
सचिव
17. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी
रजिस्ट्रार
भारतीय विधि संस्थान

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य - कार्यकारी समिति

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।

उपाध्यक्ष

2. श्री किरन रिजीजू
विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली ।

कोषाध्यक्ष

3. माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,
न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।

सदस्यगण

4. माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,
न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
5. सचिव,
विधिक मामले विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली ।
6. सचिव,
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली ।
7. सभापति-या सभापति का नामनिर्देशिती,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली ।

8. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,
निदेशक,
भारतीय विधि संस्थान ।

सचिव

9. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,
रजिस्ट्रार
भारतीय विधि संस्थान ।

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य - शैक्षणिक परिषद्

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति यू. यू. ललित
न्यायाधीश
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।
2. प्रो. जी. मोहन गोपाल
भूतपूर्व निदेशक, एनजेए और एनएलएसआईयू
अध्यक्ष, एनसीएमएस,समिति
भारत का उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली ।
3. प्रो. अफजल एम. वाणी
प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
4. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,
निदेशक,
भारतीय विधि संस्थान ।
5. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार
ज्येष्ठ प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
6. प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद
प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
7. डा. दीपा खरब
सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
8. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,
रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

सदस्य - वित्त समिति

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,
न्यायाधीश,
भारत का उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली ।

सदस्यगण

2. शासी परिषद् से नामनिर्देशिति
3. सचिव,
विधि और न्याय मंत्रालय,
4. सचिव,
वित्त मंत्रालय
5. नामनिर्देशिती,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
6. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,
निदेशक,
भारतीय विधि संस्थान

सचिव

7. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,
रजिस्ट्रार
भारतीय विधि संस्थान ।

भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी
वित्तीय वर्ष 2021-22

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं क.
सनद लेखाकार,
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली.11001
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772
फैक्स : 91-11-23230831
ईमेल: : tvandeca@gmail.com

अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,
भारतीय विधि संस्थान,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलग्न वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्ट्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है।

राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्त्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकल्प न हो। जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है।

वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं, चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गारंटी नहीं है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकक्षण से सदैव तात्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो। गलत विवरण कपट या गलती से उद्भूत हो सकता है और इसे तब तात्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके।

नीति-मानकों के अनुसार अंकक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है। हमने-

- * वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। कपट के परिणामस्वरूप कारित तात्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतर्वर्लित हो सकता है।
- * अंकक्षण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की।
- * प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया।
- * प्रयुक्त की गई अंकक्षण नीतियों की समुचितता और अंकक्षण संबंधी परिकलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया गया।
- * हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्टें

- क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं।
- ग. जंहा तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी है, परीक्षा से प्रतीत होता है।
- घ. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- ङ. हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं।



द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
सनद लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-
(अनिल के. ठाकुर)
भागीदार
एम. नं. : 088722
यूडीआईएन - 20088722AAAAABI 1480

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 दिसम्बर, 2021



भारतीय विधि संस्थान
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

तुलन पत्र 31 मार्च 2022

कोष के स्रोत	अनुसूची	31.03.2022	31.03.2021
		(Rs.)	(Rs.)
पूंजी परिसंपत्ति फंड	1	7,23,761	10,52,629
सामान्य निधि	2	10,11,42,654	11,44,50,120
यूजीसी से अनुदान योजना	3	2,34,91,776	2,67,50,264
कानून और न्याय मंत्रालय से विशेष विकास अनुदान	4	2,00,00,000	-
विशिष्ट फंड	5	2,54,17,546	2,39,52,646
वर्तमान देनदारियां	6	1,35,10,208	92,07,879
TOTAL		18,42,85,945	17,54,13,538
निधि के अनुप्रयोग			
अचल संपत्तियां	7		
सकल ब्लॉक		12,76,89,020	12,43,13,209
घटाया: संचित मूल्यह्रास		9,66,79,755	9,17,19,525
शुद्ध ब्लॉक		3,10,09,265	3,25,93,684
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		-	-
निवेश	8	10,83,27,198	11,92,69,645
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम	9	4,49,49,482	2,35,50,209
TOTAL		18,42,85,945	17,54,13,538

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 20

अनुसूची संख्या 1 से 20 तक खातों का एक अभिन्न अंग है

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

हस्ता./-
अनिल के ठाकुर
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-
प्रो मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

हस्ता./-
श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी
रजिस्ट्रार

हस्ता./-
डॉ ए के वर्मा
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-
आशीष बावा
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली
तारीख: 21 सितंबर 2022



भारतीय विधि संस्थान
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आय और व्यय खाता 31 मार्च 2022 को समाप्त

	अनुसूची	वर्ष के अंत 31.03.2022 (Rs.)	वर्ष के अंत 31.03.2021 (Rs.)
आय			
सहायता अनुदान	10	3,50,00,000	2,66,50,000
किराया	11	1,29,75,162	1,28,73,512
फीस	12	1,78,98,284	1,78,94,294
ब्याज	13	40,77,918	51,52,941
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	14	7,08,358	1,14,917
विविध आय	15	72,399	9,71,669
आखरी बचा हुआ माल		26,70,698	23,75,464
	कुल (1)	7,34,02,819	6,60,32,797
व्यय			
वेतन और भते	16	6,34,35,190	5,53,84,796
प्रशासनिक व्यय	17	1,49,40,622	1,11,89,265
जर्नल और प्रकाशन व्यय	18	22,80,196	22,69,937
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	19	23,05,939	13,49,934
अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास	7	13,72,874	9,43,935
आरंभिक स्टॉक		23,75,464	16,79,023
	कुल (2)	8,67,10,285	7,28,16,890
		(1,33,07,466)	(67,84,093)

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 20

अनुसूची संख्या 1 से 20 तक खातों का एक अभिन्न अंग है

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

हस्ता./-
अनिल के ठाकुर
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-
प्रो मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

हस्ता./-
श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी
रजिस्ट्रार

हस्ता./-
डॉ ए के वर्मा
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-
आशीष बावा
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली

तारीख: 21 सितंबर 2022



भारतीय विधि संस्थान
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

प्राप्ति और भुगतान खाता (31 मार्च 2022)

	(Rs.)	<u>31.03.2022</u> (Rs.)	(Rs.)	<u>31.03.2021</u> (Rs.)
प्राप्ति				
विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुदान सहायता		3,50,00,000		2,66,50,000
कानून और न्याय मंत्रालय से विशेष विकास अनुदान		6,50,00,000		-
किराया		1,25,48,552		1,28,73,512
फीस		1,79,30,284		1,42,11,469
ब्याज		1,76,350		2,85,748
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री		7,08,358		1,14,917
विविध आय		36,958		3,34,321
निर्दिष्ट फंड		1,88,190		3,37,709
वर्तमान देनदारियां		68,22,169		60,24,309
परियोजना अनुदान		-		-
निवेश		3,10,08,212		3,07,51,056
मौजूदा परिसंपत्तियों , जमा और अग्रिम		69,05,507		55,66,935
प्रारंभिक शेष :				
रोकड़	8,950		9,672	
बैंक में नकदी	1,12,69,875	1,12,78,825	1,25,08,957	1,25,18,629
कुल		18,76,03,405		10,96,68,605
भुगतान				
वेतन और भत्ते		4,38,13,856		4,03,85,063
प्रशासनिक व्यय		1,29,71,056		1,24,44,984
जर्नल और प्रकाशन व्यय		10,47,539		15,39,877
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		19,23,818		11,40,962
कानून और न्याय मंत्रालय से विशेष विकास अनुदान		4,50,00,000		-
वर्तमान देनदारियां		2,65,00,571		2,24,96,418
अचल संपत्तियां		33,67,413		6,98,323
निवेश		1,50,00,000		1,78,00,000
मौजूदा परिसंपत्तियों , जमा और अग्रिम		2,32,80,942		18,84,153
अंतिम शेष :				
रोकड़	10,169		8,950	
बैंक में नकदी	1,46,88,041	1,46,98,210	1,12,69,875	1,12,78,825
कुल		18,76,03,405		10,96,68,605

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

हस्ता./-

अनिल के ठाकुर
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-

प्रो मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

हस्ता./-

श्रीनिवास चन्द्र पृष्टी
रजिस्ट्रार

हस्ता./-

डॉ ए के वर्मा
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-

आशीष बाया
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली
तारीख: 21 सितंबर 2022



	31.03.2022	31.03.2021
<u>अनुसूची 1</u>		
<u>पूंजी संपत्ति फंड</u>	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2021 की स्थिति के अनुसार शेष	10,52,629	14,32,153
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बढ़ लिखा	-	-
	10,52,629	14,32,153
कम: संचित मूल्यह्रास को हस्तांतरित	3,28,868	3,79,524
	7,23,761	10,52,629

	31.03.2022	31.03.2021
<u>अनुसूची - 2</u>		
<u>सामान्य निधि</u>	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2021 की स्थिति के अनुसार शेष	11,44,50,120	12,12,34,213
जोड़ें : यात्रा सहायता कोष से हस्तांतरण	-	-
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	(1,33,07,466)	(67,84,093)
	10,11,42,654	11,44,50,120

	31.03.2022	31.03.2021
<u>अनुसूची - 3</u>		
<u>यूजीसी से योजना अनुदान</u>	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2021 पर शेष	2,67,50,264	3,08,66,527
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
-अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (योजना)	32,58,488	41,16,263
	** 2,34,91,776	** 2,67,50,264

**

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)

2,30,95,396

2,63,53,884

अग्रिम (संदर्भ लेँ अनुसूची 9 - ई)

5,31,329

5,31,329

शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश / (अतिरिक्त राशि खर्च)

(1,34,949)

(1,34,949)

2,34,91,776**2,67,50,264**अनुसूची - 4कानून और न्याय मंत्रालय से विशेष विकास अनुदान

	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2021 पर शेष	-	-
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	6,50,00,000	-
घटाएँ: एनडीएमसी को संपत्ति कर का भुगतान	(4,50,00,000)	-
31.03.2022 तक शेष राशि	** 2,00,00,000	-

**

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अग्रिम (संदर्भ लेँ अनुसूची 9 - ई)

2,00,00,000

शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश / (अतिरिक्त राशि खर्च)

-

2,00,00,000

<u>अनुसूची - 5</u> <u>निर्दिष्ट फंड</u>	<u>31.03.2022</u>	<u>31.03.2021</u>
	(Rs.)	(Rs.)
आजीवन सदस्यता फंड		
01.04.2021 पर शेष	1,94,63,457	1,68,74,781
जोड़ें : ब्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	10,39,614	10,64,926
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	1,85,489	15,23,750
उप कुल (ए)	2,06,88,560	1,94,63,457
सुलखना देवी फंड		
01.04.2021 पर शेष	6,30,493	5,93,951
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	33,151	36,542
उप कुल (बी)	6,63,644	6,30,493
स्वर्ण पदक फंड		
01.04.2021 पर शेष	38,58,696	36,24,920
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,06,646	2,33,776
उप कुल (सी)	40,65,342	38,58,696
महायोग (ए + बी + सी)	2,54,17,546	2,39,52,646

<u>अनुसूची - 6</u> <u>चालू दायित्व</u>	<u>31.03.2022</u>	<u>31.03.2021</u>
	(Rs.)	(Rs.)
देय व्यय	99,41,423	63,43,763
सुरक्षा जमा	17,45,186	16,10,186
बयाना जमा	1,31,500	1,31,500
आउटपुट जीएसटी	2,25,544	2,48,040
अन्य देनदारियां	14,66,555	8,74,390
	1,35,10,208	92,07,879



अनुसूची - Z अचल संपत्तियां	दर	सकल दशक						मूल्यह्रास						शुद्ध मूल्य संपत्तियां					
		01.04.2020 की तिथि के अनुसार		31.03.2022 पर कुल		31.03.2021 तक		वर्ष के दौरान		31.03.2022 पर कुल		31.03.2022 पर कुल		31.03.2022 पर		31.03.2021 पर			
		मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)	मूल्यह्रास / स्वयं के धन (Rs.)		
पट्टाभूत भूमि		-	57,894	-	57,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,894	-	57,894		
इमारत	10%	2,06,96,047	55,13,771	-	2,06,96,047	75,27,359	32,49,283	11,84,020	2,26,449	87,11,379	34,75,732	1,19,84,668	20,38,039	1,31,68,688	20,38,039	1,31,68,688	22,64,488		
पहुंच-मार्ग	10%	-	5,000	-	-	-	3,431	-	157	-	3,588	-	-	-	1,412	-	1,569		
विद्युत उपकरण	15%	1,43,09,495	25,00,984	8,050	1,43,09,495	70,72,880	18,78,604	10,85,492	93,963	81,58,372	19,72,587	61,51,123	5,36,467	72,36,615	5,36,467	72,36,615	6,22,380		
फर्नीचर और जुड़नार	10%	88,97,670	15,77,643	12,800	88,97,670	47,22,116	8,82,707	4,17,558	70,775	51,39,674	9,53,482	37,57,996	6,36,961	41,75,554	6,36,961	41,75,554	6,94,936		
कार्यालय उपकरण	15%	5,59,264	19,30,752	-	5,59,264	19,30,752	13,44,706	14,594	87,906	4,76,561	14,32,612	82,703	4,98,140	97,297	4,98,140	97,297	5,86,046		
लैबरेट्री में फिक्साबं	40%	1,71,15,959	2,77,46,783	22,75,705	1,71,15,959	1,64,31,493	2,67,18,884	2,73,786	9,34,491	1,67,06,279	2,76,53,375	4,10,680	23,69,113	6,84,466	23,69,113	6,84,466	10,27,899		
कंप्यूटर्स	40%	90,60,007	78,58,070	-	90,60,007	85,21,180	75,90,367	2,15,531	1,07,082	87,36,711	76,97,449	3,23,296	1,60,821	5,38,827	1,60,821	5,38,827	2,67,703		
लैबरेट्री उपकरण	15%	25,18,428	24,75,678	-	25,18,428	20,73,177	20,56,639	66,788	62,856	21,39,965	21,19,495	3,78,463	3,56,183	4,45,251	3,56,183	4,45,251	4,19,039		
वेस उपकरण	10%	-	28,519	-	-	-	19,570	-	895	-	20,465	-	-	-	8,054	-	8,949		
स्टाफ कार	15%	-	5,15,000	-	-	-	4,28,819	-	93,871	-	5,22,690	-	-	-	10,71,566	-	86,181		
उप कुल (₹)		7,31,56,870	5,02,10,094	-	7,31,56,870	4,68,10,172	4,41,73,010	32,57,769	16,78,445	5,00,67,941	4,68,51,455	2,30,88,929	77,34,450	2,63,46,698	2,30,88,929	2,63,46,698	60,37,084		
निदेशक के आवास पर अचल परिसंपत्तियां	15%	-	3,29,890	-	-	-	2,74,683	-	8,282	-	2,82,965	-	-	-	46,925	-	55,207		
विद्युत उपकरण	10%	22,899	4,53,580	-	22,899	15,713	3,11,242	719	14,234	16,432	3,25,476	6,467	1,28,104	7,186	1,28,104	1,42,338			
फर्नीचर और जुड़नार	15%	-	30,765	-	-	-	25,617	-	772	-	26,389	-	-	-	4,376	-	5,148		
कार्यालय उपकरण	60%	-	1,09,111	-	-	-	1,09,088	-	9	-	1,09,097	-	-	-	14	-	23		
कंप्यूटर्स																			
उप कुल (₹)		22,899	9,23,346	-	22,899	15,713	7,20,630	719	23,297	16,432	7,43,927	6,467	1,79,419	7,186	1,79,419	2,02,716			
कुल लागत (₹ + की)		7,31,79,769	5,11,33,440	-	7,31,79,769	4,68,25,885	4,48,93,640	32,58,488	17,01,742	5,00,84,373	4,65,95,382	2,30,95,396	79,13,869	2,63,53,884	2,30,95,396	2,63,53,884	62,39,800		

अनुसूची - 8 निवेश	फंड के नाम	अनुसूचित बैंकों के साथ					श्टीआई के साथ		कुल	
		केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ बडौदा (Rs.)	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Rs.)	कुल (Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	31.03.2022 (Rs.)	31.03.2021 (Rs.)
	(क) जनरल फंड									
	फिक्स्ड डिपोजिट में	-	5,09,13,605	3,06,59,514		8,15,73,119	-		8,15,73,119	9,38,54,258
	(ख) निरिष्ट फंड									
	आजीवन सदस्यता फंड	-	2,14,89,965	-	-	2,14,89,965	3,00,300		2,17,90,265	2,06,88,271
	सुलखना देवी फंड	1,32,509	5,41,855	-	-	6,74,364	-		6,74,364	6,41,567
	स्वर्ण पदक फंड	-	42,89,450	-	-	42,89,450	-		42,89,450	40,85,549
	TOTAL	1,32,509	7,72,34,875		-	10,80,26,898	3,00,300		10,83,27,198	11,92,69,645



अनुसूची - 9	31.03.2022	31.03.2021
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम	(Rs.)	(Rs.)
(ए) नकदी और बैंक बैलेंस		
रोकड़	5,900	2,315
डाक अग्रदाय	4,269	6,635
बैंक खातों की शेष:		
यूको बैंक खाता संख्या 9792	5,44,691	2,18,152
यूको बैंक खाता संख्या 257036	1,36,52,083	1,09,07,254
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557	4,52,853	1,33,320
यूको बैंक खाता संख्या 02070110120941	15,773	-
यूको बैंक खाता संख्या 88227	22,641	11,149
	1,46,98,210	1,12,78,825
बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक	26,70,698	23,75,464
सी) निवेश पर अर्जित ब्याज		
सामान्य निधि	14,57,007	13,46,155
सुलखना देवी फंड	11,763	11,409
आजीवन सदस्यता फंड	2,71,605	3,33,985
स्वर्ण पदक फंड	56,482	53,737
	17,96,857	17,45,286
(डी) प्राप्त राशि		
विधि एवं न्याय मंत्रालय	8,22,847	38,99,163
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	2,53,698	2,53,698
परियोजना अनुदान प्राप्त	-	75,149
प्राप्त करने योग्य ब्याज	1,41,960	44,816
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)	66,646	2,27,251
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (GST)	1,03,362	-
टीडीएस वसूली	11,95,763	11,95,763
	25,84,276	56,95,840
(ई) जमा और अग्रिम		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम		
योजना फंड	5,31,329	5,31,329
गैर-योजना फंड	2,00,00,000	31,919
	2,05,31,329	5,63,248
कर्मचारियों को अग्रिम		
दूसरों को अग्रिम	2,000	1,500
योजना फंड		
गैर-योजना फंड	-	-
	3,500	3,500
जमा	60,000	60,000
पूर्वदात व्यय	26,02,612	18,26,546
	2,31,99,441	24,54,794
भट्ट्य कुल (ए + बी + सी + डी + ई)	4,49,49,482	2,35,50,209

	वर्ष के अंत <u>31.03.2022</u>	वर्ष के अंत <u>31.03.2021</u>
अनुसूची - 9		
सहायक अनुदान		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त	3,50,00,000	2,66,50,000
	3,50,00,000	2,66,50,000

अनुसूची - 10		
किराये की आय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2 केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3 कैंटीन	-	-
4 एनेक्सी और बैठक कमरे	1,03,650	2,000
	1,28,73,512	1,28,73,512

अनुसूची - 11		
फीस और सदस्यता		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	62,62,797	74,75,358
2 एलएलएम कोर्स	36,83,800	36,07,717
3 पीएच.डी. कोर्स	4,42,000	4,15,000
4 प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीएचडी)	44,15,000	35,92,500
5 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	12,58,600	9,86,700
6 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	17,96,123	16,50,500
7 लाइब्रेरी फीस	2,103	2,765
8 भर्ती आवेदन शुल्क	-	-
9 सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	37,861	1,63,754
	1,78,94,294	1,78,94,294



	वर्ष के अंत <u>31.03.2022</u>	वर्ष के अंत <u>31.03.2021</u>
अनुसूची - 12		
<u>प्राप्त ब्याज</u>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 जनरल फंड निवेश पर ब्याज	38,37,925	48,22,377
2 बचत बैंक खातों पर ब्याज	2,39,993	3,30,564
	40,77,918	51,52,941

	(Rs.)	(Rs.)
अनुसूची - 13		
<u>जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री</u>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वार्षिक सर्वेक्षण	73,505	29,500
2 जर्नल आय	5,98,113	55,888
3 प्रकाशन आय	36,600	29,509
4 न्यूजलेटर आय	140	20
	7,08,358	1,14,917

	(Rs.)	(Rs.)
अनुसूची - 14		
<u>विविध आय</u>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	2,512	2,405
2 रॉयल्टी	3,953	3,467
3 डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	-	600
4 सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	3,500	800
5 अन्य	62,434	9,64,397
	72,399	9,71,669

अनुसूची - 15 वेतन और भत्ते	वर्ष के अंत	वर्ष के अंत
	31.03.2022	31.03.2021
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वेतन और भत्ते	4,95,23,458	4,59,16,176
2 भविष्य निधि में अंशदान	48,14,242	45,44,933
3 ग्रेज्युटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	22,18,065	5,73,739
4 एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	34,80,049	12,68,066
5 एलटीसी के साथ नकदीकरण	97,857	1,98,978
6 डीए बकाया	6,23,241	-
7 एलटीसी / एचटीसी व्यय	2,98,658	7,93,350
8 ग्रुप मेडिकलेम प्रीमियम	14,39,620	9,80,304
9 स्टाफ को मानदेय	49,000	56,250
10 बाल शिक्षा भत्ता	8,91,000	10,53,000
	6,34,35,190	5,53,84,796

अनुसूची - 16 प्रशासनिक व्यय	वर्ष के अंत	वर्ष के अंत
	31.03.2022	31.03.2021
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 यात्रा और वहन	92,853	1,15,923
2 सुरक्षा सुविधाएँ	26,65,652	25,17,696
3 हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	41,21,700	40,62,348
4 बिजली और जल	11,43,559	10,29,342
5 टेलीफोन और फैक्स	88,404	1,00,321
6 फोटोस्टेट , मुद्रण और स्टेशनरी	4,00,113	2,46,968
7 डाक और स्टाम्प	1,37,676	1,41,755
8 बीमा	2,35,725	3,25,366
9 एनडीएमसी को संपत्ति कर	29,03,345	-
10 जलपान	1,49,746	78,490
11 सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	60,000
12 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,30,000	2,30,000
13 कानूनी और व्यावसायिक खर्च	30,000	20,000
14 सदस्यता शुल्क	1,13,634	93,660
15 मरम्मत एवं रखरखाव	16,52,638	14,62,910
16 स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	60,000
17 स्टाफ कार व्यय	18,043	15,767
18 अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,70,982	1,62,100
19 टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,96,910	1,16,908
20 भर्ती व्यय	1,35,897	44,961
21 कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	94,300	26,600
22 लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	16,095	22,360
23 विविध	2,23,350	2,55,790
	1,49,40,622	1,11,89,265



	वर्ष के अंत <u>31.03.2022</u>	वर्ष के अंत <u>31.03.2021</u>
अनुसूची - 17		
जर्नल / प्रकाशन व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पत्रिका खर्च	4,85,549	4,86,368
2 प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	2,46,024	3,91,793
3 न्यूजलेटर व्यय	2,04,916	1,72,707
4 पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	13,43,707	12,19,069
	22,80,196	22,69,937
अनुसूची - 18		
व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 डिप्लोमा कोर्स व्यय	10,83,417	5,71,239
2 पीएच.डी. व्यय	35,839	1,05,025
3 एलएलएम कोर्स व्यय	6,57,786	3,65,775
4 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	24,000	24,000
5 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	24,000	24,000
6 संगोष्ठी व्यय और बैठक	3,95,897	2,29,895
7 छात्रवृत्ति	85,000	30,000
	23,05,939	13,49,934

भारतीय विधि संस्थान

अनुसूची - 20

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पण

(क) लेखा परिपाटी

- i. ये वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन प्रोद्भवमान आधार पर चालू संबंधित धारणा और साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं।
- ii. भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप लेखा विवरणियां तैयार करना प्राक्कलनों और धारणाओं को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिससे रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और दायित्व तथा वित्तीय विवरणियों की तारीख को समाश्रित दायित्वों प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच अंतरों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम कार्यान्वित होते हैं।

(ख) लेखा नीतियां

1. (क) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदानों से आय का परियोजनाओं के लिए उपगत खर्चों की सीमा तक गणना की जाती है। तथापि, अनुदान की खर्च से बची हुई राशि परियोजनाओं के पूरा होने पर आय के रूप में समायोजित की जाती है जब तक कि खर्च न की हुई राशि प्रत्यर्पणीय न हो जाए। अन्य अनुदान पावती के आधार पर आय के रूप में गणना किए जाते हैं।
 - (ख) किसी परियोजना के संबंध में अधिक खर्च की गई राशि वसूली योग्य दर्शाई जाती है।
 - (ग) शुल्क, एनेक्सी किराया और हालों से किराया नकद आधार पर गणना किया जाता है। तथापि, अग्रिम के तौर पर प्राप्त शुल्क भविष्य में समायोजित किए जाने के लिए आगे लिया जाता है।
 - (घ) वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए क्रय किए गए जर्नल और इस दौरान प्राप्त किए गए साधारण सदस्यता अंशदान नकद आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
 - (ङ) संस्थान के आय और व्यय लेखा के अन्य मद संभूति के आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
 - (च) विनिर्दिष्ट निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज क्रमिक निधियों में जमा की जाती है।
 - (छ) उपदान और छुट्टी नकदीकरण नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई हैं और वार्षिक अभिदाय सुसंगत वर्ष में खर्च के रूप में गणना में लिए जाते हैं।
 - (ज) प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता शुल्क और साधारण सदस्यता शुल्क और सदस्यता के प्रदान किए जाने के लिए लंबित हैं वह दायित्व समझते जाते हैं।
2. (क) नियत आस्तियों पर अवमूल्यन का 31 मार्च, 2010 तक उपबंध नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त नियत आस्तियों के खर्च पर समान राशि वर्ष के लिए अधिशेष में से समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी। तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के अनुसार 31 मार्च, 2011 में वर्ष की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था। जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त

नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी, को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है ।

- (ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं। (देखिए अनुसूची - 3)
3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं ।
4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और वर्ष के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टॉक में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट) , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(VI)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(vi)(via) के अधीन अनुमोदित है ।
- इसके अतिरिक्त, संस्थान को वित्त विधेयक, 2020 के उपबंधों के अनुसार, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण सं. एएटीटी892जीसी20216, दिनांक 28 मार्च, 2022 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(vi) के अधीन पुनर्रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
3. वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय से 6,50,00,000/- रुपए का एक विशेष विकास अनुदान प्राप्त हुआ । उपरोक्त अनुदान में से, संस्थान ने नई दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2001-2002 से 2020-21 के लिए की गई संपत्ति कर के रूप में 4,55,89,578/- रुपए की मांग के विरुद्ध 4,50,00,000/- रुपए का संदाय किया और संस्थान के भवन के पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर 2,00,00,000/-रुपए का संदाय किया ।
4. नई दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2001-2002 से 2020-2021 के लिए संपत्ति कर के रूप में 4,55,89,578/- रुपए के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है । वर्ष के दौरान, संस्थान ने 4,55,89,578/- रुपए के लिए मांग के विरुद्ध विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त विशेष विकास अनुदान में से 4,50,00,000/- रुपए का अभ्यापत्ति अधीन संदाय किया और शेष 5,89,578/- रुपए की रकम का संदाय संस्थान द्वारा स्वयं अपनी निधि से किया गया । अतः दिनांक 31 मार्च, 2022 को नई दिल्ली नगर निगम को संदेय कोई संपत्ति कर का दायित्व नहीं है ।
5. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है । क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं ।

6. प्रबंधन ने अपने वित्तीय साधनों पर कोविड-19 के प्रभाव का निर्धारण किया है और इसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ा है।
7. पूर्व वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं।

प्रो० (डा) मनोज कुमार सिन्हा
निदेशक

श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी
रजिस्ट्रार

डा. ए. के. वर्मा
उप रजिस्ट्रार

आशिष बावा
मुख्य लेखाकार

स्थान - नई दिल्ली

तारीख - 21 सितम्बर, 2022

**INDIAN LAW INSTITUTE****List of Available Publications**

S.No.	Description of Publication	INR
1	Legal Research and Writing New Perspective (2022)	**
2	Legal Research Manual (2022)	120
3	Human Rights of Vulnerable Groups : National and International Perspectives (2021) Prof. Manoj Kumar Sinha and Ms. Arya A. Kumar	425.00
4	Rethinking Law and Violence (2020) -Dr. Jyoti Dogra Sood and Dr. Latika Vashist	##
5	Bail : Law and Practice in India (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	400.00
6	Dispelling Rhetorics Law of Divorce and Gender Inequality in Islam (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Prof. Furqan Ahmad	500.00
7	Law of Sedition in India and Freedom of Expression (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	400.00
8	IPR and Human Rights with Special Emphasis on India (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Ms. Jupi Gogoi	500.00
9	Towards the Renaissance : Shibli and Maulana Thanvi on Sharia (2018) - Prof. Furqan Ahmad	600.00
10	Emerging Competition Law (2017) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Sushmita P. Mallaya	#
11	Copyright Law in the Digital World : Challenges and Opportunities (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Vandana Mahalwar	*
12	Environment Law and Enforcement : The Contemporary Challenges (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha, Prof. S.Sivakumar and Dr. Furqan Ahmad	480.00
13	Legal Research Methodology -Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Deepa Kharb (2016)	**
14	Compendium of Bilateral and Regional Instruments for South Asia : International Cooperation in Criminal Matters Volume I & II (2015) – Digitized version is available on Institute’s website	-
15	A Treatise on Consumer Protection Laws - Updated version (2016)	700.00
16	Directory of Law Colleges in India - Compiled by Prof. Manoj Kumar Sinha & Jupi Gogoi (2015)	200.00
17	Broadcasting Reproduction Right in India: Copyright and Neighbouring Rights Issues’ - Prof. S. Sivakumar and Dr. Lisa P. Lukose (2013)	300.00
18	Services under the State (Revised and updated)	650.00
19	Indian Legal System (Revised edition)	600.00
20	Legislative Drafting Shaping the Law for the New Millennium (Revised and updated by T.K. Viswanathan)	600.00
21	Digitized Version of the Journal of Indian Law Institute (1958-2014)	2000.00
22	Digitized Version of the Annual Survey of Indian Law (1965 – 2013)	2000.00
23	Disaster Management – Edited by Vishnu Konoorayar & Jaya V.S. (2006)	400.00
24	Essays on the Indian Penal Code – revised by Prof. K.N. Chandrasekharan Pillai (2005)	400.00



30	Index to Indian Legal Periodicals Bi-annual	
	1987-1988	350.00
	1990 & 1991	800.00
	1992	300.00
	1993-1996	800.00
	1997-2000	800.00
	2001	300.00
	2002	300.00
	2003	300.00
	2006	300.00
	2007	300.00
	2008	300.00
	2009	300.00
	2010	300.00
	2011	300.00
	2012	300.00
	2013	300.00
	2014	300.00
	2015	300.00
	2016	300.00
	2017	300.00

* Sale through Springer

** Sale through Lexis Nexis

Sale through Wolters Kluwer India(P) Ltd.

Sale through Oxford University Press



**Phones : 23387526, 23382190,
23386321, 23389429**
Telefax : 011-23386321/ 23782140

E-mail: ili@ili.ac.in
Website: <http://www.ili.ac.in>